द्वितीय माला, खंड ५०—अंक ९

शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१
५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५० में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

रुपया (देश में)

४ शिलिंग (विदेश में)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या २८१ से २८९, २९१, २९२, २९४ और २९६ . ८७५–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९०, २९३, २९५ और २९७ से ३१७ . ८९८–९१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ से ५४४ . . ९१०–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९४६

लोक लेखा समिति ९४६

तैंतीसवां प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ९४६

एक सौ सात्तवां प्रतिवेदन

सभा का कार्य ९४७

सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में ९४७–४८

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१ . . ९४८–७४

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी ९४८

श्री नौशीर भरूचा . ९४८–४९

श्री लौ अचौ सिंह . ९४९–५०

श्री सोमानी . ९५०

श्री आसर . . . ९५०–५३

श्री अरविन्द घोषाल . . ९५३

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . ९५३–५४

श्री रामकृष्ण गुप्त . ९५४–५६

श्री ब्रजराज सिंह . ९५६–५८

चौधरी रणवीर सिंह . ९५८–६०

श्री अजित सिंह सरहदी . . . ९६०–६१

श्री त्यागी . ९६१

श्री गू० चं० जैन ९६१

सरदार स्वर्ण सिंह ९६१–६२

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१
५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्राम्य विश्वविद्यालय

+

†*२८१. { **श्री सुब्बय्या अम्बलम् :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में चार और ग्राम्य-विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो ये विश्वविद्यालय किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) इन पर कितनी रकम व्यय होगी ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कृषि शिक्षा और गवेशषणा पर प्रस्ताव तयार करने के लिये योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कार्यकारी दल ने तीसरी पंच वर्षीय योजना में पांच और कृषि विद्यालय स्थापित करने के लिए ४ करोड़ रुपये के उपबन्ध की सिफारिश की है। इन विश्वविद्यालयों की वास्तविक संख्या और स्थिति का निर्णय भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की ऐसे विद्यालयों की स्थापना करने में सहायता करने का निर्णय किए जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।

†**श्री सुब्बय्या अम्बलम्** : क्या इन विश्वविद्यालयों में कोई विशेष कोर्स पढ़ाया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

2073(Ai)LSD—1.

†**डा० पं० शा० देशमुख** : कोई खास तो नहीं---मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का तात्पय क्या है---परन्तु विश्वविद्यालय का समस्त स्वरूप एवं संगठन साधारण विश्वविद्यालयों से भिन्न है ।

†**श्री सुब्बय्या अम्बलम्** : क्या वह अन्तर विश्वविद्यालयों की स्थिति में ही है अथवा इन ग्रामीण विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों में । अन्य विश्वविद्यालयों तथा इस विश्वविद्यालय में क्या विशेष अन्तर है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल)** : विचार यह है कि ये विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के भूमि अनुदान विश्वविद्यालयो के मॉडल पर होंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री स० का० पाटिल** : उनमें कृषि सम्बन्धी विषय ही मुख्यत: पढ़ाये जायेंगे । साथ ही पशुपालन का वि य भी रहेगा । इसलिए जहां कहीं भी इन चीजों का वातावरण और तैयारी होगी बाद में वे इन ग्रामीण विश्वविद्यालयो में विकसित हो जायेंगें । अपनी बात को स्पष्ट करते के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश में तराई में जो विश्वविद्यालय स्थापित किया है उसे उदाहरण के तौर पर रखा जा सकता है । अब जो विश्वविद्यालय बनेंगे वे प्राय: उसी प्रकार के होंगे ।

†**पंडित डा० ना० तिवारी** : क्या किसी अन्य राज्य में भी ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया है और क्या किन्हीं अन्य राज्यों ने भी सरकार से अपने क्षेत्रों में ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : प्राय: सभी राज्य इसके लिए प्रयत्नशील हैं । परन्तु उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त, जहां इस प्रकार का विश्वविद्यालय स्थापित किया जा चुका है, अन्य राज्य जो हमसे बहुत समय से इसके लिए जोर देते आ रहे हैं वे हैं पंजाब, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि जो देहाती विश्वविद्यालय खोले गये हैं या रूरल इन्स्टिट्यूट खोले गये हैं, उनको वह मान्यता नहीं प्राप्त है जो दूसरी यूनिवर्सिटीज को प्राप्त है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपाय करेगी ?

श्री स० का० पाटिल : यह देहाती विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज नहीं हैं । विश्वविद्यालय दूसरी चीज होती है और वह खाली उत्तर प्रदेश में है, दूसरी जगहों में नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बिचपुरी में रूरल इन्स्टिट्यूट खोला गया है या रुद्रपुर में खोला गया है, इन विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को पास करके जो लड़के निकलेंगे, उनकी जो डिग्रियां या डिप्लोमा होंगे क्या उनको वही मान्यता प्राप्त होगी जो दूसरे विश्वविद्यालयों की डिगरियां या डिप्लोमा को प्राप्त होती है, नौकरी आदि पाने के सम्बन्ध में ?

श्री स० का० पाटिल : रुद्रपुर में तो है । वही एक उत्तर प्रदेश में बनाया गया है जो तराई काम से सम्बन्धित है । लेकिन दूसरे जो हैं वह खाली डिप्लोमा देंगे । उनका यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं है । जब वे विश्वविद्यालय बनेंगे तब उनको विश्वविद्यालय का स्टेटस दिया जायगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या ऐसे विश्विद्यालयों की स्थापना में होने वाला व्यय केन्द्र राज्य सरकारें मिल कर वहन करती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० का० पाटिल : इसके बारे में कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है और न इसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया गया है क्योंकि हमें कुछ सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलती है—परन्तु वह उसके भवन आदि के लिए होती है, संचालन के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की पढ़ाई राज्य का विषय है। राज्य परिनियम बनाता है। सरकार द्वारा राज्य की सहायता उसी प्रकार की जाती है जैसे अन्य विश्वविद्यालयों के मामले में की जाती है।

कारीगरों की अध्ययन यात्रा

+

*२८२. { श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारीगरों के लिये अध्ययन-यात्रा आयोजित करने की योजना के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस स्वीकृत योजना पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० स० मूर्ति) :(क) जी हां।

(ख) योजना की विस्तृत रूप-रेखा सम्बन्धी टिप्पण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में गैर-सरकारी व्यक्तियों के अध्ययन पर्यटनों की अनुमोदित योजना की विस्तृत रूप-रेखा

तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में गैर सरकारी व्यक्तियों के लिये निम्नलिखित प्रकार के अध्ययन पर्यटन संगठित करने का विचार है :—

१. अखिल भारत अध्ययन पर्यटन :

ये अध्ययन पर्यटन विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए संगठित किये जायेंगे, उदाहरणार्थ पंचायती राज कार्यकर्त्ता, किसान, कारीगर, लघुउद्योगपति, सहकारी कार्यकर्त्ता आदि। प्रत्येक दल में लगभग ५० व्यक्ति होंगे। अध्ययन पर्यटन उद्देशीय होंगे और पर्यटकों एवं विकसित क्षेत्रों की स्थिति के अनुसार संगठित किए जायेंगे।

अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त विभिन्न वर्गों के लोगों को ऐसे अध्ययन पर्यटनों के लिए ऐसे स्थानों पर ले जाया जायेगा जिनसे उन्हें अधिकाधिक लाभ हो। उदाहरणार्थ सिंचाई वाले इलाके के धान की बुआई करने वाले सबसे अच्छे किसानों को भारतवर्ष के उन इलाकों में ले जाया जायेगा जहां धान की बुआई के लिए उन्नत तरीके अपनाए जाते हैं। देहाती कारीगरों को दस्ताकरी इलाकों, लघु दस्तकारी विद्यालयों और ऐसी दूसरी जगहों, जहां उनकी रुचि व लाभ होगा, ले जाया जाएगा। सहकारी कार्यकर्त्ताओं को ऐसे स्थानों पर ले जाया जाएगा जहां सब से अच्छी सहकारी संस्थायें, सहकारी प्रशिक्षण विद्यालय, सहकारी कृषि फार्म हों और ऐसी दूसरी जगहों जो उनके लिए उपयोगी हों। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये पर्यटन केवल सैरगाहों के पर्यटन न बन जायें।

†मूल अंग्रेजी में

चुनाव योग्यता के आधार पर राज्य सरकारों की सिफारिशों से करने का विचार है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में १,००० व्यक्तियों को ले जाने की आशा है। प्रति व्यक्ति २०० रुपए खर्च का अन्दाजा है जो केन्द्र/राज्य सरकार और व्यक्ति के बीच बराबर रूप से बांटा जाएगा। तीसरी योजना काल में कुल २ लाख रुपये के खर्च का अन्दाजा है।

२. **राज्य अध्ययन पर्यटन :**

ये पर्यटन भी उद्देशीय होंगे और विकास क्षेत्रों और पर्यटकों की स्थिति के अनुसार संगठित किए जाएंगे और उपर्युक्त वर्गों के लोगों को लागू होंगे। ये अध्ययन पर्यटन राज्य सरकारों द्वारा संगठित किए जाएगे और प्रत्येक वर्ष के लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में १३,००० व्यक्तियों को ले जाते का अंदाजा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक खर्च की आशा १०० रुपये तक है जो केन्द्र/राज्य सरकार और व्यक्ति के बीच बराबर रूप से बांटा जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में इन पर्यटनों पर कुल १३ लाख रुपए के खर्च का अनुमान है।

३. **जिलों में अध्ययन पर्यटन :**

खण्डों में अध्ययन पर्यटन :

ये अध्ययन पर्यटन राज्य सरकारों द्वारा संगठित किए जाएंगे और इनका विस्तारपूर्वक आयोजन भी उनके द्वारा ही किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा इन अध्ययन पर्यटनों के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।

†**श्री तंगामणि :** क्या कारीगरों की यात्रा की योजना में जो एक हजार व्यक्ति समस्त भारत की यात्रा के लिए चुने जाएंगे वे राज्यों की यात्रा के लिए चुने जाने वाले १३००० व्यक्तियों में भी सम्मिलित होंगे ?

†**श्री ब० स० मूर्ति :** नहीं, श्रीमान्।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या अखिल भारतीय अध्ययन दलों में आसाम जैसे पिछड़े राज्यों को कोई प्रतिनिधित्व मिलेगा ?

†**श्री ब० स० मूर्ति :** पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों से यथा संभव अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जाएगा।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** सभा-पटल पर रखे गये विवरण से ज्ञात होता है कि खण्डों की अध्ययन यात्रा में केन्द्र द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाएगी। परन्तु राज्य के खण्डों के पास बहुत कम धन है। इसलिए क्या इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा ताकि इसके लिए भी कुछ सहायता दी जा सके ?

†**श्री ब० सु० मूर्ति :** इस प्रश्न पर भी विचार किया गया था, केवल हमारे मंत्रालय द्वारा ही नहीं वरन् योजना आयोग और उद्योग मंत्रालय द्वारा भी, और हम ने खंडों में अध्ययन यात्रा के लिये सहायता देना आवश्यक नहीं समझा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : विवरण में बताया गया है कि समस्त तीसरी योजना अवधि के लिये १५ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगले वर्ष, अर्थात् १९६१-६२ में कितना व्यय किया जायगा ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : ब्यौरा अब तैयार किया जा रहा है।

†श्री प्र० चं० बरुआ : माननीय उपमंत्री ने अभी कहा था कि वह पिछड़े वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखेंगे। मेरा प्रश्न यह था कि क्या पिछड़े राज्यों के लिये रक्षण होगा।

†श्री ब० सू० मूर्ति : राज्यों को पिछड़े अथवा प्रगतिशील की श्रेणियों में नहीं विभाजित किया जा सकता है परन्तु यदि किसी राज्य से निश्चित संख्या के व्यक्ति भेजने की कोई विशेष आवश्यकता होगी तो इस प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है।

दिल्ली में सिंचाई के लिये गन्दा पानी

†*२८३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किन गांवों को सिंचाई कार्य के लिये विधायित गन्दा पानी दिया जाता है ;

(ख) इस से इस क्षेत्र के पीने का पानी किस तरह दूषित हो गया ; और

(ग) इस से कितने व्यक्ति प्रभावित हैं और कब से ?

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) निम्नलिखित गांवों को सिंचाई कार्य के लिये विधायित गन्दा पानी दिया जाता है :

उत्तर में	दक्षिण में
१. मुकन्दपुर	१. मदनपुर
२. झंजरपुर	२. आली
३. भलसुआ झंगीरपुर	३. जेंतपुर
४. कमालपुर	४. मोलबन्द
५. झरोदा	५. जसोला
	६. ओखला
	७. बहापुर
	८. सैदाबाद
	९. तेखन्द
	१०. बदरपुर
	११. जोगाबाई
	१२. कोटला

(ख) ऐसा दक्षिणी गांवों में हुआ है। कई वर्षों के बाद उथले कुओं का पीने का पानी खराब हो जाता है।

(ग) लगभग ८००० व्यक्ति प्रभावित हैं। वर्तमान स्थिति पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि इन गांवों के ये ८००० व्यक्ति अपने जल-संभरण के लिये पूर्णतः इन उथले कुओं पर ही निर्भर हैं और कुओं का पानी पिछले कुछ वर्षों से खराब हो गया है तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पीने के योग्य नहीं रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हां श्रीमान्, यह सच है। कई वर्षों के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई है। दिल्ली निगम इस समस्या पर अत्यन्त गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। उन के सामने इन लोगों को पीने का अच्छा पानी देने की दो योजनायें हैं—एक नलकूप खोदने की और दूसरी दिल्ली नगर से पानी पहुंचाने की।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि आयोजन और दूरदर्शिता की कमी के कारण इन लोगों को पिछले तीन या चार वर्षों से पूर्णतः गंदे पानी पर रहना पड़ रहा है और अभी तक शुद्ध जल के संभरण के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है कि कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : कदम उठाये जा रहे हैं। एक नलकूप खोदा गया था परन्तु उसमें सफलता नहीं मिली। अब दिल्ली नगर से पीने के पानी का संभरण करने की योजना है।

†**श्री नंजप्पा** : क्या गन्दे पानी को साफ कर के सप्लाई किया जाता है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हां, श्रीमान्। गन्दे पानी को दो बार साफ कर के सप्लाई किया जाता है। इसके बावजूद दिल्ली में ऐसा हुआ है क्योंकि दिल्ली में पानी भूमितल के बहुत पास है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ गांवों में पीने का साफ और शुद्ध पानी देने की योजना थी ? अगर हां, तो क्या कारण है कि उस को अब तक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने या म्युनिसिपल कारपोरेशन ने कार्यान्वित नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय : वह अलग बात है। यह सवाल तो उन गांवों को वाटर सप्लाई के बारे में है जहां का पानी सीवेज की वजह से कंटेमिनेट हो गया है।

श्री नवल प्रभाकर : यह इसी से सम्बन्ध रखता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि नल के पानी के संभरण का प्रश्न पिछले तीन या चार वर्षों से केवल इसलिये खटाई में पड़ा हुआ है कि पाइप आदि उपलब्ध नहीं हैं और लोगों को यह पानी पीना पड़ रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : नहीं, श्रीमान्। मदनपुर कदेर नामक स्थान पर काम शुरू हो गया है। पहले वहां एक नलकूप खोदने की योजना थी। वह असफल रही। दूसरा विकल्प दिल्ली नगर से जलसंभरण करना था और अब इस कार्य के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

कृषकों का बैंक

†*२८४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषकों का बैंक स्थापित करने की प्रस्थापना पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सु०मूर्ति)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ मिल कर इस प्रस्ताव पर विचार किया और यह निर्णय किया कि केन्द्रीय सरकार अथवा रिज़र्व बैंक के लिये राष्ट्रीय कृषक बैंक की स्थापना के प्रस्ताव के साथ अपने को सम्बद्ध करना वांछनीय नहीं है। परन्तु कुछ खेतिहरों और भारत कृषक समाज तथा किसान सभा (फार्मर्स फोरम) से सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त एक प्रस्ताव के आधार पर दिल्ली के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने २२ नवम्बर, १९६० को एक "दि फार्मर्स बैंक आफ इंडिया लिमिटेड" नामक संस्था रजिस्टर की थी ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी इस सम्बन्ध में ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

†**श्री ब० सु० मूर्ति** : मेरी जानकारी में नहीं ।

†**श्रीमती कृष्णा मेहता** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को इस बैंक से कुछ कर्जा भी मिलेगा या यह बैंक सिर्फ रुपया जमा करने के लिये ही है ?

†**श्री ब० सु० मूर्त्ति** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि ये बातें बैंक के उपनियमों और नियमों पर निर्भर हैं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस बैंक की पूंजी कितनी है ?

†**श्री ब० सु० मूर्ति** : संगठकों द्वारा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कागजात में पूंजी की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या इस बैंक की विभिन्न राज्यों में शाखायें खोलने का कोई उपबन्ध है ?

†**श्री ब० सु० मूर्ति** : मेरी जानकारी के अनुसार प्रस्तावित बैंक की शाखायें खोली जायेंगी ।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री सु० कु० डे)** : क्या मैं भी कुछ निवेदन कर सकता हूं ? सरकार की नीति जनता की संस्थाओं के प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सरकार के प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की है। सरकार सिद्धान्ततः कृषकों के लिये एक अखिल भारतीय बैंक की स्थापना के विरुद्ध है परन्तु एक बैंक रजिस्टर किया गया है और हम उस के सम्बन्ध में और ब्यौरा एकत्रित करेंगे कि वह कैसे रजिस्टर हुआ, उसकी अन्तर्ग्रस्ततायें क्या हैं और तब वह ब्यौरा सभा को दिया जा सकेगा ।

†**श्री मुरारका** : माननीय उपमंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि सरकार और/अथवा रिज़र्व बैंक अपने को इस प्रस्तावित बैंक से सम्बद्ध करना वांछनीय नहीं समझते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि रिज़र्व बैंक किसानों के बैंक की सहायता क्यों नहीं करना चाहता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने ऐसा कहा है । वे विकेन्द्रीकरण चाहते हैं ।

†**श्री सु० कु० डे** : किसानों के लिये शिखर पर निर्मित किया जाने वाला बैंक देश के अधिकांश निर्धन किसानों की सहायता नहीं कर सकेगा । वह केवल सम्पन्न किसानों की सहायता कर सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने यह महसूस किया कि यदि किसान को बैंकिंग सहायता मिलती है तो उसे गांव के स्तर पर निर्मित की गई संस्थाओं से सहायता मिलनी चाहिये और फिर ऊपर के स्तर पर वैसी संस्थायें बनाई जानी चाहियें ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या यह सच नहीं है कि अमेरिका का किसान बैंक किसानों को ऋण की व्यवस्था करने में बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करता है और यदि हां, तो क्या रिजर्व बैंक और भारत सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि वे अमरीकी अनुभव से लाभ उठायें और अपने को किसानों का एक बैंक बनाने के प्रस्ताव से सम्बद्ध करें ?

†**श्री सु० कु० डे** : रिजर्व बैंक, केन्द्रीय बैंक और राज्यों के शीर्ष बैंक यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी योजना में किसानों को दिये गये ऋण में जो वृद्धि हुई है उससे यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की सहायता दी ही जा रही है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : प्रस्तावित बैंक, जिसके कागजात रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किये गये हैं, के संगठक कौन हैं और माननीय मन्त्री ऐसा क्यों समझते हैं कि यह बैंक ऊपर से बनाया जाएगा और किसानों को उसके साथ सम्बद्ध नहीं किया जाएगा ?

†**श्री सु० कु० डे** : जैसा मैंने बताया ऐसा कोई भी बैंक जो ऊपर से रजिस्टर किया जाता है और २५ या ३० करोड़ किसान जनसंख्या वाले देश की सेवा करने की आशा करता है वह कुछ थोड़े से लोगों का ही भला कर सकेगा अधिकांश जनता का नहीं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उसके संगठक कौन हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : यह मैं पहले ही बता चुका हूं ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बैंक के सहायकों में से एक केन्द्रीय सरकार के प्रमुख सदस्य हैं ? क्या प्रस्ताव के सरकार द्वारा नामंजूर किये जाने के पूर्व उनसे परामर्श किया गया था ?

†**श्री सु० कु० डे** : मैं समझ नहीं सका, सरकार ने समस्त प्रश्न पर विचार किया है । उसने रिजर्व बैंक के साथ मिल कर इसकी विस्तृत जांच की है और सरकार ने उसे अवांछनीय समझा ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने इस मामले की अपने उन सदस्य के साथ चर्चा की थी जो इस बैंक के सहायकों में हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : सरकार को अपने ऐसे किसी सदस्य के साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है जिसने इस मामले में एक गैर सरकारी व्यक्ति की हैसियत से भाग लिया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस मामले में कृषि मन्त्रालय का क्या दृष्टिकोण है और क्या उनके साथ परामर्श किया गया था ? क्या यह सच नहीं है कि इसको कृषि मन्त्रालय का समर्थन प्राप्त है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल)** : चूंकि यह मामला दूसरे मन्त्रालय के पर्यालोकन में आता है जिसके लिये मेरे सहयोगी उत्तर दे रहे हैं मेरे मन्त्रालय का इस मामले में कोई दखल नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : कृषि मन्त्री एक चीज का समर्थन करते हैं और अन्य मन्त्री उसका विरोध कर रहे हैं। यह बड़ी गम्भीर चीज है। वे आपस में समझौता क्यों नहीं कर लेते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जब कृषि मन्त्री ने सरकारी अथवा गैर सरकारी हैसियत में इस मामले में रुचि ली है तो क्या उनसे यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल)** : कृषि मन्त्री यहां उपस्थित हैं और वह उत्तर दे सकते हैं।

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मेरे विचार के अनुसार कुछ व्यक्ति मिलकर, चाहे वे कोई भी हों, एक सहकारी समिति रजिस्टर कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसमें आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। चाहे वह ऊपर से बनाई जाए या नीचे से। इस किसान बैंक के रजिस्टर कराये जाने के लिये मैं जिम्मेदार हूं। मेरे मित्र कुछ और अर्थ लगा रहे हैं। वह समझते हैं कि केन्द्र से कार्य करने वाला केन्द्रीय संगठन अवांछनीय है। मैं समझता हूं कि इस समिति ने कोई गैर कानूनी बात नहीं की है। मैं समझता हूं कि वह देश के हित के लिए आवश्यक और लाभकारी है। मैंने अपने को अपनी गैर सरकारी स्थिति में उससे सम्बद्ध किया है कृषि मन्त्री के रूप में नहीं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : दो मन्त्रियों के बीच में मतभेद मालूम होता है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : इस मामले में सरकारी नीति क्या है ?

†**श्री नाथपाई** : अध्यक्ष महोदय, आपको इस मामले में सभा की सहायता करनी चाहिये। कल ही प्रधान मन्त्री ने यह कहा था कि आयोजन का अर्थ लाखों चीजों का समन्वय करना है। परन्तु यहां दो मन्त्री उसके विरुद्ध कर रहे हैं। हम इस मामले में आपकी सहायता चाहते हैं। आपको इन मन्त्रियों में से एक से यह कहना चाहिये कि वह यह बतायें कि ऐसा कैसे हुआ कि एक मन्त्रालय दूसरे का प्रत्यक्ष विरोध कर रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे भी उतना ही मालूम है जितना कि माननीय सदस्य सुन चुके हैं। श्री सु० कु० डे ने बताया कि किसी भी मन्त्री ने अपने को सरकारी हैसियत में उससे सम्बद्ध नहीं किया है। इतना ही नहीं कृषि मन्त्री ने भी यह कहा कि उन्होंने वैसा गैर-सरकारी हैसियत में किया।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : वह कहते हैं कि वह जिम्मेदार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदार हैं। इसलिये मन्त्रिमन्डल अथवा सरकार में किसी प्रकार का मतभेद नहीं कहा जा सकता है। गैर सरकारी रा ों में मतभेद हो सकता है। परन्तु चूंकि सरकार के सदस्यों की राय भिन्न भिन्न है उन्हें सभा में यह मतभेद नहीं प्रकट करना चाहिये। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिये और उन्हें समझौता कर लेना चाहिए।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इससे कृषि के विकास में बाधा नहीं होगी ? कृषि मन्त्री कृषि के विकास के लिये जिम्मेदार हैं जबकि सामुदायिक विकास मन्त्री उसकी सहायता करने के लिये जिम्मेदार हैं। परन्तु उनके विचार भिन्न भिन्न हैं। इसलिए समन्वय कैसे किया जाए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं उनसे आपस में समझौता करने के लिये कह रहा हूं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार की नीति प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की है। अतः क्या सरकार अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण करने का प्रयत्न करेगी जिन पर कुछ व्यक्तियों का नियन्त्रण है?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

दिल्ली को भाखड़ा से बिजली

†*२८५. { **श्री सै० अ० मेहदी :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री १ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली को भाखड़ा से उत्पन्न बिजली की बिक्री पर पंजाब सरकार द्वारा लगाय गय उपकर के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाया है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी) :** इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि क्या पंजाब सरकार दिल्ली में बिजली की बिक्री पर उपकर लगाने में विधि के द्वारा सक्षम है।

†**श्री सै० अ० मेहदी :** पंजाब सरकार इस उपकर के बारे में निर्णय लेने में कितना समय लेगी?

†**श्री हाथी :** इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार कोई निणय नहीं करेगी। मामला महा-अभ्यर्थी को भेज दिया गया है। दिल्ली प्रशासन तथा पंजाब सरकार अपने अपने विचार उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और तब मामले पर निर्णय किया जायगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या विभिन्न अन्य राज्यों के द्वारा इस प्रकार का उपकर नहीं लगाया गया है और यदि हां, तो पंजाब सरकार के इस अधिकार पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया जा रहा है?

†**श्री हाथी :** प्रश्न राज्य में उपभोक्ताओं पर उपकर लगाने का नहीं है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या अपने राज्य के बाहर काम में आई बिजली पर भी उपकर लगाया जा सकता है।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** दिल्ली में उपभोक्ताओं पर कर लगाने के पंजाब सरकार के अधिकार अथवा दौलता के प्रश्न के अतिरिक्त क्या सरकार सिद्धान्ततः यह ठीक नहीं समझती कि पंजाब सरकार को उपकर लगाने की अनुमति दी जानी चाहियें?

†**श्री हाथी :** जी नहीं। दिल्ली प्रशासन ने आपत्ति की है कि कानूनी तौर पर पंजाब सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। प्रश्न पर कानूनी तौर पर ही विचार किया जा रहा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या राजस्थान सरकार भी इस प्रस्ताव के आर्थिक पहलू पर ध्यान दे रही है और उनकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : मुझे राजस्थान सरकार की प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि पंजाब सरकार, सिंचाई और बिजली मन्त्रालय के परामर्श से इस प्रश्न के बारे में विद्युत् निर्णय करेगी । मैं जानना चाहता हूं कि सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय ने पंजाब सरकार को इसके बारे में क्या सलाह दी है ।

†**श्री हाथी** : अन्ततः यह निर्णय किया गया महा-अभ्यर्थी की राय ली जाय और दोनों राज्यों के विधि विभागों को अपना मामला उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिये । उसके बाद महा-अभ्यर्थी मामले में हमारा मार्ग दर्शन करेगा ।

यन्त्रीकृत फार्म

+

†*२८६. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री सूपकार :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री रामी रेड्डी :
श्री कर्णीसिंह जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सूरतगढ़ के यन्त्रीकृत फार्म की तरह के नये यन्त्रीकृत फार्म खोलने के प्रश्न के बारे में अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उप-मन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या रूसियों से इस बारे में कोई बातचीत हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इन फार्मों को बनाने के बारे में रूसियों से कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस काम के लिए सरकर ने एक समिति नियुक्त की है जो दौरा करके अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले हैं। आशा है कि इस महीने के अन्त तक उनका प्रतिवेदन हमें मिल जायेगा।

†**श्री पु० र० पटेल** : देश के अन्य साधारण फार्मों की तुलना में सूरतगढ़ फार्म पर प्रति एकड़ कितना धन व्यय हुआ और कितना उत्पादन हुआ ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु फिर भी मैं उत्तर देने को तैयार हूं। पिछले वर्ष यह प्रति एकड़ १२ मन तथा उससे पिछले वर्ष प्रति एकड़ २० मन था। राजस्थान के अन्य फार्मों की तुलना में उत्पादन लगभग दुगुना था। इस वर्ष में सूरतगढ़ में बड़ी अच्छी फसल खड़ी है और हमें बहुत अधिक उत्पादन की आशा है।

†**श्री पु० र० पटेल** : कितना धन व्यय किया गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इसके बारे में यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछें तो मैं बता सकूंगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस मिकैनाइज्ड फार्म के नमूने को देख कर दूसरे राज्यों में भी इस तरह के फार्म्स खोलने का सुझाव आया है और यदि हां तो किन किन राज्यों की ओर से ऐसा सुझाव आया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) : अब जहां पर भी उसके लिए एक जगह पर १०००० एकड़ से लेकर ३०००० एकड़ तक जमीन होगी और कुछ अन्य शर्तें जो कि कमेटी की रेकमेंडेशंस् में हैं, जहां भी यह सब बातें सुलभ होंगी वहां पर ऐसा फार्म खोला जा सकता है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : उपमंत्री ने बताया कि एक समिति नियुक्त की गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि सिमिति के कौन कौन से सदस्य हैं और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में वह कितना समय लेंगे ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस समिति में आठ सदस्य हैं, अर्थात्, हमारे मंत्रालय के सचिव, श्री डामले, श्री जोगेन्द्र सिंह संसद्-सदस्य, श्री जे० एस० पटेल, कृषि आयुक्त, श्री कंवर सेन, प्रशासक राजस्थान नहर परियोजना, मेजर-जनरल महादेव सिंह, महा-निदेशक, सूरतगढ़ फार्म, डा० पी० एस० लोकनाथन, श्री नवाब सिंह, सलाहकार, योजना आयोग, और श्री महावीर प्रसाद, सिंचाई सलाहकार।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : उप-मंत्री ने बताया कि बातचीत नहीं हो रही है। क्या वह दिल्ली में रूसी दूतावास में कृषि कार्यों के सलाहकार और मंत्री के इस वक्तव्य का विरोध कर सकते हैं कि देश के विभिन्न भागों में सूरतगढ़ के फार्मों के समान और राजकीय फार्म बनाने के बारे में बातचीत की जा रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : बातचीत होते रहने पर भी सरकार जब तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में किसी को बताती नहीं है। केवल सामान्यतः उसका जिक्र किया जाता है। अभी तक वह केवल इसी फार्म के लिए जिम्मेदार है। परन्तु वह बड़े उदार हैं और जब भी कभी आते हैं तभी सभी फार्मों को देखते हैं। जब तक बातचीतों पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक उनके बारे में बातें कहना बुद्धिमानी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : क्या सूरतगढ़ के यंत्रीकृत फार्म को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रूस से कितनी सहायता मिल रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : ऐसी बात नहीं है कि हम विदेशों से सहायता जरूरी लें । किसी फार्म को बढ़ाने अथवा नया फार्म बनाने की संभावना होने पर हम स्वयं ऐसा कर सकते हैं । यह आवश्यक नहीं है कि विदेशी सहायता जरूर ली जाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सरकार का कितने फार्म बनाने का विचार है और क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान नहरी क्षेत्र में आठ अथवा दस फार्म खोले जा सकते हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : माननीय सदस्य स्वयं सभी कुछ जानते हैं । हमने भी तीसरी योजना में लगभग ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । मैं समझता हूं कि सिंचाई आरम्भ होने पर उस क्षेत्र के दो अथवा तीन फार्म और बनाये जायेंगे ।

†**श्री त्यागी** : इस फार्म में मजूरी किस प्रकार दी जाती है ? क्या दैनिक मजूरी देने का पुराना पूंजीवादी तरीका अपनाया गया है अथवा रूसी तरीका अपनाया गया है जिसके द्वारा मजदूरों के दैनिक कार्य आदि के आधार पर मजूरी की गणना की जाती है जिससे उनमें काम करने का उत्साह बना रहे ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह फार्म पूरी तरह से यंत्रीकृत फार्म है जिसमें बहुत कम मजदूर नियुक्त हैं । यहां पर केवल ५०० व्यक्ति काम कर रहे हैं । बुआई तथा कटाई के समय हम नैमित्तिक मजदूर नियुक्त करते हैं जिनको दैनिक मजदूरी दी जाती है । स्थायी कर्मचारियों को मजूरी उसी प्रकार दी जाती है जिस प्रकार भारत के अन्य फार्मों में काम करने वाले मजदूरों कों दी जाती है ।

†**श्री त्यागी** : इस तरीके से उत्साहवर्द्धक नहीं होगा .....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न अन्य फार्मों की स्थापना के बारे में है । मजूरी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं इसको पूछने की अनुमति नहीं देता हूं ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि रूस में दो प्रकार के फार्म होते हैं 'कोलकोज़' तथा 'सोफोकोज़' वह 'कोलकोज़' के बारे में बता रहे हैं । हमारा फार्म 'सोफोकोज़' है ; यह राजकीय फार्म है ।

†**श्री त्यागी** : मैंने दोनों प्रकार के फार्मों को देखा है । इन दोनों प्रकार के फार्मों में मजूरी इस प्रकार दी जाती है जिससे उत्साहवर्धन हो और उत्पादन बढ़े ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमारा यंत्रीकृत फार्म रूस के सोफोकोज़ के समान ही है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि सूरतगढ़ के निकट दूसरा यंत्रीकृत फार्म बनाने के बारे में बातचीतें हो रही हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : बातचीत के अतिरिक्त भी हमारे पास राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहां १०,००० और ३०,००० एकड़ों के फार्म बनाये जा सकते हैं क्योंकि यह कम जन-संख्या वाला एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है । सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो जाने पर उस राज्य में ऐसे फार्म बनाये जा सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलौर पत्तन

+

†*२८७. { **श्री उस्मान अली खां :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के संभरण के वास्ते मंगलौर पत्तन का विकास करने में भारत की सहायता करने के लिए रूमानिया अथवा किसी अन्य देश ने अपनी इच्छा प्रकट की है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने पत्तन का विकास करने के प्रश्न को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई करार किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री उस्मान अली खां** : क्या चैकोस्लोवाकिया ने मंगलौर पत्तन के विकास में सहायता करने के लिए कहा है, क्योंकि वह भारत से २० लाख टन लौह अयस्क खरीद रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव हमसे नहीं किया गया है ?

†**श्री मुहम्मद इमाम** : कल वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने बताया था कि रूमानिया ने १० लाख टन लौह अयस्क के आर्डर हमें दिए हैं । समझौते के अनुसार किस पत्तन से यह लौह अयस्क उनको दिया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : संभवतया रूमानिया का ध्यान मंगलौर पत्तन की ओर हो । परन्तु उस पर काफी विचार करना है ।

†**श्री मुहम्मद इमाम** : मैंने यह पूछा है कि वर्तमान समझौते के अनुसार १० लाख टन लौह अयस्क उनको किस पत्तन से दिया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए ।

कोयले का यातायात

+

†*२८८. { **श्री मुरारका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री नथवानी :
श्री हेम बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय कोयले के यातायात के ढांचे में आधारभूत परिवर्तन करने की एक नई प्रणाली पर विचार कर रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

†रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कोयले के यातायात ढांचे में आधारभूत परिवर्तन करने की कोई नई प्रणाली विचाराधीन नहीं है। परन्तु तीसरी योजना में कोयले का उत्पादन बढ़ने पर, उसके यातायात को पूरा करने के लिए परिवहन क्षमता भी बढ़ाने के लिए नये प्रकार के भारी क्षमता वाले बौक्स वैगन चालू किए गए हैं। कोयला खानों तथा कोयला धोने के कारखानों से ऐसे वैगनों की गाड़ियों में कोयला, विभिन्न राज्यों में बनाये गये कोयला इकट्ठा करने के स्थानों पर लाया जायेगा और वहां पर इकट्ठा किया जायेगा।

(ख) (१) साधारण चार पहियों वाले वैगन में २२ टन भार आता है परन्तु बौक्स वगन में ५५ टन भार ले जाया जा सकता है इन वैगनों में सैन्टर बफर कपलर लगे होते हैं।

(२) सैण्टर बफर कपलर लगाने से बौक्स वैगनों वाली मालगाड़ी की भारवहन क्षमता ३०००/३६०० टन हो जायेगी जबकि साधारण वैगनों वाली माल की भारवहन क्षमता १८००/२००० टन होती है।

(३) बौक्स वैगनों की भारी गाड़ियों को चालू करने से कोयले का इकट्ठा यातायात किया जा सकेगा और कोयले की बढ़ी हुई मात्रा का यातायात उतनी ही गाड़ियों के द्वारा किया जा सकेगा जितनी अब चल रही हैं। इस प्रकार सभी विभागों पर अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(४) प्रसिद्ध उपभोग केन्द्रों में कोयले को इकट्ठा करने के स्थान बनाये जायेंगे। ऐसे कोयला इकट्ठे के स्थानों को कोयला, कोयला खानों से गाड़ियों में लाया जायेगा। इन स्थानों में कोयला सड़क अथवा रेल के द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को भेजा जायेगा।

†श्री मुरारका : दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निश्चित रेल द्वारा कोयला ढोने के ६०० लाख टन के लक्ष्य क्या पूरे हो चुके हैं अथवा कुछ कमी है ?

†रेलवे मन्त्री (श्री जगजीवन राम): १९५८ में योजना पर पुनः विचार करने के बाद उत्पादन लक्ष्य ६०० लाख टन में ३० अथवा ४० लाख टन कम कर दिये गये थे। तदनुसार परिवहन क्षमता के लक्ष्य ५१० लाख टन थे।

†श्री मुरारका : २९ नवम्बर के एक पहले प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि सितम्बर १९६० में प्रतिदिन ९,५०० वैगन मांगे गये थे परन्तु केवल ४,९०० वैगनों का सम्भरण किया गया था ; उसी प्रकार अक्तूबर में भी ८,५०० वैगन मांगे गये थे परन्तु सम्भरण केवल ५,१०० वैगनों का किया गया था। क्या यह सच है ? मैंने यह प्रश्न इस कारण पूछा है क्योंकि रेलवे उपमन्त्री ने एक बार बताया था कि इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय में जितने भी वैगनों की मांग थी उतने उनको दिये गये।

†श्री जगजीवन राम : आंकड़े मुझे मालूम नहीं। परन्तु जहां तक इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, उन्हें पूरी तरह पूरा किया जाता है। जैसा मैंने बताया, विभिन्न राज्यों अथवा विभिन्न उपभोक्ताओं को वैगनों का आवंटन उतना नहीं होता है जितना मांगा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका :** मैंने यह पूछा था कि इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय की मांग ६,५०० वैगनों की थी परन्तु उनके समस्त देश के लिये संभरण केवल ४,६०० वैगनों का किया गया । इसके क्या कारण थे ?

†**श्री जगजीवन राम :** समस्त देश के लिये ४,५०० वैगन नहीं हो सकते । केवल बंगाल-बिहार कोयला खानों को ही प्रतिदिन ५००० वैगन दिये जाते हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या कोयले के यातायात में कठिनाई होने के कारण रेल-सागर समन्वय समिति की सिफारिशों के अनुसार कुछ कोयले का तटीय नौवहन के द्वारा करने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम :** यह प्रश्न दूसरे मन्त्रालय के सम्बन्ध में है । परन्तु हम इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या तटीय नौवहन के द्वारा कोयले का यातायात किया जा सकता है और हमने कुछ उद्योग-पतियों से पूछा है कि क्या वह रेल के बजाय कुछ कोयला समुद्र के द्वारा ले जा सकते हैं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** कम मांग वाले मौसम में कोयले का यातायात करने की सरकार की योजना किस सीमा तक सफल हुई है ?

†**श्री जगजीवन राम :** माननीय सदस्य जानते हैं कि इस वर्ष कम मांग वाला मौसम कभी भी नहीं रहा क्योंकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आंशिक हड़ताल हुई थी । परन्तु कम मांग वाले मौसम में भी कोयले का यातायात करने के लिये कोयला इकट्ठा करने के स्थान बनाने होंगे । राज्य सरकारों तथा उद्योगपतियों से विभिन्न प्रदेशों में कोयला इकट्ठा करने के स्थान बनाने के लिये कहा गया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या यह सच नहीं है कि योजना के अधीन इस्पात संयन्त्रों को कोयले का यातायात करने की रेलवे की क्षमता १०० लाख टन निश्चित की गई थी परन्तु आशा केवल ७५ लाख टन कोयले के यातायात की है । इस प्रकार २५ लाख टन का अन्तर रह जायेगा ? क्या यह भी सच नहीं है कि रेलवे की दूसरी योजना में निश्चित लक्ष्य भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों से ३० से ४० लाख टन कम हैं ?

†**श्री जगजीवन राम :** इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में यह समझा गया था कि उनको ६० लाख टन की आवश्यकता होगी । परन्तु अब उनकी पूरी मांग ७५ लाख टन से पूरी हो गई है ।

पर्यटन

+

†*२८९. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री कोडियान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्यटन के लिये निर्धारित की गयी राशि में वृद्धि करने के लिए पर्यटन विकास परिषद् की सिफारिश पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) पर्यटन विकास परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर योजना आयोग ने विचार कर लिया है।

(ख) आयोग ने राज्य योजनाओं में पर्यटन के लिये अधिक धन का आवंटन करने के प्रस्ताव लेना स्वीकार कर लिया है परन्तु यह प्रस्ताव विभिन्न राज्यों की योजनाओं के लिए आयोग द्वारा निश्चित धनराशि से अधिक नहीं होने चाहियें। केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन के लिये आवंटनों में बढ़ोत्तरी का प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री रा० चं० माझी:** तीसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन विकास परिषद् ने कितनी धनराशि मांगी है तथा विदेशी मुद्रा की आय से होने वाली प्राक्कलित आय कितनी है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य पर्यटन विभाग के बारे में पूछ रहे हैं। पर्यटन विभाग ने लगभग ११ करोड़ रुपये की योजनाओं के प्रस्ताव भेजे थे जिनमें से केन्द्रीय क्षेत्र के लिए योजना आयोग में ३·५ करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र के लिए १·५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी परन्तु बाद में योजना आयोग ने यह स्वीकार कर लिया कि यदि सम्बन्धित राज्य आवंटनों की अधिकतम सीमा नहीं बढ़ायें तो वह ३·७५ करोड़ रुपये तक व्यय कर सकते हैं।

पिछले वर्ष विदेशी मुद्रा से १९ करोड़ रुपये की आय हुई थी और आशा है कि आगामी वर्षों में २० करोड़ से २५ करोड़ रुपये हो जायेगी।

श्री भक्त दर्शन: पर्यटन उद्योग के लिये योजना आयोग ने जो धनराशि रखी है या रखने का विचार कर रहा है, क्या माननीय मन्त्री जी उससे सन्तुष्ट हैं ? यदि सन्तुष्ट नहीं हैं तो क्या वह इसमें बढ़ोतरी के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : सन्तुष्ट होने वाली बात तो ऐसी है कि जिसके बारे में शायद निर्णायक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन यह अवश्य कहा जायगा कि जितने भी देश के साधन हैं, उनको देखते हुए जितना कुछ भी प्लानिंग कमीशन ने उचित समझा, उतना एलोकेट करने का विचार किया है।

†**श्री अन्सार हरवानी** : पर्यटकों को उत्तम होटल सुविधायें देने के लिये इस आवंटन में से कितना धन व्यय किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : होटल उद्योग को सहायता देन के प्रश्न पर वित्त मन्त्रालय ; अलग से विचार किया जा रहा है। उनका विचार होटल उद्योग को ऋण द्वारा सहायता देने का है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** एक विश्व तथा विश्व संघ बनाने के लिय पर्यटन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लार्ड एटली भी भारत इसी उद्देश्य से आये हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिये साधारण होटलों की व्यवस्था करने के क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि पर्यटन का विस्तार करने से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। विभाग इसके बारे में अपनी जिम्मेदारी समझता है। अल्प आय वर्ग के पर्यटकों को निवास देने के लिये हम लगभग २५ लाख अल्प आय विश्राम गृह बना रहे हैं। इस अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए उचित व्यय के होटलों की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : राज्य सरकारों से जो यह कहा गया है कि वे अपनी धनराशियों को बढ़वाने के लिये सुझाव दे सकती है; मैं जानना चाहता हूं कि किन किन राज्य सरकारों ने इस बारे में प्रस्ताव भेजे हैं और कितनी कितनी रकमों की मांग की है ।

श्री राज बहादुर : लगभग सभी राज्य सरकारों ने, कितनी राशि भी एलाट की गई है, प्लानिंग कमीशन ने जो तजवीज किया था, उससे ज्यादा की मांग की है । पूरी फहरिस्त माननीय सदस्य चाहें तो मैं सभा पटल पर रख सकता हूं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : पर्यटकों के लिये युवक होस्टलों की व्यवस्था से उनको उत्साह मिलता है इस कारण क्या विभाग ने यह निर्णय कर लिया है कि इस आन्दोलन को चालू किया जाये अथवा इसको इसी रूप में रखा जाये ।

†**श्री राज बहादुर**: युवक होस्टलों का सम्बन्ध शिक्षा मन्त्रालय से है वही युवक होस्टल आन्दोलन को चला रहे हैं । हम भी शिक्षा मन्त्रालय का इस बारे में सहयोग देने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि तीसरे फाइव ईयर प्लान में मुकामी टूरिज्म को, अन्दरूनी तौर पर हिन्दुस्तान में टूरिज्म को फरोग़ देने के लिये क्या कोशिश की जाएगी और किस कद्र रकम मखसूस की गई है ?

श्री राज बहादुर : यह तो बहुत लम्बा चौड़ा सवाल है.....

श्री अ० मु० तारिक : सवाल तो लम्बा चौड़ा नहीं है, वह तो छोटा ही है । जवाब लम्बा हो सकता है ।

श्री राज बहादुर . इस पूरी तफसील देने में तो काफी समय लग जाएगा और अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं एक स्टेमेंट बनवा कर पेश कर दूंगा ।

उर्वरक के मूल्य सम्बन्धी नीति

†*२९१. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक की मूल्य नीति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन व संशोधन किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या, और उन का उर्वरक के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) वितरण के लिये प्राप्त कुल उर्वरक के सम्बन्ध में अब क्या स्थिति है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपरोक्त उत्तर की दृष्टि से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १९६०-६१ में वितरण के लिये अमोनिया सल्फेट की कुल अनुमानित उपलब्ध मात्रा १०,८६,००० मीट्रिक टन है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि कुछ राज्यों में उर्वरकों की बिक्री और वितरण के मामले में अत्यधिक आपत्तिजनक वित्तीय अनियमिततायें हुई हैं —प्रमुख रूप से पंजाब में जहां राज्य की लोक लेखा समिति ने कहा है कि ७० लाख रुपये से अधिक अन्तर्ग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में कुछ कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी, हां । हम ने एक समिति नियुक्त की है । मुझे वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं है । परन्तु वितरण के मामले में अनियमिततायें पाई गई हैं और कुछ त्रुटियां भी देखी गई हैं और समिति की नियुक्ति कर दी गई है । इस के प्रतिवेदन के पश्चात् सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा है कि एक समिति नियुक्त कर दी गई है और उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ अनियमितितायें पाई गई हैं । सरकार उन अनियमितताओं को रोकने या समाप्त करने के लिये क्या कर रही है, इस के लिये समिति की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इन में से अधिकतर अनियमितितायें राज्यों और उन के अभिकरणों से सम्बन्धित हैं । हमारा सम्बन्ध तो इतना ही है कि हम पर्याप्त मूल्यों पर तथा बिना विलम्ब कृषकों को उर्वरक देने का प्रयत्न करें । ये प्रक्रिया सम्बन्धी मामले हैं जिन के बारे में समिति सिफारिश करेगी । उस की सिफारिशें मिलने के उपरान्त हम उन की जांच करेंगे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : आज हम ने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि बहुत सी उर्वरक फैक्टरियों की मंजूरी दी गई है और उन की सहायता की जायगी । क्या इन की मंजूरी देने से पूर्व क्या मूल्य नीति के बारे में कोई समझौता करने का कोई प्रयास किया गया है, जिस का ये उर्वरक फैक्टरियां पालन करेंगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख**: हम ने न्यूनाधिक एक अस्थायी निणर्य कर लिया है कि इस समय हम जो उर्वरक पुंज चला रहे हैं, वह चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास वितरण के लिये काफी संभरण न हो ।

†**श्री ब्रजराज सिंह**: पहले प्रश्न के उत्तर में जिस का उस प्रश्न में उल्लेख किया गया है, यह कहा गया था कि सरकार उर्वरक पुंज को उर्वरक देने के मामले में सिन्दरी फैक्टरी से सरकार को कुछ लाभ हो रहा है । ये लाभ क्या है ? क्या उर्वरक पुंज को राज्यों और उपभोक्ताओं को उर्वरक बेचने से कई लाभ होता है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये क्योंकि मैं वास्तविक लाभ बताने में समर्थ नहीं हूं । पुंज चलाने के बाद कुछ राशि बचती है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : पिछले प्रश्नों में भी यह बात पूछी गई थी और फिर भी आज माननीय मंत्री पूर्व सूचना मांगते हैं । उन्हें कम से कम इस बात के उत्तर के लिये तैयार रहना चाहिये था ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : सिन्दरी फैक्टरी के अतिरिक्त, जिस के आंकड़े हमारे पास हैं और हम दे सकते हैं, हालांकि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, अन्य फैक्टरियों के आंकड़े तैयार करने हैं । जहां बहुत सी उर्वरक फैक्टरियां हैं, और वे विभिन्न कच्चे मालों पर आधारित हैं, उन में से कुछ कोयले पर, कुछ लिग्नाइट पर, जो कुछ उन को मिल जाय, तो वहां एक ही मूल्य नहीं हो सकता । इसलिये उन मूल्यों को समान रखने के लिये पुंज बनाने की आवश्यकता होती है । यदि किसी फैक्टरी में थोड़ा लाभ होता दिखाई देता है क्योंकि वहां भिन्न प्रकार का कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है, तो वह लाभ दूसरी फैक्टरियों को भी इस रूप में देना पड़ता है जहां मूल्य वही न हों । परन्तु वह सही चित्र वास्तव में तब होगा यदि ये कई फैक्टरियां चलने लगीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख :** सिन्दरी को लाभ हुए हैं या नहीं इस के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। परन्तु माननीय मित्र के सन्तोष के लिये मैं पुंज पूरा किये गये लाभ की कुल राशि बता सकता हूं जो १२,७९,५२,९१६ रुपये है ।

†**श्री त्यागी :** क्या एक वर्ष में ?

†**डा० पं० शा० देशमुख:** १९४९ से ले कर इन सब वर्षों में ।

†**श्री त्यागी :** क्या यह लाभ उन उर्वरकों की बिक्री से हुआ है ? क्या यह कर नहीं है ? कितने करोड़ कमाया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस्पात, सीमेंट, उर्वरक आदि के पुंज हैं । यह सिद्धान्त का सामान्य प्रश्न है कि आया समानीकरण किया जाय या कि नहीं । प्रत्येक मामले में किसी न किसी पर कर लगाया जायगा, उत्पादन पर या उपभोक्ता पर । जब तक लाभ नहीं होता, पुंज का उद्देश्य क्या है ? हम सिद्धान्त के मामले में बहुत अधिक पड़ रहे हैं । यदि माननीय सदस्य इन पुंजों से निकलना चाहते हैं तो मैं बजट चर्चा में उन को बोलने का पर्याप्त अवसर दूंगा ।

†**श्री त्यागी :** यह न्यूनाधिक रूप से एक उत्पादन शुल्क है । उर्वरकों से १४ या १५ करोड़ रुपये का कर किसानों का लगाया गया है । यह सब लोगों के विचार करने का मामला है और आप को कम से कम संसद् के अधिकारों के रक्षण के लिये इस का निर्णय करना चाहिये । यह देखना किसी नागरिक का शोषण न हो और संसद् की मंजूरी के बिना कर न लगाया जाय यह संसद् का विशेषाधिकार है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस के गुण दोष में नहीं पड़ना चाहता । मैं केवल यह कह सकता हूं कि ये सिद्धान्त के मामले हैं जिन का आज तक पालन किया जाता रहा है ; उन्हें प्रश्न काल में नहीं उठाया जाना चाहिये । माननीय सदस्य अपने मत इस समय संभाल कर रखें उन्हें उन की चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा । जब मांगें प्रस्तुत होंगी वे इस विषय पर बोल सकते हैं : वे कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं और यदि उन के पक्ष में पर्याप्त सदस्य होंगे तो सभा का विभाजन भी करवा सकते हैं ।

श्री त्यागी : वह संसद् की मंजूरी के बिना इतनी अधिक आय कैसे कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य आवेश में आ रहे हैं । मैं ने कई बार कहा है कि इस मामले को प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता और विशेष कर अनुपूरक के रूप में । माननीय सदस्य दुर्भाग्य से वित्त मंत्री नहीं हैं . . . (**अन्तर्बाधाएं**) अगला प्रश्न । 'दुर्भाग्य से' शब्द के स्थान पर 'सौभाग्य से या दुर्भाग्य से' कहूंगा वह 'दुर्भाग्य से' या 'सौभाग्य से' वित्त मंत्री नहीं हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** हो सकता है, माननीय सदस्य ने वहां अपना नाम छोड़ा है .... (**अन्तर्बाधाएं**) ।

पर्यटन

†*२९२. **श्री कोडियान :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में जितनी धन राशि निर्धारित की गयी थी, उस सारी के खर्च हो जाने की संभावना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं ; तो पूरी राशि खर्च न हो सकने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के लिये की जाने वाली व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई अन्तिम निश्चय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) योजना में सम्मिलित अधिकांश योजनायें निर्णय परियोजनाओं के रूप में थी । उपयुक्त स्थान चुनने और अभिग्रहण करने में कठिनाइयां थीं क्योंकि दूसरी योजना में पर्यटन नया कार्यक्रम था, योजनाओं की क्रियान्विति सम्बन्धी प्रक्रिया तय करने में कुछ समय लगा । परिणाम यह हुआ कि दूसरी योजना अवधि के पहले भाग में विभिन्न योजनायें आरम्भ नहीं की जा सकीं ।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्री कोडियान :** दूसरी योजना में विदेशी मुद्रा की कमाई का क्या लक्ष्य निर्धारित था और क्या वह पूरा किया गया ?

†**श्री राज बहादुर :** केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के लिये ११० लाख रुपये, राज्य योजनाओं के लिये १३३ लाख रुपये तथा जम्मू और काश्मीर राज्य के लिये ९५ लाख रुपये का आवंटन था ।

†**श्री कोडियान :** मेरा प्रश्न भिन्न था कि दूसरी योजना में पर्यटन से कितनी विदेशी मुद्रा कमाने का लक्ष्य रखा गया था और क्या वह पूरा हुआ ।

†**श्री राज बहादुर :** मुझे खेद है कि मैं ने प्रश्न को गलत समझा । इस प्रकार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया । हमारी केवल कुछ आशायें थी कि हम इतनी विदेशी मुद्रा कमा लेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह इसे लक्ष्य कहते हैं । प्रत्याशा कितनी थी ?

†**श्री राज बहादुर :** पिछले वर्ष हम ने लगभग १९ करोड़ रुपये कमाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** किसी विशिष्ट वर्ष के लिये क्या प्रत्याशा थी ? प्रत्याशा क्या थी और कमाई कितनी थी ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं पांचों वर्षों के आंकड़े बताने में असमर्थ हूं । पिछले वर्ष हम ने १९ करोड़ रुपये कमाये उससे पहले लगभग १७.१५ करोड़ रुपये और उससे पहले १५.१६ करोड़ रुपये कमाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह प्रत्याशा जानना चाहते हैं ।

†**श्री राज बहादुर :** यह बड़ी अस्पष्ट चीज है, हम ने कोई प्रत्याशा नहीं की ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

नई रेलवे लाइनें

†*२९४ { **श्री आसर :** +
श्री वाजपेयी :
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर और पंजाब में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में २५ करोड़ रु० की रकम की और मंजूरी दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि की मंजूरी दी गयी है ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये कार्यक्रम बना लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री तंगामणि**: क्या सरकार ने दक्षिण रेलवे पर नई लाइनें बिछाने के बारे में, अन्तिम फैसला कर लिया है, और यदि हां, तो उसके लिये कितना आवंटन किया जा रहा है, क्योंकि एक ससाचार-पत्र रिपोर्ट थी कि योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि २५ करोड़ अधिक रुपये नवीन रेलव लाइनों के निर्माण के लिये आवंटित करने होंगे और इसका अधिकांश भाग दक्षिण क्षेत्र में खर्च किया जाएगा । तीसरी योजना के कुल आवंटन या इस २५ करोड़ रुपये में से कितनी राशि दक्षिण रेलवे पर खर्च की जाएगी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इरादा यह है कि दक्षिण में तथा देश में कुछ और भागों में कुछ नई रेलवे लाइन बिछाने का काम आरम्भ किया जाए । इस मामले पर इस काम के लिये रेलवे को अधिक आवंटन देने के लिये योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है और ज्यों ही निर्णय हो जाएगा, हम कह सकेंगे कि अमुक लाइनें आरम्भ की जाएंगी।

†**श्री नाथपाई** : रेल मन्त्री ने अपने बजट भाषण में बताया है कि यदि अधिक आवंटन हो गया तो उसका मन्त्रालय दक्षिण में नई लाइनें खोलने का विचार करेगा । क्या कोंकन दक्षिण में शामिल है और क्या वह उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेगे ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह सब अधिक आवंटन पर निभर है कि उसमें कौनसी लाइनें शामिल की जाएंगी या नहीं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस प्रस्ताव में पंजाब की कोई लाइन भी शामिल की जाएगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य को भूगोल के बारे में अपना ज्ञान ताजा करना होगा; पंजाब दक्षिण में नहीं है ।

श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे बोर्ड ने माधोपुर से जम्मू तक कोई नई रेलवे लाइन निर्मित करने की योजना बनाई है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जी हां, माधोपुर से कठुआ तक के लिये एक योजना है ।

श्रीमती कृष्णा मेहता : मैं जम्मू के लिये कहती हूं ।

†**श्री आचार** : प्रारूप योजना जो कुछ दिया गया है उसके अतिरिक्त इन नवीन रेलवे लाइनों पर कितनी राशि खर्च की जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य के मन में हसन मंगलौर है । उनके लिये पूरे अधिक आवंटन का कोई मतलब नहीं । ज्यों ही मंगलौर पत्तन का फैसला हो जाएगा वहां रेलवे लाइन आरम्भ करनी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आचार** : मेरा प्रश्न मंगलौर के बारे में नहीं। प्रारूप योजना में जो कुछ उपबन्ध किया गया है उसके अतिरिक्त, कितनी राशि खर्च करने का विचार किया जा रहा है? उपयोगिता कामों के लिये जो औद्योगिक लाइनें बनाई जा रही हैं, उनके अतिरिक्त, नई लाइनें किस प्रकार बनाई जा रही हैं और उन पर कितनी राशि खर्च करने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जिस राशि का विचार किया जा रहा है उस के आधार पर नई लाइने आरम्भ नहीं की जाएंगी। वे उन क्षेत्रों में होंगी जब उनकी आवश्यकता होगी।

†**श्री स० चं० सामन्त** : फारक्का बांध के बारे में प्रश्न संख्या ३१५ को लिया जाए ; यह महत्वपूर्ण है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : यह प्रश्न लिया जाए।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : आज कटौती प्रस्ताव है और मैं उस का उत्तर देने वाला हूं। यह प्रश्न के उत्तर से अधिक विस्तृत होगा।

मध्य प्रदेश का डाक तथा तार मुख्यालय

*२९६. **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य के बहुत से जिले अन्य राज्यों के मुख्यालयों के अधीन आते हैं जिसके कारण कार्य में विलम्ब होता है ;

(ख) क्या नागपुर, जयपुर और लखनऊ स्थित डाक तथा तार मुख्यालयों से यह पूछताछ की गई है कि क्या इस प्रणाली के कारण कार्य निबटाने में विलम्ब होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के डाक तथा तार मुख्यालय को भोपाल में स्थापित करने का निर्णय किया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). इस समय मध्य प्रदेश राज्य एक से अधिक डाक-तार परिमण्डलों के अधिक्षेत्रों के अन्तर्गत है। समूचे मध्य प्रदेश राज्य को एक डाक-तार परिमण्डल के अधीन लाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

श्री रा० स० तिवारी : माननीय मन्त्री जी ने अभी बतलाया कि इस प्रश्न की जांच की जा रही है, जबकि मन्त्री जी को मालूम है कि हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों से बड़ा यह प्रदेश है, और उसमें पोस्ट आफिस का मुख्य केन्द्र न होना कितनी लज्जाजनक बात है।

श्री राज बहादुर : अभी तक सिद्धान्त रूप में यह बात स्वीकार नहीं की गयी है कि हर एक राज्य के पीछे एक डाक-तार परिमण्डल हो। किन्तु ये कठिनाइयां जो अनुभव की जा रही हैं उनको दृष्टि में रखते हुए इस बात की जांच की जा रही है कि इसको किस प्रकार से पूरे डाक-तार परिमण्डल में परिणित किया जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रा० स० तिवारी : माननीय मन्त्री जी कितने साल में इसका निपटारा कर पायेंगे ?

श्री राज बहादुर : जितनी शीघ्र मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भोपाल में इसके लिये आवश्यक स्थान की व्यवस्था कर देगी उतनी ही जल्दी यह काम हो सकेगा ऐसी मैं आशा करता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रिवेन्द्रम में दुग्धशाला परियोजना

†*२९०. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम की दुग्धशाला परियोजना के कार्य में, जिसके लिये भारत सरकार वित्तीय सहायता दे रही है, क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस परियोजना को मिल्क सप्लाईज यूनियन को सौंपने की कोई प्रस्थापना है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या सावधानी बरती गयी है और क्या प्रत्याभूति ली गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) त्रिवेन्द्रम दुग्धशाला की इमारत पूरी हो चुकी है । सन्यन्त्र का स्थापना कार्य आरम्भ हो चुका है और शीघ्र ही पूण होने की आशा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जिन शर्तों और निबन्धनों पर परियोजना जिला सहकारी दुग्ध सम्भरण संघ त्रिवेन्द्रम को दिया जाएगा, उनका अभी केरल सरकार द्वारा अन्तिम रूप में फैसला नहीं किया गया है । अपने हितों की रक्षा करने के लिये केरल सरकार स्वभावत: पर्याप्त उपाय करेगी ।

कोयला खानों को माल-डिब्बों का आवंटन

†*२९३. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री कोरटकर :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी को दिसम्बर, १९६० में प्रतिदिन औसतन कितने माल-डिब्बे दिये गये;

(ख) कम्पनी ने कितने डिब्बों की मांग की थी; और

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि ५०,००० टन से अधिक कोयला खानों के बाहर पड़ा हुआ है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) काम करने के प्रति दिन २९७ माल डिब्बे ।

(ख) काम करने के प्रति दिन ३४७ माल डिब्बे ।

(ग) जी हां, किन्तु इसका आधा भाग अब मुंडामारी की नवीन कोयला खान पर है, जो अपनी कठिनाइयों के कारण माल भरने के लिये इसे बेलमपल्ली तक भेजने में समर्थ नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) (१) कोयला खानों को कहा गया है कि वे रविवार समेत सप्ताह भर एक रूप ढंग से माल भरें।

(२) कोयला खानों को कहा गया है कि कोयला खानों के गड्ढों के स्टाक को साफ करने के लिये कोयला भरने के लिये बन्द माल डिब्बे भी स्वीकार करें।

(३) मुंडामारी की साइडिंग को मिलाने का चाम भी आरम्भ कर दिया गया है, ज्यों ही कोयला खान के मिट्टी बिछाने का काम पूरा किया, और इसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा।

चीनी

†*२९५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष चीनी का कितना अतिरिक्त उत्पादन होगा ;

(ख) इसके लिये निर्यात का क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) मण्डी में खुली बिक्री के वास्ते विभिन्न राज्यों के लिये क्या नीति निर्धारित की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) अनुमान है कि १९६०–६१ ऋतु में लगभग पांच लाख टन फालतू उत्पादन होगा।

(ख) सितम्बर, १९६० में निर्यात के लिये ५०,००० टन दी गई थी और जनवरी, १९६१ में और ५०,००० टन। यथासमय अधिक मात्रा में चीनी दी जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी बेचने के अतिरिक्त, अमरीका से निर्यात अभ्यंश प्राप्ति के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों में चीनी के वितरण और विक्रय की वर्तमान नीति जारी रखी गई है।

सहकारी कृषि

†*२९७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी कृषि के बारे में देश में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) ऐसे कितने और कौन से राज्य हैं जिन में यह आन्दोलन बिल्कुल प्रारम्भ नहीं किया गया ;

(ग) इस का क्या कारण है ; और

(घ) इस आन्दोलन को तेज करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) १९५७-५८ के अन्त में १६४४ संयुक्त तथा सामूहिक कृषि संस्थायें थीं। १९५८-५९ में उन की संख्या बढ़ कर १८५७ और १९५९-६० में २४७५ हो गई।

(ख) ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस ने आन्दोलन आरम्भ नहीं किया।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) आन्दोलन की गति तेज करने के लिये अपनाये गये उपाय बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७५।]**

विमान यातायात

†*२९८. **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में अन्तर्देशीय वायु-यातायात में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) बढ़े हुए यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अन्तर्देशीय सेवाओं के लिये कौन से नये विमान खरीदने का विचार है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां। निगम की प्रत्याशा के अनुसार हाल के महीनों में अन्तर्देशीय विमान यातायात में बड़ी वृद्धि हुई है।

(ख) तथा (ग). निगम ने ५ फोकर फ्रैंडशिप विमान खरीद आर्डर दे दिये हैं, जो मार्च, अप्रैल, और मई १९६१ में मिलेंगे। ये विमान अधिकांशत: आसाम क्षेत्र में चलाये जायेंगे।

निगम भी पुराने वाइकाउंट खरीदने के लिये वार्तालाप कर रहा है।

कांडला पत्तन

†*२९९. **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री मुरारका :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सिन्धु हौचटिफ (इंडिया) लिमिटेड और कांडला पत्तन प्राधिकारियों के बीच मध्यस्थनिर्णय सम्बन्धी कार्यवाही पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) ठेकेदारों पर कितना जुर्माना किया गया है और उन से यदि कोई वसूली हुई है, तो कितनी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) और (ख). जी, नहीं । मध्यस्थों ने अभी तक तीन अन्तरीय पंचाट दिये हैं जिन के अनुसार यह समझा जाता है कि ठेकेदार को लगभग १५.४ लाख रुपये की राशि का हक है ।

(ग) कांडला पत्तन प्रशासन ने फरवरी, १९५८ में ठेकेदार से निश्चित तिथि तक कार्गो जेटी ट्रांजिट शेड, मालगोदाम, रेलवे और सड़कों के निर्माण-कार्य की पूर्णता में विलम्ब करने के लिये, २५ लाख रुपये के प्रतिकर की अदायगी की मांग की थी । ठेकेदार से यह राशि वसूल नहीं की गई है क्योंकि यह समझौता हुआ था कि मामला मध्यस्थता के लिये भेजा जाये ।

रेलों पर चलते-फिरते पुस्तकालय

*३००. **श्री विभूति मिश्र :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री पांगरकर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक रेलवे महाखण्ड में रेलवे कर्मचारियों के लिये चलते-फिरते पुस्तकालय की शुरुआत जनवरी, १९६१ से की गई है ;

(ख) अब तक कौन-कौन से महाखण्डों में चलते-फिरते पुस्तकालय आरम्भ किये गये हैं ;

(ग) इन पुस्तकालयों के लिये किन-किन विषयों पर पुस्तकें प्राप्त की गई हैं ;

(घ) ३१ जनवरी, १९६१ तक पुस्तकें खरीदने पर कितना व्यय किया गया है ; और

(ङ) इन पुस्तकों से रेलवे कर्मचारियों ने कहां तक लाभ उठाया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). मध्य और पश्चिम रेलों में चलते-फिरते पुस्तकालय जनवरी, १९६१ में खोले गये । लेकिन पूर्वोत्तर और पूर्व रेलों में चलते-फिरते पुस्तकालय क्रमश: दिसम्बर, ५८ और मार्च, ५९ से चालू हैं ।

(ग) इन के लिये साहित्य, दर्शन, संस्कृति, स्वास्थ्य, समाज शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, गांधी-साहित्य, बाल-साहित्य आदि विभिन्न विषयों की पुस्तकें ली गई हैं ।

(घ) लगभग २०,००० रुपये ।

(ङ) चलते-फिरते पुस्तकालयों की योजना छोटे स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों को पढ़ने के लिये पुस्तकें आदि देने के उद्देश्य से चलाई गई हैं, ताकि वे अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें। पूर्व और पूर्वोत्तर रेलों में, जहां यह योजना कुछ समय से चालू है, काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है ।

तार

*३०१. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि कुछ दिनों से लखनऊ से जो तार बम्बई भेजे जाते हैं वे वहां नहीं पहुंच पाते और कानपुर में ही पड़े रह जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस का कारण क्या है ; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

डाक टिकटों में हिन्दी

*३०२. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक के टिकटों पर हिन्दी भाषा में अंकित शब्दों को हटा दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केवल हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या ऐसा करने से कोई आर्थिक लाभ हुआ है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). जी नहीं ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नही उठते ।

श्रीनगर में टेलीफोन व्यवस्था

*३०३. **श्रीमती कृष्णा मेहता** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्दियों में श्रीनगर में टेलीफोन व्यवस्था ठीक प्रकार से काम नहीं करती ; और

(ख) यदि हां, तो इसे सुधारने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख). सदन के सभा-पटल पर एक विवरण पत्र रखा जाता है ।

विवरण

(क) यह कहना ठीक नही कि सर्दियों में श्रीनगर में टेलीफोन व्यवस्था ठीक प्रकार से काम नहीं करती । फिर भी सर्दियों में श्रीनगर में बर्फीले तूफ़ान तथा भारी हिमपात होने के कारण टेलीफोन व्यवस्था पर असर पड़ता है, जैसाकि लगभग प्रत्येक दूसरी सेवाओं पर भी पड़ता है । जब भारी हिमपात या भीषण तूफान आता है तो टेलीफोन के खंभों और तारों के टूटने या उखड़ जाने की संभावना रहती है ।

(ख) प्राकृतिक दुर्घटनाओं के असर को पूरी तौर पर दूर तो नहीं किया जा सकता, फिर भी जहां तक संभव हो सका है अधिक से अधिक लाइनों को ज़मीन के नीचे स्थानान्तरित कर के

उन का असर बहुत कुछ कम कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप जबकि १९५९-६० की सर्दियों में ६०० बार खराबियां हुईं, १९६०-६१ की सर्दियों के दौरान में केवल २०० बार खराबियां हुईं, हालांकि उस वर्ष पहले से अधिक हिमपात हुआ था।

फरक्का बान्ध

†*३०४. **श्री हेम बरुआ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का में बान्ध बनाने की परियोजना क्रियान्वित की जाने के लिये तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त बान्ध का निर्माण कार्य शुरू करने की तिथि निश्चित हो चुकी है : और

(ग) इस परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी, हां, परियोजना प्रतिवेदन अप्रैल १९५९ से तैयार है और निर्माण से पहले विस्तृत डिजाइन तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) फरक्का बांध परियोजना का बायां प्रवाह बांध पहले ही पूरा हो चुका है। परियोजना के बड़े भागों का अग्रेतर निर्माण चल रहा है।

(ग) परियोजना में फरक्का में गंगा नदी के ऊपर एक बांध बनाने, २६ मील लम्बी एक सहायक नहर बनाने जिस का मुहाना भागीरथी नदी में होगा तथा सहायक नहर के मुहाने के नीचे जंगीपुर में एक बांध बनाने का विचार है।

संयुक्त राज्य अमरीका से पब्लिक ला ४८० के अन्तर्गत गेहूं की खेप

†*३०५. **श्री महावीर त्यागी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पहाड़िया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका से पब्लिक ला ४८० के अन्तर्गत भारत में गेहूं लाने वाले एक जहाज को मार्ग में क्षति पहुंची ;

(ख) यदि हां, तो कितना गेहूं नष्ट हो गया; और

(ग) क्या माल का बीमा नहीं किया हुआ था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). पोर्टलैंड ट्रेडर जहाज जो अमरीका से ९८०० लौंग टन गेहूं ला रहा था, फिलिपीन में सुलु समुद्र में, खराब हो गया। अनुमान है कि खराब गेहूं की मात्रा १३०० टन से अधिक नहीं है।

(ग) माल का किसी बीमा कम्पनी के पास बीमा नहीं करवाया था, क्योंकि सरकार बीमे की जोखिम स्वयं उठाती है।

बी० सी० जी०

†*३०६. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में २५ वर्ष की आयु के उन सब लोगों को, जिनके रोगग्रस्त होने की संभावना हो सकती है, बी० सी० जी० आन्दोलन के प्रथम चरण में टीके लगाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस की पूर्ति में कितनी कमी रही है; और

(ख) क्या सरकार ने इस कार्य की कार्यान्विति के लिये इंडियन मेडिकल ऐसोसियेशन द्वारा सहयोग देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) आशा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक, संदेह वाली ११०० लाख जनता के लक्ष्य में से ९०० लाख लोगों को, जिनमें ६०० लाख २५ वर्ष की आयु से कम होंगे, बी० सी० जी० लगाई जायेगी।

(ख) मामला विचाराधीन है।

भारत और लंका के बीच नौका सेवा

†*३०७. श्री सुब्बया अम्बलम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धनुषकोडि और तलइमन्नेर के बीच नौका सेवा को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को भारत और लंका के लोगों से नौका सेवा को जारी रखने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्योंकि धनुषकोडि और तलइमन्नेर के बीच नौका सेवा सन् १९१४ में इस के चालू किये जाने के समय से वर्ष १९४२ से १९४६ तथा युद्ध के वर्षों और १९४८-४९ के अतिरिक्त नुकसान पर चल रही है और क्योंकि धनुषकोडि में समुद्र बहुत गम्भीर कटाव कर रहा है, रेलवे बोर्ड परिवहन तथा संचार मंत्रालय के परामश से इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि वर्तमान नौका सेवा पर रेलवे की आस्तियों को पूर्वी नौवहन निगम को सौंप दिया जाये जो पूर्णतः सरकारी उपक्रम है ताकि वह इस समय तलाइमन्नेर और धनुषकोडि के बीच और बाद में तूतीकोरिन और कोलम्बो के बीच सेवा चलायें। तथापि, इस मामले में अभी तक सरकार ने अन्तिम रूप से कोई निश्चय नहीं किया है।

†मूल अंग्रेजी में

श्रीलंका अथवा भारत में जनता से सीधे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, धनुषकोडि पंचायत से सीधे और मद्रास सरकार के जरिये भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मद्रास सरकार न और श्रीलंका सरकार रेलवे ने भी दक्षिण रेलवे से यह पूछताछ की है कि क्या वर्तमान नौका सेवा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है। मद्रास के 'हिन्दू' समाचार पत्र में सम्पादक के नाम एक या दो पत्र भी इस बारे में प्रकाशित हुए हैं ।

'एगमार्क'

†*३०८. **श्री कालिका सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) कृषिजन्य पदार्थों और खाद्य पदार्थों के निर्माता 'एगमार्क' को कहां तक अपना रहे हैं;

(ख) क्या दुग्ध-खाद्य और खाद्य तथा कृषि जन्य अन्य पदार्थों को भी भारतीय मानक संस्था के 'मोनोग्राम' द्वारा चिह्नित करना आवश्यक होता है;

(ग) यदि हां, तो दोहरेपन का क्या कारण है; और

(घ) पंचायत क्षेत्रों में 'एगमार्क' का प्रचार करने के लिये क्या तरीके अपनाये जाते हैं ? .

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) इस समय 'एगमार्क' के अधीन निम्नलिखित वस्तुय रखी गयीं हैं :--

निर्यात के लिये	आन्तरिक व्यापार के लिये
१. कच्चा तम्बाकू	१. मक्खन
२. सन के धागे	२. अंडे
३. सूअर के बाल	३. घी
४. ऊन	४. बनस्पति तेल
५. नीबू घास का तेल	५. गुड़
६. चन्दन की लकड़ी का तेल	६. आटा
	७. निम्बू--प्रजातीय फल
	८. आम
	९. सेव
	१०. चीकू
	११. नाशपाती
	१२. अंगूर
	१३. रूई
	१४. चावल
	१५. आलू

(ख) जी, नहीं। जो वस्तुयें 'एगमार्क' के अधीन श्रेणीबद्ध हैं, उन पर भारतीय मानक संस्था का प्रमाणीकरण चिह्न लगाने की आवश्यकता नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) इस समय अधिकतर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं में एगमार्क उत्पादों को लोकप्रिय बनाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और अखिल भारतीय पशु मेले और प्रादेशिक रुचि की प्रदर्शनियों में भाग लेने और पत्रिकायें वितरित कर के और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आकाशवाणी कायक्रम करने के अतिरिक्त पंचायत क्षेत्रों में बड़े पमाने पर कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है। हाल ही में 'एगमार्क' के सम्बन्ध में हिन्दी में एक प्रलेखीय चलचित्र (डाक्युमेंटरी फिल्म) तैयार किया गया है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाया जायेगा ।

कलकत्ता गोदी पर चोरियां

†*३०९. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० के दौरान में कलकत्ता गोदी में चोरी और उठाईगीरी के मामलों की संख्या में वद्धि हुई है;

(ख) पत्तन आयुक्त द्वारा पिछले पाच वर्षों में प्रत्येक वष सम्बन्धित पार्टियों को दावों के रूप में कितनी रकम अदा की गई; और

(ग) इस उत्पात का सामना करने के लिये पत्तन और गोदी अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, नहीं । निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है कि पहले वर्ष की अपेक्षा वर्ष १९६० में चोरी के मामलों की संख्या में कमी हुई है :

	१९५९	१९६०
जनवरी	६४	२७
फरवरी	६३	६३
मार्च	६९	४९
अप्रैल	६८	४७
मई	७५	२८
जून	६६	१५
जुलाई	६१	९
अगस्त	४३	१४
सितम्बर	५९	१३
अक्तूबर	४५	११
नवम्बर	१६	१२
दिसम्बर	३५	१०
	६६४	२९८

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पत्तन आयुक्तों द्वारा पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक में सम्बन्धित पक्षों को दावे के रूप में जो धन राशि दी गई है वह निम्न प्रकार है :

वर्ष	धनराशि रुपये
१९५६-५७	१,२०,८१६-१५-२
१९५७-५८	१,०८,१७८.४९
१९५७-५९ .	१,३४,६३७.४३
१९५९-६०	१,०७,४९०.००
१९६०-६१ (नवम्बर, १९६० तक)	६०,१३६.१२

(ग) आयुक्तों ने विभिन्न निरोधात्मक उपाय अपनाये हैं जैसे पत्तनों के घेरे, जेटी और यार्डों की दीवार ऊंचा उठाना, झाड़ियों के स्थान पर पक्की दीवार बनाना, मालखानों में मजबूत ताले लगाना, यार्डों में प्रकाश-व्यवस्था में सुधार करना और पत्तन अनुज्ञा-पत्र भेजना आदि का चालू करना ।

भू-संरक्षण कार्य

†*३१०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भू-संरक्षण कार्यों के लिये एक एकीकृत प्राधिकार की नियुक्ति करने और इस बारे में आवश्यक विधान बनाने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** क्योंकि भू-संरक्षण कार्य राज्य का विषय है, अतः अपने-अपने क्षेत्र में योजनायें बनाना और क्रियान्वित करना और आवश्यक विधान बना राज्यों का काम है। इस बारे में भारत सरकार की जिम्मेवारी, अनुसन्धान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिये सुविधायें देकर राज्यों की सहायता करना और प्रविधिक मंत्रणा और वित्तीय सहायता देना है। इस कार्य के लिये वर्ष १९५३ में कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड बनाया गया था। इस के गठन और कृत्य के बारे में जानकारी खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के दिनांक १६-१२-१९५३ के संकल्प संख्या एफ. २१-१२(१)/५३-भू-संरक्षण में दी गयी है ।

जमाया हुआ तेल

†*३११. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाये हुए तेलों के उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार किसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन विषयों का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दक्षिण पूर्व रेलवे पर ठेकेदारों को अधिक भुगतान

†*३१२. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **रेलवे मंत्री** १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे की राजखरसावां-बड़ा जमदा लाइन को दोहरा बनाने के कार्य में लगे ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान के बारे में विशेष पुलिस संस्थान की जांच की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या उपपत्तियां हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). विशेष पुलिस संस्थान ने रिपोर्ट दी है कि उन्हों ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उन का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

केरल में मछलियां पकड़ने के बन्दरगाह

†*३१३. **श्री कोडियान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में मछलियां पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास करने की कोई योजना पेश की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मोटी-मोटी बातें क्या हैं; और

(ग) केरल सरकार को इस सम्बन्ध में क्या सहायता दी जानी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). केरल सरकार के विझिनजोम, बेपुर और बलियापट्टम में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के विकास के लिये प्रस्तावों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है । इस कार्य के लिये १३४ लाख रुपये का वित्तीय उपबन्ध किया गया है । विझिन्नजोम योजना में लहरतोड बांध (ब्रेकवाटर्स) का निर्माण, "लैण्डिज, सूविधायें और तट संस्थापना (शोर एस्टेब्लिशमेंटस) कार्य शामिल हैं । बेपुर और बलियापट्टम के बारे में अभी ब्यौरा नहीं बनाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विझिनजोम के बारे में सर्वेक्षण करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्य तथा कृषि संगठन के एक बन्दरगाह विशेषज्ञ की सेवायें उपलब्ध करायी गयी थीं। विझिन जोम के बारे में सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। बेपुर और बलियापट्टम में सर्वेक्षण करने के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन के अन्य बन्दरगाह विशेषज्ञ, जो अब भारत में ह, की सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी इस के अतिरिक्त राज्य सरकार भी इस प्रकार की योजनाओं के लिये निर्धारित की जाने वाले वित्तीय सहायता के तरीके के अनुसार राज-सहायता और ऋण की पात्र है।

संयुक्त राज्य अमरीका को चीनी का निर्यात

†*३१४. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कोरटकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका को चीनी का निर्यात करने के बारे में अन्तिम निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात के लिये अन्य विदेशी मण्डियों की खोज करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० मां० थामस): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राज्य चीनी अधिनियम के अधीन एक उचित निर्यात अभ्यंश निर्धारित किये जाने पर सरकार ने अमरीका को चीनी का निर्यात करने का फैसला किया है। इस मामले पर अमरीकी अधिकारी विचार कर रहे हैं।

(ग) निर्यात अभिकरण अन्य विदेशी मण्डियों को चीनी भेजती रही है।

फरक्का बांध

†*३१५. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) फरक्का बांध की सहायता से गंगा नदी से भागीरथी हुगली नदी में शीर्षजल का संभरण[1] लगभग कितनी मात्रा में किया जा सकता है ;

(ख) यदि इस बांध पर काम शुरू हो, तो इसके पूरा होने में कितना समय चाहिये ;

(ग) गंगा नदी को 'फ्लश' (जल प्रवाह द्वारा साफ) करने के उद्देश्य से दामोदर घाटी निगम की सिंचाई नहरें कहां तक उपयोगी हैं; और

(घ) हुगली नदी के निचले भाग की नौवहन क्षमता को कायम रखने के उद्देश्य से रूपनारायण नदी और उसके प्रवाह के नियन्त्रण के लिये यदि कोई कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है, तो वह क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ४०,००० क्यूसेक्स।

(ख) लगभग आठ वर्ष।

(ग) इस कार्य के लिये ये नहरें लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकतीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Headwater Supply—

(घ) जी, नहीं क्योंकि रूपनारायण की वेला-जलाशय के रूप में क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

रेलवे लाइन पर बम विस्फोट

†*३१६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मन्त्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने अमृतसर और पठानकोट के बीच रेलवे लाइन पर बम विस्फोट के कारणों की जांच इस बीच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) और (ख) पुलिस जांच अभी जारी है यद्यपि अभी निश्चित रूप से कोई सुराग नहीं मिला है।

दिल्ली में चेचक

†*३१७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है पक पिछले ६ महीनों में दिल्ली में बहुत से लोग चेचक से ग्रस्त हुए;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५९ के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १३-८-१९६० से ११-२-१९६१ तक की अवधि में चेचक के ६१० मामलों की रिपोर्ट की गयी।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६)**

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पंचायतें

†४७१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुल कितनी पंचायतें हैं;

(ख) कितनी पंचायतों ने अपने पंचायतघर बना लिये हैं; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अब तक कितने पंचायतघर बनाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में अभी तक कोई पंचायत नहीं बनाई गयी है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दक्षिण रेलवे में स्वास्थ्य एकक

†४७२. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री पांगरकर :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के निदेशानुसार दक्षिण रेलवे में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में, वर्ष-वार कितने स्वास्थ्य यूनिट खाले गये हैं;

(ख) योजना के लिये कितनी धनरशि आवंटित की गयी है; और

(ग) अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

२	१९५६–५७
२	१९५७–५८
१	१९५८–५९

नोट :—१६ स्वास्थ्य एककों का निर्माण प्रगति पर है ।

(ख) ३१,७३,००० रुपये ।

(ग) १३,६६,९०० रुपये ।

दक्षिण रेलवे में प्राथमिक स्कूल

†४७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में कर्म खर्च वाले कितने प्राथमिक स्कूल हैं;

(ख) प्रत्येक स्कूल की निर्माण लागत क्या है;

(ग) प्रत्येक स्कूल में कितने छात्रों को पढ़ाया जाता है; और

(घ) प्रत्येक स्कूल में कितने अध्यापक हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २१ ।

(ख) १४ स्कूल वर्तमान रेलवे इमारतों में हैं और बाकी ७ स्कूलों में प्रत्येक की लागत ३००० रुपये से ३९०० रुपये तक है ।

(ग) प्रत्येक स्कूल में पढ़ाये जाने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या ५० है ।

(घ) २० स्कूलों में से प्रत्येक में एक एक और बाकी १ में २ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बत्तखें और कुक्कुट

†४७४. **श्री वें० पें० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के तत्वाधान में प्रसंकर बत्तखों और कुक्कुटों में शक्ति का भारतीय स्थिति में व्यौरेवार अध्ययन किया गया है ; और

(ख) (१) कुक्कुटों और (२) बत्तखों में अण्डे देने के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम प्रसंकर नस्ल क्या हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्था, बरेली में किये गये अध्ययन से पता चला कि छठी पीढ़ी में श्रेणीबद्ध करके देसी मुर्गियों का वार्षिक उत्पादन ११६ से बढ़ कर १७० हो गया । ये परिणाम 'देसी' मुर्गियों का 'रोड आइलैण्ड रैड' मुर्गों से सहयोग कराके प्राप्त किये गये । 'व्हाइट लेघोर्न' मुर्गों से सहयोग कराने के मामले में ये परिणाम १८६ पक पहुंच सकते हैं ।

प्रसंगकर शक्ति एक पीढ़ी से अधिक नहीं चलती और प्रसंगकर शक्ति के संवर्द्धन के परिणाम उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) अण्डों के उत्पादन के लिये सर्वोत्तम प्रसंकर (१) 'क्रास'ब्रीड' (भारतीय मुर्गी 'व्हाइट लैघोर्न' मुर्गा) और (२) 'थोर ब्रीड' में 'व्हाइट लैघोर्न' का सहयोग ।

बत्तखों के बारे में कई अध्ययन नहीं किया गया है ।

पुरी स्टेशन पर भारवाहक

†४७५. **श्री खुशवक्त राय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के पुरी स्टेशन पर कितने भारवाहकों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या इस स्टेशन पर एक दिन में जितने यात्री आते-जाते हैं उसको देखते हुए यह संख्या पर्याप्त मानी जाती है; और

(ग) क्या इस बात की कोई शिकायत मिली है कि भारवाहकों की कमी के कारण यात्रियों को बहुत देर तक प्लैटफार्म पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है या अपना सामान स्वयं उठा कर ले जाना पड़ता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ७० ।

(ख) और (ग) भारिकों की कमी के बारे में केवल एक शिकायत मिली है ।

पुरी रेलवे स्टेशन पर जितने भारिक रखे गये हैं वे दो एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़ कर आमतौर पर स्टेशन की जरूरत के लिये काफी हैं । भारिकों की संख्या बढ़ाने के सवाल पर दक्षिण-पूर्व रेलवे विचार कर रही है ।

कोल्हापुर जिले में किराये की इमारतों में डाक-घर

†४७६. **श्री पांगरकर** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में कितने डाक-घर किराये की इमारतों में कार्य कर रहे हैं, और

(ख) वर्ष १९५९–६० में सरकार ने किराये के बतौर कितनी धनराशि अदा की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) चौंतीस।

(ख) २८,२७६ रुपये।

महाराष्ट्र में पर्यटन

†**४७७. श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में एलोरा और अजन्ता की गुफाओं का कितने पर्यटकों ने दौरा किया; और

(ख) वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक कितने नये पर्यटक निवास बनाये गये और कितने स्थानों में यह सुविधाय दी गयीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) वर्ष १९५९-६० में एलोरा और अजन्ता की गुफाओं का दौरा करने वाले पर्यटकों के बारे में पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, सीज़न के समय एलोरा और अजन्ता की गुफाओं का दौरा करने वाले पर्यटकों की प्रतिदिन औसत संख्या का अनुमान क्रमश: ५०० और ६५० लगाया जाता है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने संसाधनों से चिकालदा, पनहाला, महाबलेश्वर, कारला, महिसमाल, तोरनमाल, माथेराम, अमबोली, भण्डारदारा और वाजरेशवरी में अवकाशगृह स्थापित किये गये हैं।

एक विवरण संलग्न है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा केन्द्र की सहायता से द्वितीय योजना-काल के दौरान पर्यटकों के लिये बनाये गये अथवा बनाये जा रहे विश्राम गृहों के नाम दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७७]**

लौंग और दारचीनी

†**४७८. श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में लौंग और दारचीनी की खेती में वृद्धि के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप, खेती में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, वृद्धि कितनी हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में लौंग और दारचीनी की खेती में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :

(१) निम्नलिखित दो राज्यों में ३ वर्ष के लिये उत्पादकों को अच्छे बीज देने के लिये और उत्पादन करने के लिये नर्सरी स्थापित करने के ख्याल से विकास योजनायें मंजूर की गयी हैं :

राज्य का नाम	मंजूर की गयी धन राशि	चालू करने की तारीख	नर्सरी का स्थान
केरल .	१,५०,००० रुपये	१३-४-५९	(१) कोझा (२) ओल्लुक्कारा (३) थालीपराम्बा
मैसूर . .	२२,९९० रुपये	१५-११-६०	चतलली

†मूल अंग्रेजी में

(२) मद्रास राज्य में कुल १.०५ लाख रुपये की लागत से वर्ष १९५५ में मंजूर की गयी एक अनुसन्धान योजना जारी है। इस योजना का उद्देश्य फसलों की खेती में सुधार करना है। यह योजना केन्द्र की पूरी वित्तीय सहायता पर १० वर्षों तक चलेगी।

(ख) जी, हां।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इन फसलों के अधीन लगभग १०० एकड़ का नया क्षेत्र शामिल करने का अनुमान है।

मद्रास में मत्स्य पालन

†४७९. **श्री पांगरकर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक मत्स्यपालन के विकास के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ख) यह धन किस योजना पर खर्च किया गया है?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) ९५.१४ लाख रुपये।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७८]**

हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†४८०. **श्री हेम राज**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पंजाब की पहाड़ियों में ऐसे कितने केन्द्र खोले गये हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) २४।

(ख) २६।

उत्तर रेलवे में स्टेशनों पर पानी ठण्डा करने की मशीनें

†४८१. **श्री रामकृष्ण गुप्त**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में उत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर अभी तक पानी ठण्डा करने की मशीनें (वाटर कूलर) लगायी गयी है; और

(ख) १९६१-६२ में कितने स्टेशनों पर ये मशीनें लगायी जायेंगी?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) ४।

(ख) किसी पर भी नहीं।

तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर

†४८२. **श्री रामी रेड्डी**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तुंगभद्रा उच्च-स्तर नहर की प्रथम प्रावस्था के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) परियोजना का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) १९६१-६२ के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) राशि आवंटन के प्रश्न को अभी तक तय नहीं किया गया है । मामला अभी योजना आयोग के विचाराधीन है ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ।

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मामला अभी योजना आयोग के विचाराधीन है ।

उपरि सिलेरू परियोजना

†**४८३. श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की उपरि सिलेरू परियोजना के लिये मंजूरी दे दी गयी है ;

(ख) क्या इस परियोजन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ग) क्या इस परियोजना की कार्यान्विति के लिये कोई प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ;

(घ) परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ;

(ङ) १९६०-६१ और १९६१-६२ के लिये की गयी व्यवस्था ;

(च) उससे कितनी बिजली पैदा की जा सकेगी ;

(छ) प्रति किलो कितनी लागत आयेगी; और

(ज) पूंजी पर कितना लाभ होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). परियोजना के लिये अभी तक औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं दी गयी है परन्तु राज्य सरकार को उस परियोजना की प्रावस्था १ के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य करने का प्राधिकार दे दिया गया है ।

(ग) उस परियोजना को दो प्रावस्थाओं में पूरा करने का विचार है । वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार प्रावस्था के १९६५-६६ में पूरा होने की आशा है ।

(घ) योजना आयोग की सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजना सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति द्वारा संशोधित की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार प्रथम प्रावस्था पर ८९५.५८ लाख रुपयों की लागत आयेगी ।

(ङ) १९६०-६१ में ९२.४५ लाख रुपये ।

१९६१-६२ में २ करोड़ रुपये ।

(च) प्रावस्था १ के अधीन १२०,००० किलोवाट ।

(छ) परामर्श दात्री समिति द्वारा संशोधित रिपोर्ट के अनुसार ४८० रुपये ।

(ज) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार आशा है कि कार्य प्रारम्भ हो जाने पर तीसरे वर्ष के अन्त तक १०·३ प्रतिशत लाभ होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में वन विकास

†४८४. **श्री ओंकार लाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० और १९६०-६१ में वन विकास के लिये राजस्थान सरकार को कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : १९५९–६० और १९६०–६१ में वन योजना के लिये राजस्थान राज्य को निम्नलिखित राशियां आवंटित की गयी हैं :—

वर्ष	ऋण	अनुदान	कुल
१९५९–६०	१४.७२ लाख रुपये	१०.४१ लाख रुपये	२५.१३ लाख रुपये
१९६०–६१	१९.४७ लाख रुपये	७.५८ लाख रुपये	२७.०५ लाख रुपये

उक्त राशियों में पुनरीक्षित वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार वन रोपण तथा भूमि परिएक्षण दोनों प्रकार की योजनाओं की राशियां सम्मिलित हैं ।

पश्चिम रेलवे म डाके

†४८५. **श्री ओंकार लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में पश्चिम रेलवे में कितने डाके पड़े थे ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने अपराधी पकड़ गये हैं ; और

(ग) इन अपराधों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) चार ।

(ख) एक ।

(ग) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयी हैं :—

(१) आवश्यक रात्रि गाड़ियों पर उपनगरीय सैक्शनों में सशस्त्र पुलिस के दस्ते, और पुलिस तथा रेलवे पुलिस बल के कर्मचारियों को सादे कपड़ों में तैनात कर दिया जाता है ;

(२) पुलिस और रेलवे संरक्षण बल के कर्मचारी सभी महत्वपूर्ण तथा जंक्शन स्टेशनों पर नज़र रखते हैं ।

(३) रेलवे के कमरों में सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण लगा दिये गये हैं ताकि अनाधिकारी व्यक्ति रेलवे के कमरों में प्रवेश न कर सकें ;

(४) गाड़ियों में अपराधियों को पकड़ने के लिये पुलिस अफसरों तथा कर्मचारियों द्वारा अचानक छापे मारे जाते हैं ।

राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भांडागार बोर्ड द्वारा राजस्थान को सहायता

†४८६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में गोदाम बनाने के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भांडागार बोर्ड द्वारा राजस्थान की कृषि ऋण सहकारी समितियों तथा सहकारी विपणन समितियों को सहायता देने के लिये राजस्थान सरकार को कितना अनुदान दिया गया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राजस्थान सरकार ने उसमें से कितनी राशि का उपयोग किया है ; और

(ग) ये गोदाम उस राज्य में कहां कहां पर बनाये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल में गोदाम बनाने के लिये कृषि ऋण सहकारी समितियों तथा सहकारी विपणन समितियों को सहायता देने के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भांडागार बोर्ड ने कुल ४.१० लाख रुपयों का अनुदान मंजूर किया था। १९६०–६१ में बोर्ड ने इसके लिये १.९१ लाख रुपयों की व्यवस्था की थी और यह राशि तिमाही किस्तों में दी जा रही है। अभी तक तीन किस्तें दी जा चुकी हैं और अन्तिम किस्त मार्च, १९६१ में दी जायेगी।

(ख) यह ज्ञात हुआ है कि कुल ४.१० लाख रुपयों में से उस राज्य सरकार ने ४.०७ लाख रुपयों का उपयोग कर लिया है।

(ग) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और शीघ्र ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

राजस्थान में तार घर

†४८७. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिलावार कितने तारघर हैं ;

(ख) क्या सरकार १९६१–६२ में जिलावार इन तार घरों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो वे कहां कहां पर स्थापित किये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७९**]

राजस्थान में पुल

†४८८. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में कितने पुलों के निर्माण के लिये मंजूरी दी गई है;

(ख) ये पुल किन किन स्थानों पर तैयार किये जायेंगे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन पुलों पर लगभग कितना खर्च आयेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में कितने पुल मंजूर किये गये हैं और वे कहां कहां बनाये जायेंगे और उन पर लगभग कितना खर्च आयेगा । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८०]**

देहरादून-बम्बई एक्सप्रेस में कण्डक्टर गार्ड

†४८९. **श्री ओंकार लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे की बम्बई से देहरादून के बीच चलने वाली देहरादून एक्सप्रेस के लिये एक कण्डक्टर गार्ड नियुक्त करने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) और (ख). देहरादून एक्सप्रेस में कण्डक्टर गार्ड नियुक्त करने की प्रस्थापना पर कुछ समय पहले पश्चिम रेलवे द्वारा विचार किया गया था और उसने यह निर्णय किया है कि मितव्ययता की दृष्टि से इसे फिलहाल छोड़ दिया जाये ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

†४९०. **श्री ओंकार लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन में इस समय पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं ;

(ख) उस डिवीजन में १९५८ और १९६० में पहले, दूसरे और तीसरे दर्जों के कितने कुल कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था ;

(ग) उन में से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखते हैं ;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यंश में से रिक्त स्थानों को भरने के लिये नये कर्मचारियों को पदोन्नत करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो ये पदोन्नतियां कब तक कर दी जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
पहला दर्जा	शून्य	शून्य
दूसरा दर्जा	शून्य	शून्य
तीसरा दर्जा	३४७	१८६
(ख)	१९५८	१९६०
*पहला दर्जा	शून्य	शून्य
* दूसरा दर्जा	शून्य	शून्य
तीसरा दर्जा	१४७	१२२

(ग)

	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित आदिम जातियां	
	१९५८	१९६०	१९५८	१९६०
*पहला दर्जा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
*दूसरा दर्जा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तीसरा दर्जा	२९	१९	४	५

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पश्चिम रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†४९१. **श्री ओंकार लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे डिवीजन में राजस्थान में इस समय रेलवे कर्मचारियों के लिये रेलवे क्वार्टरों की कितनी कमी है ; और

(ख) रेलवे कर्मचारियों के लिये रहने की सम्पूर्ण सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ?

†**रेलवे-उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के संम्बन्ध में जानकारी राज्य-वार नहीं, अपितु रेलवे-वार रखी जाती है। ३१–३–६० को पश्चिम रेलवे में कुल १,५७,३५१ कर्मचारी थे और ५८,०९४ को मकान दिये जा चुके थे। इस प्रकार से ३१–३–६० को पश्चिम रेलवे में ९९,२५७ क्वार्टरों की कमी थी ।

(ख) रेलवे की इच्छा यह है कि उन सभी आवश्यक कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जायें जिन्हें दिन रात किसी भी समय पर अल्प सूचना पर काम पर बुलाया जा सकता है । विशेषतया उन क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की जाये जहां मकान आसानी से नहीं मिल सकते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये आवंटित की गयी राशि में से प्रति वर्ष क्वाटर बनवाने का यत्न किया जा रहा है । गैर-आवश्यक कर्मचारियों को क्वार्टर तभी आवंटित किये जाते हैं जब कि आवश्यक कर्मचारियों को उनकी जरूरत नहीं होती ।

---

*किसी भी डिवीजन के लिये पहले और दूसरे दर्जे के लिये पदोन्नतियां अलग-अलग नहीं की जातीं ।

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारी

४९२. श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री उस्मान अली खाँ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री बें० च० मलिक :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री सूपकार :
श्री पांगरकर :
श्री वें० ईयाचरण :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री कुम्भार :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० को टेबल पर रले गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के बारे में नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर जो निर्णय किये गये थे उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) जो सिफारिशें उस समय तक अनिर्णीत थीं उनके बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के विषय में सम्बन्धित अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(ख) इनकी अभी जांच की जा रही है। जितना शीघ्र संभव हो सकेगा उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

ग्वालियर शिवपुरी लाइन

४९३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्वालियर-शिवपुरी लाइन से कोई विशेष आय सरकार को नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस लाइन को बड़ी लाइन बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ;

(ग) क्या ऐसी भी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिसमें प्रस्तावित गुना-उज्जैन रेलवे लाइन को शिवपुरी से मिला दिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या तृतीय पंच-वर्षीय योजना-काल में यह कार्य सम्पन्न हो सकेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

मध्यवर्ती पत्तन

†४९४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री कुंहन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की सिफ़ारिशों की दृष्टि से मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में छोटे पत्तनों के विकास के लिये निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं :—

	रुपये
(१) मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति द्वारा मध्यवर्ती पत्तनों के सामान्य विकास के लिये सुझाये गये कार्यों के लिये .	६११.४८
(२) अन्य छोटे पत्तनों के लिये अत्यावश्यक विकास कार्यों के लिये	६९.००
(३) ड्रेजर-कम-सर्वे लांच पूल .	२५०.००
(४) पांडीचेरी के लिये विकास कार्य . .	२१.२५
(५) लक्कादीव द्वीपों में पत्तनों के लिये विकास कार्य	७.५०
(६) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के पत्तनों के विकास कार्य .	४२.५८
(७) टूटीकोरिन, मंगलोर और सेतुसमुद्रम परियोजना के सम्बन्ध में ब्योरेवार जांच करना और डिजाइन बनाना .	४०.००
कुल	१०४१.८१

†मूल अंग्रेज़ी में

मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड द्वारा ११ नवम्बर, १९६० को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में विचार किया गया था। बोर्ड ने उक्त कार्यक्रम का समर्थन कर दिया। इस के अतिरिक्त बोर्ड ने निम्नलिखिये सिफारिशें भी की हैं :—

(१) जैसेकि मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति ने सिफारिश की है टूटीकोरिन और मंगलोर को इस दृष्टि से विकसित किया जाये कि वे पत्तन सभी मौसमों में काम आ सकें और गहरे डुबाव वाले जहाज वहां आ सकें। इस कार्य के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध की जाये।

(२) रत्नगिरि के वर्तमान स्थान पर एक हल्के प्रकार का नौघाट बनाने के स्थान पर भिरया खाड़ी में एक छोटे 'ब्रेक-वाटर' और एक छोटे नौघाट का निर्माण किया जाये और इस के लिये पचास लाख रुपये की व्यवस्था की जाये (केन्द्रीय क्षेत्र में ३५ लाख रुपये और राज्य क्षेत्र में १५ लाख रुपये)।

(३) पोरबन्दर पत्तन के सम्बन्ध में परिवहन सम्बन्धी आंकड़ों पर परिवहन विभाग द्वारा विचार किया जाये और यदि यह पाया जाये कि पांच वर्षों में ५ लाख टन का यातायात हुआ था, तो पोरबन्दर को सभी मौसमों के लिये एक गहरे पत्तन के रूप में विकसित करने के कार्य को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार किया जाये।

बोर्ड की उक्त सिफ़ारिशों पर परिवहन विभाग, योजना आयोग और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा रहा है।

वन अनुसन्धान संस्था, देहरादून

†४९५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वन अनुसंधान संस्था, देहरादून को विश्वविद्यालय बना देने के प्रश्न की इस समय क्या स्थिति है ?

†**कृषि मंत्री (श्री डा० शा० देशमुख)** : विश्वविद्याशलय अनुदान आयोग ने, जिसे यह प्रश्न सौंपा गया था, पर सुझाव दिया है कि वन अनुसंधान संस्था के सीमित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यदि इस संस्था को अपनी डिग्रियां देने की अनुमति देनी है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा ३ के अधीन इसे विश्वविद्यालय बना देने की अपेक्षा यह कार्य विधान के द्वारा किया जाना चाहिये। इस के लिये विधान बनाने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

सुलतानपुर में कच्चा कुआं

†४९६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने सुलतानपुर में बड़े कच्चे कुओं के समान अन्य क्षेत्रों में भी वैसे ही कुएं बनाने का प्रयोग करने की सिफरिश की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) जी, नहीं ; समिति की उपपत्तियों से यह ज्ञात हुआ है इस योजना के अधीन जिस प्रकार के कच्चे कुओं की परस्थापना है, उन पर प्रारम्भ में बहुत अधिक धन खर्च होता है और फिर आवर्तक खर्च भी बहुत अधिक होता है और इसलिये योजना 'स्ववित्त पोषण' आधार पर नहीं चल सकती । क्योंकि नलकूपों की व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद है, इसलिये उक्त योजना को केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रखा जाये जहां नलकपों के द्वारा भूमिगत पानी का अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता और जो क्षेत्र पथरील भूमि से विमुक्त हैं ताकि वहां बड़े बड़े सिंचाई कुओं के लिये आवश्यक गहरी खुदाई की जा सके ।

(ख) भारत सरकार ने समिति की उपपत्तियों को स्वीकार कर लिया है ।

लेह क्षेत्र में बिजली

†**४९७. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लेह क्षेत्र में जलविद्युत् पैदा करने की संभावनाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख) लेह के निकट खरडुंगनाला तथा फिंगनाला—ये दो नाले छोटी जलविद्युत् योजनाओं के लिये उपयुक्त पाये गये हैं । जम्मू तथा काश्मीर सरकार से कहा गया है कि वह इन दो चम्श्मों का 'डिस्चार्ज' मापन शुरू कर दें ताकि विद्युत् विकास परियोजनाएं तयार की जा सकें ।

परिवार नियोजन

†**४९८. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में जसल्मेर के एक ग्रामवासी द्वारा संतति निरोध के लिये खोजी गई औषधि प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस का परीक्षण कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं । निर्माता से इस औषधि के विस्तृत ब्योरों के बारे में पूछा गया है ,उस का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वेतन आयोग का प्रतिवेदन

†४९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेतन आयोग के प्रतिवेदन की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस के कब तक पूर्ण रूपेण क्रियान्वित होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) तथा (ख). शोधित वेतन क्रमों में कमचारियों के मूल वेतन को पुन: निश्चित करने तथा जुलाई १९५९ से ले कर आगे तक की दी जाने वाली बकाया राशि के भुगतान का काम पूरा होने वाला है और ३१ मार्च १९६१ तक पूरा होने की आशा है ।

प्राय: उन सभी मामलों के बारे में आदेश, जिन के बारे में सरकार ने अपने निर्णयों की घोषणा ३० नवम्बर १९५९ और २ अगस्त १९६० को संसद् में की थी, पहले ही जारी कर दिये गये हैं ।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त, पर्वत भत्तों, दूरस्थ स्थानों के भत्ते, वाहन भत्ता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से बिन किराया क्वार्टरों की रियायत हटाने, मकान भत्ता का अंकन, काम के घंटों के लिये कर्मचारियों के वर्गीकरण का पुनरीक्षण आदि के बारे में, आयोग की सिफारिशों पर आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

आयोग की कुछ सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं और यथाशीघ्र आवश्यक आदेश जारी करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

आयुर्वेद का प्रत्यास्मरण (रिफ्रैशर) पाठ्यक्रम

५००. **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के स्नातकों के लिये प्रस्तावित एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम कब से चालू किया जायेगा ;

(ख) इस प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम में आयुर्वेद के स्नातकों को किस-किस विषय में प्रशिक्षित किया जायेगा, पाठ्यक्रम कितने समय का होगा, और क्या उपाधि शिक्षा प्राप्त स्नातकों को दी जायेगी ;

(ग) इस प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम के कितने केन्द्रों के किन-किन राज्यों में खोले जाने की संभावना है और प्रत्येक केन्द्र में कितने स्नातक शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे;

(घ) इस प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम पर होने वाले व्यय में कौन-कौन सरकारें कितना-कितना अंशदान देंगी; और

(ङ) क्या संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली योजना का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आयुर्वेदिक स्नातकों के लिये एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम चलाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

चिकित्सा विज्ञान की अखिल भारतीय संस्था

†५०१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा विज्ञान की अखिल भारतीय संस्था, नई दिल्ली में, ३१ दिसम्बर, १९६० को स्नातकोत्तर लोग किन विशिष्ट विषयों पर अनुसंधान कार्य कर रहे थे ; और

(ख) इस संस्था के कार्य आरम्भ करने से ले कर उपरोक्त तिथि तक स्नातकोत्तर लोगों ने किन विषयों में अनुसंधान कार्य पूरा कर लिया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) सूचना परिशिष्ट 'क' में दी गई है । **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८१।]**.

(ख) सूचना परिशिष्ट 'ख' में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८१]**

केरल में नगरीय जल संभरण

†५०२. { **श्री कोडियान** :
श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी योजना में केरल में नगरीय जल संभरण के लिये वहां की सरकार को केन्द्र की ओर से कोई सहायता दी गई है ;

(ख) कितनी सहायता दी गई है और किस रूप में ;

(ग) किन योजनाओं के लिये सहायता दी गई है ; और

(घ) योजनाओं की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) दूसरी योजना के पहले चार वर्षों में राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित नगरीय जल संभरण तथा नाली योजनाओं की क्रियान्विति के लिये केरल सरकार को २१८ लाख रुपये की ऋण सहायता दी गई है ।

(ग) तथा (घ). नगरीय जल संभरण योजनाओं सम्बन्धी अपेक्षित जानकारी देने वाला **विवरण** संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८२]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश में शिकार के लिये लाइसेंस

५०३. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में हिमाचल प्रदेश में शिकार के लिये कितने लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) इसी अवधि में अवैध रूप से शिकार करते हुए कितने व्यक्ति गिरफ्तार और दण्डित हुए ; और

(ग) अवैध और बिना लाइसेंस शिकार खेलते हुए पकड़े गये अपराधियों में कितने सरकारी कर्मचारी थे ?

कृषि उप मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) १४५ ।

(ख) अवैध रूप से शिकार करने के ८२ मामलों का पता लगा है जिन में से तीन मामलों में मुकदमे चलाये गये । ५९ मामलों का सुलहनामा किया गया और २० मामलों की जांच की जा रही है । तीन मुकदमों में से एक को दोषित साबित किया गया और दो की रिहाई हो गई ।

(ग) १२ मामलों का पता लगा ।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटक सुविधायें

५०४. **श्री पद्म देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के लिये क्या कुछ किया; और

(ख) उस पर कितना व्यय हुआ ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तत्तापानी की सराय को सुधार कर नया बनाया गया । चम्बा में मणि महेश के तीर्थ यात्रियो की सुविधा के लिये खाद्यान्न व ईंधन खरीदने के लिये सहायता दी गयी । जन विभाग और सरकारी निर्माण विभाग के विभिन्न विश्राम गृहों में रेडियो तथा फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है । पर्यटकों में जाड़े के खेलों का प्रचार करने के लिये स्की-उपस्कर (स्की-इक्विपमेंट) खरीदे जा रहे हैं । यात्रियों को पर्यटन सम्बन्धी सूचना देने के लिये एक पुस्तिका छापी जा रही है ।

(ख) ३५,००० रुपये ।

हिमाचल प्रदेश जाने वाले पर्यटक

५०५. **श्री पद्म देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने रिवालसर (जिला मण्डी) के सुधार की दिशा में क्या काम किया और उस कार्य पर कितनी धन राशि व्यय की; और

(ख) वर्ष १९६० में इस तीर्थ-स्थान पर कितने पर्यटक गये ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) नहाने के घाटो में सुधार किया गया है और यहां से मलबा निकाला जा चुका है। रेस्ट हाउस बढ़ा दिया गया है और उसके दो सेटों में सैनीटोरी फिटिंग्स की जा रही है। झील के चारों ओर एक भित्ति बनायी गयी है। इन कामों पर ५४,७९० रुपये खर्च किये गये।

(ख) झील देखने के लिये आने वालों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं परन्तु अनुमान है कि यहां लगभग २५ हजार यात्री आये होंगे।

हिमाचल प्रदेश में बोक्टू कूल

५०६. श्री पद्म देव :क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के जिला कनौर में बक्टू कूल का निर्माण कब से आरम्भ हुआ है ;

(ख) इस कूल पर अभी तक कुल कितना व्यय हो चुका है और कितनी धन राशि इसकी पूर्ति के हेतु निर्धारित की गई थी; और

(ग) इस कूल से कितनी भूमि में सिंचाई होगी ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) इस कूल का सही नाम बोंक्टू कूल है जिसके बनाने का काम सन् १९५५–५६ में आरम्भ किया गया था।

(ख) दिसम्बर, १९६० तक इस पर कुल १,१०,८३१ रुपये खर्च किये गये और इसको पूरा करने के लिये अभी २,६४,८०९ रुपये की ज़रूरत है।

(ग) ३,००० एकड़।

आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात

५०७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के निर्यात की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या कुछ आयुर्वेदिक औषधियां अब भी विदेशों को भेजी जाती हैं ;

(ग) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों की खोज के लिये भी कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) आयुर्वेदिक ग्रन्थों में जिन जड़ी-बूटियों का वर्णन है उनमें से अब तक कितनों का पता लगाया जा सका है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). जड़ी-बटियों के सर्वेक्षण की एक योजना परीक्षणाधीन है।

कलकत्ता के समीप निर्बाध व्यापार क्षेत्र

†५०८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के समीप निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का सरकार का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा के लिये उर्वरकों का आवंटन

†५०९. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ अवधि के लिये दिसम्बर से लेकर उड़ीसा को कितना अमोनियम सल्फेट तथा अन्य उर्वरक आवंटित किया गया है; और

(ख) १९६०-६१ अवधि में १ फरवरी, १९६१ तक उड़ीसा को कुल कितने उर्वरक भेजे गये है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) केवल २५०० टन अमोनिया सल्फेट।

(ख) समूचे वर्ष १९६०-६१ की मांग में से १-४-६० से १-२-६१ की अवधि में निम्न मात्रा में उर्वरक दिये गये थे :—

(मीट्रिक टनों में)

१. अमोनिया सल्फेट	१४,८१२
२. कैलशियम अमोनियम नाइट्रट . . .	८७९
३. अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट . . .	१,२४३

मुर्गी पालन का विकास

†५१०. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी योजना में मुर्गी पालन के विकास के लिये उड़ीसा को कोई राशि आवंटित की गई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में मुर्गी पालन के विकास की कोई योजना पेश की है ; और

(घ) इस मामले में उड़ीसा में अब तक कैसी और क्या प्रगति हुई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). दूसरी योजना में अखिल भारतीय मुर्गी पालन विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा को ७.९८ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

(ग) योजना के अन्तर्गत लक्ष्य और उनको प्राप्त करने के लिये अपेक्षित उपबन्ध का अनुमान राज्य सरकार के परामर्श से किया गया था।

(घ) मार्च १९६० तक १४ के लक्ष्य में से इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में नौ मुर्गी पालन विस्तार एव विकास खण्ड खोले गये हैं। इन खण्डों में मार्च १९६० तक १.८५ लाख अण्डे पैदा किये गये थे; जिनमें से ७३६६६ अण्डों का प्रयोग प्रजनन के लिये किया गया था। १७२३ पक्षी बांटे गये थे। ४५ व्यक्तियों को मुर्गी पालन धधे के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया है और २१ किसानों को प्रत्येक को अपने मुर्गी पालन घरों के लिये तारों का जाल खरीदने के लिये ५० रुपये की अर्थ-सहायता दी गई है।

क्षेत्रीय सुपारी अनुसन्धान केन्द्र

†**५११. श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी योजना मेंउड़ीसा में स्थापित किये गये क्षेत्रीय सुपारी अनुसन्धान केन्द्र को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि दी गई है; और

(ग) क्या उड़ीसा में वर्तमान अनुसन्धान केन्द्र के विस्तार के लिये उड़ीसा सरकार ने प्रस्ताव किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन एक अर्धसरकारी निकाय, भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति ने सहायता दी है।

(ख) ५००० रुपय।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा में कोढ़ नियंत्रण

†**५१२. श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोढ़ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा सरकार को कितनी राशि दी गई है; और

(ख) यह राशि अब तक उड़ीसा में किन योजनाओं पर खच की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) उड़ीसा सरकार ने दूसरी योजना के पहले चार वर्षों में केन्द्रीय सरकार के व्यय के अंश के रूप में ६.२४ लाख रुपये समायोजित किये हैं। पांचवें वर्ष के लिये चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में अन्तिम भुगतान मंजूरी दी जाएगी।

(ख) धन का उपयोग कोढ़ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में अब तक स्थापित किये गये १५ सहायक केन्द्र चलाने के लिये किया गया है।

रेलगाड़ी द्वारा गैंगमैन की मृत्यु

†**५१३. श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ दिसम्बर, १९६० को या उसके आस पास पूर्व रेलवे के मनकार और पाराज स्टेशनों के बीच डाउन कोल फील्ड एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा कुछ गैंगमैन कुचल दिये गये ;

(ख) यदि हां, तो उन गैंगमैनों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने मर गये तथा कितने घायल हुए ;

(ग) क्या मृत और घायल लोगों के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है ;

(घ) वे किन परिस्थितियों में कुचले गये ;

(ङ) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो किसने जांच की और उसने क्या निष्कर्ष निकाला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (च). ७ दिसम्बर, १९६० को लगभग ९ बज कर २३ मिनट पर दो गैंगमैन, जब पूर्व रेलवे के बर्दवान-दुर्गापुर सैक्शन पर पाराज और मनकार स्टेशनों के बीच डाउन मेन लाइन पर काम कर रहे थे, तब ३१० डाउन कोल फील्ड एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा कुचले गये। परिणामस्वरूप दोनों व्यक्ति घायल हो गए और उनमें से एक व्यक्ति बाद में मर गया।

सहायक अफसरों ने दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये एक विभागीय जांच की थी। दुर्घटना गैंगमैनों की दुस्साहसपूर्ण कृति के कारण हुई।

मृत गैंगमैनों की विधवा को अनुग्रहीत ५०० रुपये दिये गये थे। प्रतिकर देने का मामला तैयार किया जा रहा है।

बाघौली रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे दुर्घटना

†**५१४. श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ दिसम्बर, १९६० को या उसके आसपास उत्तर रेलवे के लखनऊ-शाहजहांपुर सैक्शन पर बाघौली स्टेशन के समीप एक दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण है और कितने व्यक्ति घायल हुये;

(ग) रेलवे को कितनी हानि हुई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो किसने जांच की है और उस ने क्या निष्कर्ष निकाला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां। २६-१२-६० को बाघौली स्टेशन पर एक दुर्घटना हुई थी जब अप सहारनपुर स्पेशल मालगाड़ी का इंजन और ११ माल डिब्बे स्टेशन में प्रविष्ट होते समय पटरी से उतर गए।

(ख) से (ङ). इस मामले में डिवीज़न के अधिकारियों ने विभागीय जांच की थी। जांच समिति के निष्कर्षों की जांच रेलवे प्रशासन कर रहा है।

तीन रेलवे कर्मचारियों को हल्के घाव आये। रेलवे सम्पत्ति की हानि का १ लाख रुपये का अनुमान लगाया गया है।

आसाम में खाद्यान्नों का उत्पादन

†५१५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के लिये तीसरी योजना के अन्तर्गत अनाज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारण तथा आवश्यक आवंटन योजना आयोग द्वारा कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) तीसरी योजना के अन्तर्गत राज्य के लिये अनाज उत्पादन का लक्ष्य और व्यय अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भूमि संरक्षण

†५१६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६० के अन्त में राज्यों के भूमि संरक्षण के प्रभारी मंत्रियों की एक बैठक भुवनेश्वर में हुई थी ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों की तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई भूमि संरक्षण की योजनाओं पर सम्मेलन में चर्चा की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न योजनाओं की लागत क्या थी ; और

(घ) इन योजनओं की क्रियान्विति के लिये विभिन्न राज्यों को केन्द्र की ओर से क्या अर्थ-सहायता देने का विचार किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विभिन्न राज्यों की तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित भूमि संरक्षण योजनाओं के लिये ५८.१ करोड़ रुपये का अस्थायी आवंटन करने का विचार है।

(घ) अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय वन विज्ञान बोर्ड

†५१७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वन विज्ञान बोर्ड की एक बैठक हाल में भुवनेश्वर में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-विषयों की चर्चा की गई थी और बोर्ड ने क्या सिफारिशें की थीं ; और

(ग) उन पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८३]**

(ग) मामला विचाराधीन है ।

बिजली से रेल गाड़ी चलाया जाना

†५१८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर और गोमोह के बीच बिजली से रेलगाड़ियां चलना शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या लागत आई है ; और

(ग) काम कब पूरा किया गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ग). आसनसोल से गोमोह तक के सेक्शन पर बिजली से रेलगाड़ियां चलना शुरू हो गया है । मार्च, १९६१ तक दुर्गापुर से आसनसोल तक के सेक्शन पर भी बिजली से गाड़ियां चलाये जाने की आशा है ।

(ख) लगभग ९.३३ करोड़ रुपये ।

खेती के औजार

†५१९. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना के अन्दर खेती के उत्तम औजारों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये योजना तयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) योजना की लागत क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे के लिये ढ़ले हुए लोहे के स्लीपर

†५२०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलसे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हनुमान इंजीनियर्स, गिरिडीह भी रेलवे को ढले हुए लोहे के स्लीपर सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो १९६० में कितने स्लीपर सप्लाई किये गये ; और

(ग) किन दामों पर ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर गैस की रोशनी

†५२१. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर सलेमपुर, लार रोड, बरहाज, भातपार रानी आदि कई रेलवे स्टेशनों पर जहां पहले गैस की रोशनी का प्रबन्ध था, हाल ही में हटा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन स्टेशनों पर बिजली की रोशनी का प्रबन्ध करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)**: (क) और (ख). पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ स्टेशनों पर रात्रि के समय जो यातायात होता है उसकी आवश्यकता को देखते हुए तथा बचत का ध्यान रखते हुए गैस की रोशनी या तो सर्वथा हटा दी गई है अथवा उनकी संख्या कम कर दी गई है तथा उनके स्थान पर मिट्टी के तेल का प्रकाश कर दिया गया है। इन स्टेशनों में भातपार रानी और बरहाज बाजार शामिल हैं, जहां गैस के सब लम्प हटा कर उनके स्थान पर मिट्टी के तेल के लैम्प रखे गये हैं तथा सलेमपुर और लार रोड में कुछ गैसों के स्थान पर मिट्टी के तेल के लैम्प रखे गये हैं।

(ग) नीति यह है कि जहां स्थानीय तौर पर बिजली का प्रबन्ध है, कार्यक्रम के आधार पर स्टेशनों पर बिजली का प्रबन्ध कर दिया जाये । तदनुसार भातपार रानी और बरहाज बाजार समेत छः स्टेशनों पर शीघ्र ही बिजली का प्रबन्ध करने का कार्यक्रम है ।

रद्दी इस्पात

†५२२. **श्री मुरारका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे किस अभिकरण के द्वारा अपने रद्दी इस्पात (स्टील स्क्रैप) बेचता है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में वर्षवार कुल कितना इस्पात का टुकड़ा बेचा गया है ;

(ग) वह किन दामों पर बेचा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ):** (क) लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा जारी की गई अनुमति के अनुसार रेलवे सीधी बिक्री करती है ।

(ख)	वर्ष	मात्रा बेची गई (टनों में) लगभग
	१९५५–५६	१०९०७३
	१९५६–५७	७७६०२
	१९५७–५८	५७५००
	१९५८–५९	८४२५४
	१९५९–६०	१०३५३०

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा (निश्चित एवं अनुमोदित मूल्यों के अनुसार)

प्राथमिक पाठशालायें

†५२३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार के पास रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये प्राथमिक पाठशालायें खोलने के प्रस्ताव आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि में रेलवे के लिये उन्हें चलाने के लिये राज्य सरकारों को कोई अर्थ सहायता दी गई है ; और

(ग) किन किन राज्यों ने योजनायें पेश की हैं तथा प्रत्येक को कितनी सहायता दी गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे संरक्षण बल

†५२४. **श्री दी० चं० शर्मा**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री आसर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पर जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के अभिकरण को अब की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से रेलवे संरक्षण बल के दर्जे और प्राधिकार को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह तैयार कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)**: (क) से (ग). रेलवे संरक्षण बल को रेलवे पर किये गये अपराधों की जांच के साथ लगाने या उन्हें यह काम सौंपने के द्वारा उसका अधिक प्रभावपूर्ण उपयोग करने के प्रस्ताव पर हाल ही में, राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ रेलवे मंत्री के सम्मेलन में चर्चा की गई थी और यह स्वीकार किया गया कि पहले दंड प्रक्रिया संहिता, रेलवे रक्षा बल अधिनियम तथा अन्य संगत विधियों का उचित ध्यान रखते हुए एक विस्तृत टिप्पण तैयार किया जाना चाहिये, जिसमें विशिष्ट रूप से यह दर्शाया जाये कि राज्य सरकारों को क्या करना होगा। यह टिप्पण तैयार किया जा रहा है।

गुजरात के ग्रामों का विद्युतीकरण

†५२५. **श्री मो० ब० ठाकुर**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री गुजरात के गांवों के विद्युतीकरण के लिये निधि के आवंटन की प्रार्थना के बारे में २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले में कोई फैसला कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस पर अन्तिम रूप से फैसला करने में कितना समय लगेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग) (१) जामनगर, (२) वल्लभ विद्या नगर, आनन्द, (३) बीजापुर और (४) नवसरी में एक एक हजार किलोवाट के ४ डीज़ल स्टेशन स्थापित करने के लिये ३१.९२ लाख रुपये की लागत की योजनायें मंजूर की गयी हैं और उनके लिये निधि का आवंटन कर दिया गया है। बाकी योजनाओं के लिये-क्षेत्रों में भार मांग आदि के बारे में राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है।

आयुर्वेदिक औषध सम्बन्धी गोष्ठी

†५२६. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में आयुर्वेदिक औषध प्रणाली सम्बन्धी एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) गोष्ठी में किस विषय पर विचार किया गया और क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) सरकार ने कौन कौन सी सिफारिशें मान ली हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना-काल के दौरान सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में ९ और १० जनवरी को निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के लिये नई दिल्ली में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था ; :

(१) औषधीय पौधों का सर्वेक्षण

(२) औषध की पहचान

(३) खेती

---

†मूल अंग्रेजी में

४. विशुद्ध औषध का संभरण ।

५. भैषज्य ज्ञानीय अनुसंधान; और

६. अन्य सम्बद्ध मामले ।

गोष्ठी ने निम्नलिखित बातों की आवश्यकता महसूस की :

१. औषधीय पौधों का समेकित सर्वेक्षण ।

२. संस्कृत नामों, हिन्दी नामों और स्थानीय नामों का ध्यान रखते हुए पौधों की सही पहचान ।

३. किये जा चुके कार्य का सर्वेक्षण करना और परिणाम निकालना ।

४. औषधीय पौधों की खेती—प्रयोगात्मक और वाणिज्यिक दोनों ।

५. औषध से सम्बद्ध चिकित्सा विषयक तत्वों की जांच ।

६. यह कार्य करने वाले विभिन्न संघों में निकट का सहयोग ।

गोष्ठी में सर्वेक्षण, संकलन, पहचान, सूखे पौधों का संग्रहालय, संग्रहालय, सूखे पौधों का बाग, खेती, श्रेणीकरण, भंडार, वितरण और शयनिक, भैषज्यज्ञानीय और वैदिक अध्ययन के बारे में सिफारिशें की गई हैं ।

(ग) सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

पैकेज प्रोग्राम

५२७. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में अन्नोत्पादन बढ़ाने के लिये लागू किये गये पैकेज प्रोग्राम की रूप रेखा क्या है ;

(ख) इस काम के लिये प्रति वर्ष कितना रुपया व्यय किया जायेगा ;

(ग) इसके लिये कितने नये कर्मचारी रक्खे जायेंगे और उन पर प्रति वर्ष कितना रुपया व्यय किया जायेगा ;

(घ) अलीगढ़ जिले का अन्नोत्पादन पिछले तीन साल में कितना रहा है और इस कार्य-क्रम की समाप्ति पर अन्नोत्पादन के कितना बढ़ने की संभावना है ।

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (घ). पूछी हुई जानकारी का एक विवरण नत्थी कर दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८५]**

रेल पथ का नवीकरण

†५२८. **श्री त्रिविब कुमार चौधरी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के बी० ए० के० लूप सेक्शन पर पथ नवीकरण का कार्य अभी चल रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सेक्शन पर ब्याण्डेल जंक्शन और निमतिता रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन का कितना भाग बदला जाना है; और

(ग) क्या इस सेक्शन पर गाड़ियों की रफ्तार के बारे में कोई प्रतिबन्ध लगा हुआ है ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) मील ३३–४४ (डुमुरदह और बघनापाडा स्टेशनों के बीच)

(२) मील १०२/०० से १०३/३३०० तक (मालिहाटी हाल्ट और टेंया स्टेशनों के बीच)

(३) मील १०८/२६४० फुल और १७०/०० (बाजारसौ और निमतिता स्टेशनों के बीच) ।

इन सेक्शनों पर तृतीय योजना के दौरान पटरी को बदला जायेगा ।

(ग) जी, हां । उपरोक्त (२) और (३) में उल्लिखित सेक्शनों पर रफतार पर प्रतिबन्ध लगा है जो कि पूरी पटरी बदले जाने के बाद हटा लिया जायेगा ।

कृष्णा और गोदावरी सम्बन्धी परियोजनायें

†५२९. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी का प्रयोग करने के बारे में विवाद सम्बन्धी महाराष्ट्र और मैसूर की राज्य सरकारों के बीच आपत्ति का फैसला हो गया है ;

(ख) यह विवाद किस आधार पर तै किया गया है ;

(ग) निपटारे की शर्तें क्या हैं; और

(घ) क्या श्री सैलम और पोचमपाद और नागार्जुन सागर परियोजनाओं के बारे में वचन देने के लिये दोनों राज्य सरकारों की आपत्तियां निपटा दी गई हैं और पहली दो परियोजनाओं की मंजूरी दे दी जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । इस मामले पर सम्बन्धित राज्यों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(घ) उपरोक्त को देखते हुये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हृदय की गति का रुक जाना

†५३०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में हृदय की गति रुकने से मरने वाले व्यक्तियों को कृत्रिम श्वसन द्वारा जिंदा करने के प्रयोग किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में इस प्रणाली को लोक प्रिय बनाने के लिये विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). मालिश द्वारा हृदय की गति पुनः चालू करने का तरीका, जिसका हाल ही में समाचार-पत्रों में ज़िक्र हुआ है, हृदय गति रुक जाने से मरने वाले अनेक व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। जिस हृदय गति रुक जाने पर यह लागू होता हैवह सामान्यतः वह दशा है जो कि चीरफाड़ के दौरान हृदय की धड़कन अचानक रुक जाने से उ पन्न होती है। हृदय रोग के कारण हृदय की गति रुक जाने से यह इलाज काम में नहीं आत्ता। हृदय गति पुनः चलाने की यह क्रिया हृदय की गति रुकने के कुछ ही मामलों में लागू होती है जो कि कम सामान्य परिस्थितियों के अधीन हृदय की गति रुक जाने से उत्पन्न होती है और इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार द्वारा विचार किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

रेलवे में प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूल

†**५३१. श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूलों का पाठ्यक्रम का समानीकरण करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जावेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कलकत्ता पत्तन के पदाधिकारी

†**५३२. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन में एक ही पदाधिकारी नौवहन कार्यालय और नाविक रोजगार ब्यूरो—दोनों का मुखिया है ;

(ख) क्या इस प्रकार सेवा को मिलाने के असंतोषजनक परिणाम के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां। कलकत्ता पत्तन पर नौवहन मास्टर जनवरी, १९५७ से नाविक रोजगार ब्यूरो के निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाले था। नवम्बर, १९५८ से बम्बई के पत्तन में भी ऐसी व्यवस्था चालू है। मितव्ययता के तौर पर इन दोनों पत्तनों पर यह व्यवस्था जारी रहने दी गई ।

(ख) कलकत्ता के शिपिंग मास्टर के विरुद्ध, जो उस पत्तन में नाविक रोजगार कार्यालय निदेशक भी हैं, कुछ शिकायतें आई हैं। ये शिकायतें कलकत्ता में कुछ गैर-प्रमाणीकृत नाविक संघों से और अन्य साधनों से प्राप्त हुई हैं जिनका पता इसलिये नहीं लगाया जा सका क्योंकि या तो वे गुमनाम थीं अथवा कल्पित नाम से थीं। इन सब की जांच की गई और इनको

†मूल अंग्रेजी में

निराधार पाया गया। एक बार कलकत्ता में जहाज के मालिकों ने जबानी कहा था कि इस बारे में वे वर्तमान व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, किसी भी ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) प्रत्येक पत्तन पर शिपिंग मास्टर और नाविक रोजगार कार्यालय के निदेशक के रूप में पृथक पृथक पदाधिकारियों की नियुक्ति करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

भद्रक और बालासोर स्टेशनों पर टेलीफोन

†५३३. **श्री का० च० जैना**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (दक्षिण रेलवे) भद्रक और बालासोर स्टेशनों पर शिकायत-पुस्तक में बार बार यह शिकायत दर्ज की गई है कि स्थानीय जनता द्वारा पूछताछ के लिये इन महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पृथक टेलीफोन लगाए जायें ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या पग उठाये गये हैं;

(ग) क्या स्थानीय जनता ने रेलवे विभाग से बालासोर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी ओर एक ऊपरी पुल बनाने की प्रार्थना की है क्योंकि यह आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो यह मामला किस प्रक्रम पर है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) जी, हां।

(ख) भद्रक के बारे में मांग डाक तथा तार अधिकारियों को बता दी गई है। इस समय यह सुविधा उपलब्ध करने में देरी इसलिये है कि इस समय डाक तथा तार एक्सचेंज की क्षमता का पूर्ण उपयोग हो रहा है।

बालासोर के बारे में, सहायक स्टेशन मास्टर के कमरे में एक टेलीफोन है जिसकी एक्सटेन्शन गुड्स शेड में लगी है।

(ग) और (घ). जी, हां। वर्ष १९६१–६२ के लिये दक्षिण-पूर्व रेलवे के निर्माण-कार्यक्रम में एक ऊपरी पुल की व्यवस्था शामिल कर ली गई हैं।

भू-स्वामियों को बकाया का भुगतान

†५३४. **श्री का० च० जेना**: क्या **रेलवे** मंत्री २२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोर में भूतपूर्व जिला मजिस्ट्रेट अथवा उसके उत्तराधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को भू-स्वामियों को बकाया रकम की अदायगी की सूचना दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो भुगतान की क्या तिथि है और उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिन्हें बालासोर (उड़ीसा) के जिला मजिस्ट्रेट से ऐसी बकाया रकम मिली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें ० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

तथापि, यह समझा जाता है कि कुल ५१० में से अभी तक ३३७ प्लाट होल्डरों को भुगतान किया गया है ।

रेलवे में आम हड़ताल

†५३५. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पिछली आम हड़ताल के दौरान कुल कितने कर्मचारियों पर दोषारोप लगाया गया, कितनों को मुअत्तिल किया गया और कितनों को बर्खास्त किया गया;

(ख) उनमें से कितनों को बहाल कर दिया गया है; और

(ग) अभी कितनों को बहाल करना शेष है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) :** (क) से (ग). इस बारे में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है ।

	पूर्व रेलवे	दक्षिण-पूर्व रेलवे
१. सेवा से मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों की संख्या	३३२३	११२१
२. अब भी मुअत्तिल कर्मचारियों की संख्या (बाकी को बहाल कर दिया गया है, चाहे उनकी सेवायें समाप्त की गई हो या नहीं)	६२	३०
३. दोषारोप लगाये गये कमचारियों की संख्या	५९५	७७१
४. उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध मामले विभागीय जांच के लिये अथवा पुलिस में अथवा न्यायालय में लम्बित हैं।	६२	३०
५. आरम्भत: बर्खास्त किये गये या नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों की संख्या	३४	७७
६. उपरोक्त (५) में से पुनर्विलोकन के लिये बहाल किये गये कर्मचारियों की संख्या	२६	७४
७. पुनर्विलोकन के बाद भी बर्खास्त किये गये अथवा सेवा से निकाले गये कर्मचारियों की संख्या	८	३

सिंचाई के कुए

†५३६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में सिंचाई के कुएं बनाने के लिये विभिन्न राज्यों को कितना धन मंजूर किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १५ फरवरी, १९६१ तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) कुल कितने कुए खोदे गये हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). वर्ष १९५८–५९ में लागू की गई पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन विभिन्न योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता के बारे में वर्ष के आरम्भ में वर्गवार राज्य सरकारों को बता दिया जाता है और वर्ष १९६०–६१ के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता की मंजूरी योजनावार नहीं बल्कि वर्ग-वार मार्च, १९६१ में दी जायेगी। वर्ष १९६०–६१ में सिंचाई के कुएं खोदने के लिये मंजूर की गयी और राज्यों द्वारा खर्च की गई धनराशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। छोटे सिंचाई कार्यों के लिये कुल मिला कर २७.९४ करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं जिसमें वर्ष १९६१ में सिंचाई कुए स्थापित करने का कार्यक्रम भी शामिल है जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८६]** यह आशा की जाती है कि राज्य इस व्यय को पूरी तरह खर्च कर लेंगी ।

(ग) परिणामों के बारे में राज्य सरकारों से पूरी प्रगति रिपोर्टें नहीं मिली हैं। तथापि यह आशा की जाती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग दो लाख नये खुले कुएं बन जायेंगे ।

अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन

†५३७. **श्री प्र० के० देव :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में ग्राम्य पुनर्निर्माण के बारे में हुए अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने का कोई निर्णय किया गया ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय का क्या ब्यौरा है;

(ग) देश में इन को किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ;

(घ) क्या द्वितीय योजना में निर्धारित खाद्य के उत्पादन का लक्ष्य अब तक पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कमी कहां पर है और उसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). भारत कृषक समाज से मांगी गई अपेक्षित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

(ग) इस प्रश्न पर यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) मूलतः द्वितीय योजना में ६५० लाख टन के मूल उत्पादन के अतिरिक्त १०० लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने का लक्ष्य था। बाद में इसमें संशोधन कर के

†मूल अंग्रेजी में

इसको १५५ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन कर दिया जिससे कुल उत्पादन के ८०५ लाख टन होने की आशा थी। वर्ष १९५६–५७ से प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित उत्पादन हुआ :

वर्ष	उत्पादन का अनुमान
१९५६–५७	६८८ लाख टन
१९५७–५८	६२५ लाख टन
१९५८–५९ (अशतः पुनरीक्षित प्राक्कलन)	७५५ लाख टन
१९५९–६० (अन्तिम प्राक्कलन)	७१८ लाख टन

योजना के अन्तिम वर्ष १९६०–६१ में खाद्यान्न के उत्पादन के बारे में आंकड़े केवल जून-जुलाई, १९६१ में पता लग सकते हैं। तथापि, प्रारम्भिक रिपोर्टों से पता चला है कि खाद्यान्न का कुल उत्पादन वर्ष १९५८–५९ के उत्पादन के स्तर के आस पास होगा ।

(ङ) लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के प्रमुख कारण ये हैं : विदेशी मुद्रा की कमी और और अपर्याप्त अन्तर्देशीय सभरण के कारण उवरकों के लक्ष्य प्राप्त न करना, विशेषतः बड़ी और बीच की सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सिंचाई साधनों के प्रयोग में बिलम्ब, बीज फ़ार्मों के संगठन में प्राथमिक कठिनाइयां, ट्रक्टरों और अतिरिक्त पुर्जों की कमी के कारण भूमि के कृष्यकरण पर विकास कार्यक्रमों का पिछड़ना और कृषि कार्यों के लिये लोहे और इस्पात का कम संभरण आदि ।

चेचक का टीका तैयार करने वाला कारखाना

†५३८. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चेचक का टीका तैयार करने वाला कोई कारखाना है; और

(ख) यदि हां, तो कितने कारखाने हैं और कहां हैं और कुल उत्पादन कितना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी , हां ।

(ख) भारत में टीका बनाने की १३ संस्थायें हैं और उनके स्थान और वर्तमान उत्पादन क्षमता के बार में नीचे बताया गया है :

	प्रति वर्ष १० लाख स्टेण्डर्ड खुराक
१. इन्स्टीच्यूट आफ़ प्रीवेन्टिव मेडिसिन, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	३
२. वैक्सीन डिपो, शिलांग (आसाम)	३
३. वैक्सीन डिपो, नामकुम (बिहार) . .	१६
४. पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, त्रिवेन्द्रम (केरल) . .	५
५. किंग इन्स्टीच्यूट, गिन्डी (मद्रास) . . .	४

†मूल अंग्रेजी में

६. मनपुर लिम्फ डिपो, इन्दौर (मध्य प्रदेश) . . .	०·८
७. वैक्सीन इन्स्टीच्यूट, नागपुर (महाराष्ट्र) . .	३
८. वैक्सीन इन्स्टीच्यूट्, बगलौर, (मैसूर) . .	३
९. वैक्सीन इन्स्टीच्यूट्, बेलगांव (मैसूर) . .	१०
१०. वैक्सीन इन्स्टीच्यूट , अमृतसर (अमृतसर) . . .	४
११. स्टेट वैक्सीन इन्स्टीच्यूट, पटवादानगर, नैनीताल (उत्तर प्रदेश)	१२
१२. वैक्सीन इन्स्टीच्यूट, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) . .	१०
१३. कलकत्ता कारपोरेशन वैक्सीन इन्स्टीच्यूट्, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)	३
कुल	७६.८

कटनी के निकट रेलवे साईडिंग

५३९. पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटनी जंक्शन के निकट कटनी और कमोर के बीच के क्षेत्र के खनिज धन के विकास के लिये सुदीर्घ काल से रेलवे द्वारा साईडिंग की व्यवस्था की जाने की मांग की जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शासन उक्त साईडिंग की व्यवस्था के लिये प्रतिवर्ष राशि स्वीकृत करता है किन्तु अब तक साईडिंग की व्यवस्था नहीं हो सकी है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र की खनिज सम्पत्ति और उद्योगों के विकास का ध्यान रखते हुए सरकार अतिशीघ्र साईडिंग की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां। तेजी से बढ़ते हुए चूना उद्योग के लिये साईडिंग की अधिक सुविधा देने के सम्बन्ध में इस क्षेत्र के उद्योगपतियों की ओर से कई बार प्रार्थना की गयी है।

(ख) और (ग). इस समय जुकेही स्टेशन से एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड की कमोर सीमेंट फैक्टरी तक १३.२५ मील लम्बी एक इमदादी साईडिंग है। इससे पहले कि इस क्षेत्र में और उद्योगों के लिये साईडिंग बनायी जाय, यह जरूरी है कि इस साईडिंग मे आवश्यक सुधार करके और क्रासिंग स्टेशन आदि बनाकर इसकी क्षमता बढ़ायी जाय। इस उद्देश्य से यह तय किया जा चुका है कि इमदादी साईडिंग और कटनी के श्री के० एल० गुप्त की एक छोटी स्पर साईडिंग, दोनों को रेलवे ले ले और अपनी साईडिंग बनाये। इसलिये, वर्तमान करार के अनुसार इन दोनों पक्षों को छः महीने का नोटिस दिया गया है। नोटिस की अवधि बीत जाने पर दोनों साईडिंग ले ली जायेंगी और उन्हें रेलवे साईडिंग में बदल दिया जायेगा। इसमें आवश्यक सुधार करने के बाद इस क्षेत्र के उद्योगपतियों के लिये साईडिंग की अधिक सुविधा देने के सम्बन्ध में उपाय किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग की विभागीय परीक्षा

†५४०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में डाक तथा तार विभाग में टेलीग्राफ मास्टर के पद पर पदोन्नति के लिये एक विभागीय परीक्षा की जाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षा में बैठने की क्या शर्तें हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से टेलीग्राफिस्टों को जो ५ वर्ष से भी अधिक कार्य कर चुके हैं, उस पदोन्नति की परीक्षा में बठने नहीं दिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) यह परीक्षा जो मुलत: २५ और २६ फरवरी, १९६१ को होने वाली थी, अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गयी है।

(ख) परीक्षा में पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार हैं :

(१) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सामान्य छट दे कर टेलीग्राफिस्ट के पद पर कम से कम ५ वर्ष की सेवा ;

(२) टेली ग्राफिस्ट के पद पर स्थायीकरण ;

(३) सेवा का अच्छा रिकार्ड; और

(४) अभ्यार्थियों ने, उन को दिये जाने वाले, अधिकतम ४ अवसरों का लाभ न उठा लिया हो।

(ग) और (घ). क्यों कि सेवा की शर्त पात्रता की एक शर्त है, जो अभ्यार्थी अन्य शर्तें पुरी नहीं कर पाते, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है।

राजस्थान नहर के लिये इस्पात की कमी

†५४१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण-कार्य में इस्पात की कमी से विलम्ब हुआ है ; और

(ख) समय पर पर्याप्त मात्रा में इस्पात के संभरण करने के लिये अभी तक क्या कार्य-वाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) इस्पात के कम संभरण के कारण कुछ निर्माण-कार्यों में प्रगति में कुछ बाधा पड़ी है।

(ख) इस परियोजना को प्राथमिकता देने के लिये लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को आदेश दे दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे के पास माल-डिब्बे

†५४२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर रेलवे के पास कितने माल-डिब्बे हैं ;

(ख) वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में कितने माल-डिब्बे रद्द किये गये और सेवा से हटाये गये ; और

(ग) उनमें से कितनों को स्क्रेप यार्ड में भेज दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) :** (क)

बड़ी लाइन	३८३५०	चार पाहियों वाले
मीटर गेज	७२४५	
छोटी लाइन	४८८	

(३१–१–१९६१ को)

(ख)	बड़ी लाइन	मीटर गेज
१९५९–६०	३४०	२२
१९६०–६१ (३१–१–६१ तक)	१६७	२२
(ग) वर्ष १९५९–६० में रद्द किये गये डिब्बों में से	३४०	शून्य
वर्ष १९६०–६१ में रद्द किये गये डिब्बों में से	१६७	शून्य

खंड विकास पदाधिकारी

†५४३. **श्री कालिका सिंह :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास खंडों के कुछ पदाधिकारियों को हाल ही में अमरीका भेजने के लिये चुना गया है, और यदि हां, तो राज्य-वार उनकी क्या संख्या है ; और

(ख) अमरीका में वे क्या प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किसी भी योजना के अधीन सामुदायिक विकास खंडों के किसी भी पदाधिकारी को अमरीका नहीं भेजा गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार घर

†५४४. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग ने प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान (जिला-वार) केन्द्रीय सर्किल में कितने डाक तथा तार घर खोले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८७]**

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १।

(दो) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४८ में प्रकाशित गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१।

(तीन) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९ में प्रकाशित चीनी (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१

सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-२६६९/६१]

लोक लेखा समिति

तेतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन (कूच बिहार–रक्षित–अनुसूचित जातियां) :** मैं विनियोग लेखे (रेलवे) १९५८–५९ तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन १९६० के बारे में लोक लेखा समिति का तेतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

एक सौ सातवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा (बंगलौर) :** मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय—प्रशिक्षण संस्थाओं के बारे में प्राक्कलन समिति (प्रथम लोक सभा) के तड़ेसठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं २७ फरवरी, १९६१ को प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) आज के कार्य क्रम में से बचे हुए किसी कार्य पर विचार

(२) रेलवे आय व्ययक पर सामान्य चर्चा

(३) निम्नलिखित मदों पर चर्चा और मतदान :—

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६०–६१ के लिये

अनुदानों की मागें (रेलवे) १९६१–६२ के लिये

माननीय सदस्य जानते हीं हैं कि मंगलवार २८ फरवरी १९६१ के सायंकाल ५ बजे वर्ष १९६१–६२ के लिये सामान्य आय व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा ।

सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : सभा का कोई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम २२९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मेरा ध्यान था कि इस सभा के एक सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना आपको मिल गई होगी । नियम के अनुसार जैसे ही कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को इसकी सूचना तुरंत ही आपको देनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस नियम के बारे में मुझे जानकारी है । किस सदस्य को गिरफ्तार किया गया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : श्री प्र० ना० सिंह । कल रात उन्हें बम्बई में गिरफ्तार किया गया है । समाचार पत्रों में भी उनकी गिरफ्तारी का समाचार छपा है । बात यह है कि समाचार पत्रों को समाचार पहले मिल जाते हैं लेकिन आपको इसकी सूचना भी नहीं दी गई है । यह बात इस मामले में ही नहीं हुई है बल्कि पीछे भी कुछ मामलों में हुई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा निवेदन है कि जब तक यह सूचना आये तब तक माननीय सदस्य शांति रखें । कभी कभी ऐसा होता है कि गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी तार द्वारा इसकी सूचना देते हैं और डाकखाने में तार को भेजने में किसी कारण देरी हो जाती है । फिर भी इस बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा । साथ ही इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि भविष्य में ऐसी घटना न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मेरा कहना तो यही है कि जब मुझे तार द्वारा यह सूचना कल रात को ही मिल गई है तो क्या कारण है कि तार आपको क्यों नहीं मिला । इसमें डाकखाने की भूल नहीं मालूम होती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का कहना है कि जब उनको तार मिल गया है तो मुझे क्यों नहीं मिला । निश्चय ही यह खेद की बात है । माननीय मंत्री महोदय यह देखेंगे कि इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायें ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०-६१—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार किया जायेगा और मतदान होगा ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : गंगा बांध परियोजना बनाने की बात १०५ वर्ष पूर्व उठी थी लेकिन तब से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने—न तो ब्रिटिश सरकार ने ही और न भारत की स्वतंत्र सरकार ने—इसके बारे में कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार किया है । इस वर्ष के आय व्ययक में भी इस परियोजना के लिये कुछ भी राशि निर्धारित नहीं की गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में क्या फैसला किया है । सरकार को उस सम्बन्ध में स्पष्ट बताना चाहिये । मैं सरकार का ध्यान कलकत्ता पत्तन की स्थिति की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं जो कि खतरनाक रूप धारण करती जा रही है । वह पत्तन साल के अधिक भाग में बेकार ही रहता है। वहां ६००० टन से अधिक के जहाज नहीं जा सकते हैं । और यह स्थिति तभी हो सकती है जब कि इस योजना को तेजी से पूरा किया जाये । साथ ही मैं यह भी मालूम करना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में कोई आपत्ति उठाई है? सरकार यह भी बताये कि क्या सरकार का इरादा पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद भी इस काम को आगे बढ़ाने का है अथवा नहीं ?

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : भारतीय विनियोजना केन्द्र के खोलने के लिये मैं बधाई देता हूं । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इरादा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद और कानपुर जैसे बड़े बड़े स्थानों पर ये केन्द्र खोलने का है?

खाद्यान्न उत्पादन के बारे में अब हमें अपना रवैया बदलना चाहिये । अब यह आवश्यक है कि बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं की ओर अधिक ध्यान न देकर सिंचाई सम्बन्धी छोटी योजनाओं पर और भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । उर्वरकों को समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में बांटने के लिये अच्छा प्रबंध किया जाना नितान्त आवश्यक है । सस्ती बिजली, सस्ते नहरी पानी की भी व्यवस्था की जानी चाहिये । मेरा निवेदन है कि खेती के प्रयोजनों के लिये नहरी पानी और बिजली राज सहायता प्राप्त दरों पर देने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

इस्पात के संधारण मूल्य को बढ़ाने के बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई निश्चित घोषणा नहीं हुई है । पता नहीं इस प्रकार की घोषणा करने में देर क्यों की जा रही है? वह समय आ गया है जब हमें इस्पात का संधारण मूल्य निश्चित करने सम्बन्धी

---

†मूल अंग्रेजी में

अपनी नीति का पुनरीक्षण करना चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि हम कब तक इस्पात का आयात करते रहेंगे । सरकार को अब इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि क्या आयात किये गये और देश में तैयार होने वाले इस्पात के लिये अलग अलग कीमत नहीं रखी जा सकती।

रेलवे अभिसमय समिति जैसी एक अभिसमय समिति डाक तथा तार विभाग के आर्थिक ढांचे की जांच करने के लिये स्थापित की जानी चाहिये । यह समिति इस बात का निर्णय करे कि डाक तथा तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व को कुछ लाभांश दिया जाना चाहिये अथवा नहीं, और यदि वह दिया जाना चाहिये तो वह कितना हो? अब वह समय आ गया है जब कि सरकारी उपक्रमों की अर्थ व्यवस्था को एक अलग ही ढंग से तैयार किया जाना चाहिये । अतः इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

इस्पात संयंत्रों की कोयला भट्टी के सहायक उत्पादों से दवाइयां बनाने के लिये तो उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय को मैं बधाई देता हूं लेकिन साथ ही यह निवेदन भी करता हूं कि वह मंत्रालय इस प्रकार के और भी साधन तलाश करे । सरकार को यह भी चाहिये कि वह कीमती दवायें बनाने वाला एक कारखाना स्थापित करे ताकि सभी लोगों को सस्ते दामों पर अच्छी दवायें मिल सकें ।

दिल्ली में गणतंत्र दिवस के प्रबन्ध में घोर कुव्यवस्था थी । यहां तक कि संसद् सदस्यों को भी अपने बैठने के स्थान पर जाने में भी कठिनाई हुई । यही नहीं बल्कि स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ स्थानों पर आमंत्रितों पर लाठी वर्षा तक की गयी है । यह बड़े खेद की बात है । सरकार एक ओर तो लोगों को आमंत्रित करती है और दूसरी ओर उन पर लाठी वर्षा करती है । इसके लिये सरकार को जनता से क्षमा-याचना करनी चाहिये ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मांग संख्या ५९ मनीपुर के बारे में है । अधिकांश से भी अधिक धन मनीपुर में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये मांगा गया है । मनीपुर के लिये इतना धन मांगा गया है इसकी तो मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन बात इतनी है कि क्या इसका उचित उपयोग किया जायेगा? मनीपुर में पड़ौसी राज्यों से जैसे बिहार तथा बंगाल से काफी संख्या में पुलिस बुलाई गई है जिसकी वहां इतनी आवश्यकता नहीं है । मनीपुर में भी काफी संख्या में गृह मंत्रालय द्वारा पदाधिकारी भेजे गये हैं । लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है कि जो पदाधिकारी वहां भेजे गये हैं वे ठीक नहीं हैं । उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि मनीपुर में पुलिस पर अतिरिक्त व्यय करने का कोई औचित्य नहीं है । वहां की जनता उत्तरदायी शासन की मांग करते हुए जो वैधानिक आन्दोलन चला रही है उसमें वह सदैव अहिंसापूर्ण और शान्तिपूर्ण बनी रही है । उस राज्य क्षेत्र की जनता को मुख्य आयुक्त का शासन स्वीकार नहीं है । स्थानीय प्रशासकों का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण नहीं है और वे लोग वहां की जनता की वास्तविक समस्याओं को समझने का जरा भी प्रयास नहीं करते ।

यह बड़ी चिंता का विषय है कि नागा विद्रोही चोरी से मनीपुर में प्रवेश कर आये हैं और वहां गड़बड़ी फैला रहे हैं । वहां अमन चैन कायम किया जाना चाहिये । गत ३०

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० अचौ सिंह]

सितम्बर को मनीपुर के न्यू चूड़ाचांदपुर में पुलिस द्वारा जो गोली वर्षा की गई उसकी अदालती जांच होनी चाहिये । वहां की प्रादेशिक परिषद् को जो धन दिया जाता है उसमें वृद्धि की जानी चाहिये । वहां के कर्मचारियों के लिये नकद भत्ते मंजूर किये जाने चाहिये। गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन तथा भत्तों में भी वृद्धि होनी चाहिये । सरकार को इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिये ।

खाद्यान्न के बारे में भी मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि मनीपुर जो कि खाद्यान्न के बारे में अतिरिक्त खाद्यान्न वाला क्षेत्र था अब किस प्रकार कमी वाला क्षेत्र हो गया । गत वर्ष तो वहां अकाल की भी स्थिति आ गई थी । अगर यह बात ठीक है तो वहां खाद्यान्न पहुंचाने के लिये परिवहन तथा संचार साधनों को ठीक करना चाहिये ताकि वहां आसानी एवं जल्दी से खाद्यान्न पहुंचाया जा सके ।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : इस्पात के संधारण मूल्य में वृद्धि के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है । इससे उसके सम्बन्ध में अटकलबाजी का बड़ा मौका मिला है । इस मूल्य की वृद्धि सम्बन्धी ब्यौरा देने में अब देर नहीं की जानी चाहिये । मूल्य की वृद्धि के बारे में प्रशुल्क आयोग को भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इस बात की भी घोषणा नहीं की गई कि यह मूल्य वृद्धि कितने समय तक चलती रहेगी । अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्टीकरण करें ।

श्री आसर (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, पूरक मांगों के बारे में मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव रक्खे हैं। उन में से मांग नं० १५ भी है। सन् १९५५ में भाषा कमिशन की नियुक्ति की गई थी। कमिशन ने सन् १९५६ में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट की सिफारिशों पर लोक सभा की समिति ने विचार किया और अपनी रिपोर्ट सन् १९६० में दी। सरकार ने अप्रैल, १९६० में शास्त्रीय और तांत्रिक पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिये एक कमिशन की नियुक्ति की है। यह नियुक्ति की गई है, यह ठीक है, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है उस से पता नहीं चलता कि शास्त्रीय और तांत्रिक पारिभाषिक शब्दों का कोष हिन्दी में बनेगा। आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी इन शब्दों का निर्माण हो। शास्त्रीय पुस्तकों का भी हिन्दीकरण करना आवश्यक है। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि जितनी जल्दी शास्त्रीय और तांत्रिक पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो सके, उस को करने का प्रयत्न किया जाय। ऐसा शब्द कोश बनाते समय ऐसे शब्दों का रखना आवश्यक है जो आसानी से सब की समझ में आ सकें। मेरा सुझाव है कि हमारी भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्दों का बहुत बड़ा भंडार है इसलिये यदि पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करते समय हम संस्कृत शब्दों का उपयोग करेंगे तो वे आसानी से सब की समझ में आ सकेंगे। इस की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

पूरक मांग न० २८ के बारे में मुझे दो बातें कहनी हैं। इस समय जाली नोट बनाने के कारखाने चारों ओर बहुत चालू हैं। इस चीज को हम रोक नहीं सके। इस का प्रभाव छोटे छोटे शहरों और देहातों पर बहुत हुआ है। थोड़े दिन पहले मुझे एक अनुभव हुआ। एक भाई ने अपना नोट रिजर्व बैंक में भेजा। भेजने के बाद वह नीचे राह देखता रहा कि कब रिजर्व बैंक पैसा भेजे और उसे फुटकर रुपये मिल जायें। लेकिन उस को एक कागज मिला

---

†मूल अंग्रेजी में

जिस में बताया गया था कि उस ने जो नोट दिया है वह जाली है। बेचारा बड़े शहर से गया था, उस के पास ज्यादा पैसा नहीं था। वह समझता था १०० रु० के नोट के रु० उस को मिल जायेंगे। लेकिन वहां पर उस को बतलाया गया कि चूंकि उस का नोट जाली था इसलिये उस को कांफिस्केट कर लिया गया है। देहातों और छोटे शहरों में यह स्थिति होती है। आखिर लोगों को कैसे पता चले कि फलां नोट अच्छा है और फलां नोट जाली है ? देखने में कोई भी फर्क नहीं मालूम पड़ता है लेकिन जब वह रिजर्व बैंक जाता है तो उस को कांफिस्केट कर लिया जाता है। चूंकि इस से देहातों और छोटे शहरों में बड़ी दिक्कत होती है इस लिये इस ओर ध्यान दिया जाय।

थोड़े दिनों पहले एक पेपर में न्यूज आई थी कि कई स्थानों में जो हमारी नई क्वायन्स हैं उन की सप्लाई पूरी नहीं होती है, इस से बहुत से लोगों को परेशानी होती है। इस की ओर ध्यान दिया जाय।

पूरक मांगों न० ४१ और ११९ के बारे में भी मुझे दो बातें कहनी हैं। विदेश से मंगाये हुए अनाज पर सब्सिडी देने की मांग है। लेकिन यह सब्सिडी हम स्टेट्स को क्यों दे रहे हैं ? प्रदेशों को हम वितरण के लिये अनाज देते हैं और सब्सिडी भी देते हैं, लेकिन यह नहीं देखा जाता कि अनाज का वितरण ठीक होता है या नहीं, इस सिस्टम में कोई गड़-बड़ी होती है या नहीं। पजाब की विधान सभा की लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि इस अनाज के व्यापार में ७० लाख रु० का गबन हुआ है, इसी तरह से जम्मू और काश्मीर की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि वहा लाखों रुपयों का गबन हुआ। इतना गबन होते हुए भी हम इन राज्यों को सब्सिडी देते हैं। मेरा कहना है कि हमारे पास ऐसी मैशीनरी नहीं है जिस से हम देख सकें कि यह गबन क्यों होता है और यह गड़बड़ क्यों होती है। यह चीज़ ठीक नहीं है। इस ओर भी हमारी सेंट्रल गवनमेंट को ध्यान देना चाहिये। इस गबन को रोकने के लिये मैशीनरी होनी चाहिये, अगर वह नहीं है तो उस का जल्दी से निर्माण होना चाहिये।

हम लोग गेहू और चावल बाहर से मंगाते हैं। थोड़े दिन पहले प्रेस में खबर थी कि बम्बई में यह माल डाक पर आया, उस के बाद १५ या २० दिन तक वहीं पड़ा रहा। उस के बाद स्थिति यह हो गई कि बहुत सा अनाज खराब हो गया। बतलाया गया कि वह खाने की दृष्टि से ठीक नहीं है। जब विदेशों से माल आता है और इस तरह से डाक पर पड़ा रह जाता है तो हमारा बड़ा नुक्सान होता है। उस को तुरन्त वहां से ट्रांस्पोर्ट करने की आवश्यकता होती है। अगर यह नहीं होगा तो बहुत सा माल वहां का चोरी हो जायेगा या खराब हो जायेगा। हम लोग बाहर से माल लाते हैं लेकिन आप ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में २० हजार टन माल खराब हो गया। अपने देश में अच्छी तरह के गेहू पैदा होते हुए भी जब बाहर से हम माल लेते हैं तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि स्टाक में पड़ा पड़ा अनाज खराब न हो। जब भी इस बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो जवाब दिया जाता है कि यह जिम्मेदारी स्टेट्स की है। लेकिन जब इस अनाज को पूरा करने की जिम्मेदारी सेंटर की है तो यह कभी नहीं हो सकता कि हम इस बात की जिम्मेदारी स्टेट पर छोड़ कर अलग बैठ जायें। हम ने जो पालिसी तय की है उस के अनुसार जब हम माल खरीद करते हैं तो उस का खराब होना ठीक नहीं है। इस दृष्टि से सरकार के लिये यह देखना आवश्यक है कि अपने देश में माल पैदा होते हुए भी जब हम बाहर से माल मंगाते हैं तो उसका वितरण ठीक से हो और सब को अनाज मिले। इस चीज की जिम्मेदारी सेंटर पर है इस लिये मैं इस का जवाब मिनिस्टर साहब से चाहता हूं।

[श्री आसर]

मैं देहातों से आता हूं। वहां पर ठीक समय पर माल नहीं पहुंच पाता है। खास कर जो हिली ट्रैक हैं वहां माल भेजने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। हमारा उद्देश्य है कि देहातों में सब को सस्ता अनाज मिले, लेकिन स्थिति यह है कि जो माल हमारे यहां बारिश से पूर्व जाना चाहिये वह एडमिनिस्ट्रेशन के खराब होने की वजह से बारिश से पूर्व नहीं पहुंच पाता है। नतीजा यह होता है कि बारिश से पूव जिस कार्ट लोड के लिये हम को पांच रुपये देने पड़ते हैं, बारिश के बाद उस के हर एक बोरे पर पांच रुपये देने पड़ते हैं, आखिर इस के लिये तो सरकार सब्सिडी नहीं देती है, इसलिये जो ज्यादा किराया लोगों को देना पड़ता है वह सब जनता पर पड़ता है और अनाज उन को मंहगा लेना होता है। इस लिये सब जगहों पर विशेषकर हिली ट्रैक्स पर बारिश से पूर्व अनाज पहुचाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

थोड़े दिन पहले लोगों ने तकरीर की थी कि बम्बई में और अन्य स्थानों में सस्ते अनाज की दूकानों पर जो अनाज बेचा जाता है वह अच्छा नहीं होता, साफ नहीं होता है। जिस हालत में वह बाहर से आता है वैसा ही वहां दे दिया जाता है। इस बात का मिनिस्टर को पता है। मैंने सब को बतलाया है कि वहां अच्छा अनाज देना चाहिये। लेकिन वहां पर जो अनाज मिलता है वह सड़ा हुआ होता है। जब हम अमरीका से पैसा दे कर गेहू लाते हैं तो ऐसा क्यों होता है? हम को वहां से अच्छा माल लेना चाहिये। आज इस के लिये कोई मशीनरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि माल खरीदते वक्त वहां पर हमारा कोई आदमी रहे ताकि अच्छा माल मिल सके।

अब मैं डिमान्ड नं० ५७ के बारे में कहना चाहता हूं। स्टेशनरी की सप्लाई ठीक नहीं है। हमारे पास सतारा डिस्ट्रिक्ट से खबर आई है कि वहां के सेंट्रल एक्साइज आफिस को पिछले दो सालों से स्टेशनरी सप्लाई नहीं की गई। दो वर्ष पहले सप्लाई की गई थी। रेलवे में स्टेशनरी गायब हो गई थी। गायब होने के बाद कुछ लोगों ने पूछा कि स्टेशनरी क्यों नहीं आई तो जवाब दिया गया कि हमारे पास स्टेशनरी नहीं है। हम ने जो स्टेशनरी मांगी थी वह गायब हो गई, इसलिये जो स्टेशनरी है उसी से काम चलाओ। वह बेचारे कहां से चलाएं। वह अपनी जेब से तो पैसा खर्च नहीं कर सकते। गए दो वर्षों से लोगों को स्टेशनरी नहीं मिल रही है। और उन को कभी किसी के पास से मांगना पड़ता है और कभी किसी के पास से मांगना पड़ता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं और इनको दूसरों से भीख मांग कर अपना काम चलाना पड़ता है, यह बहुत लज्जास्पद है। यह देखना चाहिए कि सब जगह पूरे तौर पर से स्टेशनरी पहुंचे। स्टेशनरी ठीक से न पहुंचने का परिणाम यह हुआ है कि उस आफिस में वह फार्म नहीं है कि जो सेंट्रल एक्साइज में व्यापारियों के लिए होता है। उसका परिणाम यह हुआ है कि एक छापने वाले ने वह फार्म छाप लिया है और उसको एक एक रुपया और आठ आठ आने में बेचा जाता है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इसके बारे में जांच की जानी चाहिये। और समय पर स्टेशनरी पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

आखिर में मैं रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में दो एक बात बताना चाहता हूं। गत साल भी एक पूरक मांग आयी थी, लेकिन आज १-५ लाख की एक पूरक मांग उस कमीशन के खर्चे के लिए आयी है जो मशीनरी खरीदने गया है। जैसा कि मैं ने गत साल भी बताया था, आज आपको बाडर पर सड़क बनाने की जल्दी से जल्दी आवश्यकता है। चारों ओर

की परिस्थिति को देखते हुए बार्डर पर जितना पैसा भी खर्च कर सकें उतना करना चाहिए। लेकिन इस साल में हमने १–५ लाख की पूरक मांग रखी है। इस मांग को गत साल ही रखना चाहिए था और मशीन आदि मंगाना चाहिए था। आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे चारों ओर के बार्डर को खतरा है, और इस खतरे को देखते हुए हमें जल्दी से जल्दी रोड कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए और जितना भी पैसा चाहिए उसको पूरक मांग द्वारा ले कर इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ऐसा किया जाएगा।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेदिया) : भारतीय भाषाओं में अनुवाद करते समय वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शब्दों का प्रयोग करते समय किस सिद्धान्त को अपनाया जाता है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । इन शब्दों के स्थान पर बड़े क्रिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिये । अतः मेरा निवदन है कि इस समय जिस पारिभाषिक शब्दावलि का प्रयोग किया जा रहा है उसे ही जारी रहने दिया जाये उनके स्थान पर भद्दे और पुराने पड़ चुके शब्दों का प्रयोग नहीं शुरू किया जाना चाहिये ।

जिस विनियोजन केन्द्र की स्थापना की गई है पता नहीं उसके कार्यक्रम के अधीन किस प्रकार की विदेशी पूंजी लगायी जायेगी इस प्रकार की विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति देने से पहले सरकार को इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि देशी पूंजी से मध्यम और छोटे पैमाने वाले जो उद्योग विकसित हो रहे हैं कहीं यह विदेशी पूंजी उनसे तो होड़ नहीं करेगी ।

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आसाम को पुलिस के लिये इतना अधिक धन क्यों दिया । मैं नहीं जानता कि आसाम के झगड़ों के बाद पुलिस की संख्या कम हो गई है अथवा अधिक । हम देखते हैं कि आसाम की पुलिस के लिये तो अतिरिक्त धन की व्यवस्थ की गई है लेकिन वहां उपद्रवों में जो लोग विस्थापित हो गये हैं उनके लिये बिल्कुल भी धन नहीं रख गया है ।

राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार नहीं किया गया है । वे मौसम के थपेड़े सह सकने में असमर्थ हैं । मेरा निवेदन है कि रूप नारायन तथा दामोदर पुल आगामी कुछ महीनों में ही बना दिये जायें क्योंकि इसके बिना राष्ट्रीय पथ बिलकुल बेकार है ।

फरक्का बांध योजना को तीसरी योजना में ही शामिल किया जाना चाहिये । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह यह बतायें कि इसे तृतीय योजना में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (वसिरहाट) : सर्वप्रथम मैं मांग संख्या ३२ को लेना चाहता हूं । यह भारतीय विनियोजन केन्द्र से संबंध रखती है । यह केन्द्र भारतीय व्यापारियों को विदेशों से पूंजी और तकनीकी सहायता और विदेशियों को भारत में विनियोजन के क्षेत्रों के संबंध में जानकारी देगा । विदेशी पूंजी के संबंध में सरकार ने सभा को कभी भी निश्चित नीति नहीं बतायी है । एक ओर हम विदेशी ऋणों के बोझ से दबे जा रहे हैं और दूसरे देश में विदेशी पूंजी का अनुपात बढ़ता जा रहा है यह बहुत दुख की बात है किस सरकार ने इस संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं बतायी है ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवती]

भारतीय विनियोजन केन्द्र के बारे में भी हमें कोई निश्चित नीति नहीं बतलायी जा रही है, वस्तुतः मैं इस संबंध में सरकार को सावधान करना चाहती हूं कि हमें विदेशी पूंजी का इस रूप में स्वागत नहीं करना चाहिये कि निकट भविष्य में हम आर्थिक और सामाजिक रूप से उनके आश्रित हो जांये ।

मैं इस संबंध में जापान का निर्देश करना चाहती हूं जापान में एक विधि है जिसके अनुसार जापान की कोई भी फर्म ५० प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकती है । अतः मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री विदेशी पूंजी के संबंध में स्पष्ट नीति व्यक्त करें ।

अब मैं मांग संख्या १०६ को लेती हूं । यह वायर्स के साथ हिन्दुस्तान आरगैनिक कैमिकल्स की स्थापना के समझौते के संबंध में है । इस संबंध में यह कहा गया है कि गैर-सरकारी टैक्नीकल सहायता के रूप में जो राशि आयेगी वह समन्याय पूंजी के रूप में वापस आ जायेगी । तथापि यह नहीं बताया गया है कि समन्याय पूंजी का अंश क्या है और गैर-सरकारी विदेशी फर्म के द्वारा कितने प्रतिशत अंश रखे जायेंगे ।

यह कहा गया है कि इस परियोजना का कार्य एक सीमित समवाय को सौंपा गया है । हम प्राक्कलन समिति में सदैव यह मांग करते रहे हैं कि सरकारी क्षेत्रों में इस प्रकार की परियोजनाओं का संचालन करने के लिये निगमों की स्थापना की जानी चाहिये ।

अब मैं मांग संख्या १२४ को लेती हूं । यह मांग गंगा वैरेज परियोजना के बारे में है । हम यह जानना चाहते हैं कि इस परियोजना की सही स्थिति क्या है और यह कि क्या अभी इस बारे में जांच की जा रही है कि या वास्तविक निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है । यद्यपि इस परियोजना का कार्य गंगा के निचले भाग सुन्दरबन और डेल्टा के भाग को रेत भरने से बचाने के लिये आवश्यक है, तथापि इस संबंध में केवल १००० रु० की प्रतीक मांग ही रखी गयी है अतः समझ में नहीं आता कि इस मांग का तात्पर्य क्या है ?

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ़ डिमांड नं० ११९ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इस के एक्सप्लैनेटरी नोट का मतलब यह है कि ३३ करोड़ रुपये की यह रकम इस लिए ज्यादा लेनी पड़ी है, क्योंकि बाहर से व्हीट इम्पोर्ट किया जायगा और उस की मिकदार बढ़ाई जायगी । इस सिलसिले में मैं सिफ़ यही एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह होनी चाहिये कि इम्पोर्ट को बढ़ाने के बजाये घटाने की तरफ़ कदम उठाये जायें । मेरा अपना विश्वास यह है कि अगर पूरे तरीके से कोशिश की जाती, इम्पोर्ट के बजाये इन्टेन्सिव फ़ार्मिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता और लैंड रिफ़ार्म्ज़ का जो मसला पंद्रह सोलह साल से चल रहा है, उस को हल करने की कोशिश की जाती, तो शायद हमें इम्पोर्ट पर इतना रुपया न खर्च करना पड़ता । कल इसी किस्म का सवाल इस हाउस में आया था, जिस में इस बात का ज़िक्र किया गया था कि इतनी कोशिश के बाद भी लैंड रिफ़ार्म्ज़ का मसला हल नहीं हो पाया है, जिस का असर हमारे देश की प्राडक्शन और पैदावार पर पड़ता है ।

लैंडलैस लेबरर्ज़ का भी सवाल है । जब तक उन्हें ज़मीन नहीं दी जायगी, तब तक वे कल्टीवेशन के काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे । मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की तरफ़ से इस काम के लिए जितना रुपया दिया गया, उस का वेश्तर हिस्सा अभी तक यूटिलाइज़ नहीं हुआ है । ऐसे लेबरर्ज़ की तादाद बहुत कम है, जिन को लैंड दी गई है, या बसाया गया है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरी तजबीज है कि इम्पोर्ट के बजाये इन बातों पर ज्यादा ज़ोर दिया जाये, ताकि हमारा मुल्क जो पहले फूड ग्रेन्ज़ के मामले में सैल्फ़-सफिशेन्ट था, फिर सैल्फ-सेफ़िशेन्ट हो जाये ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो अनाज इम्पोर्ट किया जाये, या कंट्री में प्रोक्योर किया जाये, उस का इन्तज़ाम भी ठीक होना चाहिए। वह तमाम देश में सैंट्रल गवर्नमेंट की पालिसी के मुताबिक और एक यूनिफ़ार्म सिस्टम से होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि इस बारे में सैंट्रल गवर्नमेंट की जो पालिसी बनाई जाती है, वह चलती नहीं है, या इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स से सलाह नहीं ली जाती है, या अगर ली जाती है, तो उस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है । इस का असर प्रोक्योरमेंट और इम्पोर्ट पर पड़ता है । इस बारे में मैं एक ही मिसाल हाउस के सामने रखाना चाहता हूं । फूड ग्रेन्ज़ के स्टेट ट्रेडिंग के सवाल को ले लीजिये । पहले सैंट्रल गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि फूड ग्रेन्ज़ में स्टेट ट्रेडिंग को लागू किया जाये। बाद में कुछ स्टेट्स ने इस के खिलाफ़ एतराज़ किया और उस स्कीम को हटाने की कोशिश की गई । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बारे में फ़ैसला हुआ और सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ़ से स्टेट गवर्नमेंट्स को जो गाये-वगाये इन्स्ट्रक्शन्ज़ दी गई, उन को फ़ालो नहीं किया गया । अभी परसों अखबार में यह ख़बर छपी थी कि पंजाब विधान सभा में एक मेम्बर के सवाल का जबाब देते हुए मिनिस्टर ने कहा कि सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ़ से पंजाब गवर्नमेंट को साफ़ तौर पर यह कहा गया है कि स्टेट, ट्रेडिंग एबांडन कर दी जाये, लेकिन इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया गया । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ़ से रुपया लगाया जाये, प्राक्योरमेंट के लिए स्टेट्स को रुपया दिया जाये और स्टेट गवर्नमेंट्स उस की इंस्ट्रक्शन्ज़ को नहीं मानती और उन स्कीम्ज़ को पूरा करने की कोशिश नहीं करतीं, तो इस का बुरा असर पड़ता है । मैं यह नहीं कहता कि मैं स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ़ हूं, लेकिन मैं यह ज़रूर चाहता हूं कि जो बात, जो उसूल हम तय करें, उस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ।

प्रोक्योरमेंट का मकसद क्या है ? जहां तक मैं ने समझने की कोशिश की है, प्रोक्योरमेंट इस लिये किया जाता है कि देश में अनाज की कमी न हो और लोगों को अनाज ठीक भाव पर मिले और लोग इस से मुनाफ़ाख़ोरी न करें । लेकिन अगर स्टेट खुद यह काम करे, तो क्या आप उस को जस्टिफ़ाई करेंगे ? तीन चार रोज़ हुए, मैं ने पार्लियामेंट में यह सवाल उठाया था और सरकार ने यह तस्लीम किया कि शूगर में पंजाब गवर्नमेंट किस कद्र मुनाफ़ा उठा रही है ।

†खाद्य तथा कृषि उप मंत्री (श्री अ० म० थामस) : चीनी के संबंध में कोई मांग नहीं है ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : एक तरफ़ हम प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश करते हैं, उस पर रुपया खर्च करते हैं, स्टेट्स को मदद देते हैं, इसलिये कि इस में मुनाफ़ाखोरी ख़त्म हो और लोगों को वक्त पर अनाज मिल जाये, लेकिन दूसरी तरफ अगर स्टेट्स खुद इस तरह के काम करें, तो यह कहां तक जस्टिफ़ाइड है ?

मैं चाहता हूं कि इन बातों पर विचार किया जाये और इन को ठीक करने की कोशिश की जाये ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोपय, मैं अनुपूरक डिमांड नम्बर २१ और ३२ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इन दोनों मांगों का उद्देश्य सिर्फ़ एक लगता है कि विदेशी पूंजी हिन्दुस्तान में किस तरह आकर्षित हो और पूंजी को हिन्दुस्तान में किस तरह लगाया जाये । डिमांड नम्बर २१ में तीन लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की व्यवस्था की गई है, जिसका व्योरा यह है :—

योजना संबंधी विकास कार्यों के प्रचार के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत सरकार द्वारा निमंत्रित पत्रकारों के एक दल के लिये १,४९,००० रु० ।

ब्रिटेन से आये हुये, योजना संबंधी विकास कार्यों के प्रचार के लिए, भारत सरकार द्वारा निमंत्रित पत्रकारों के एक दल के लिये १०,५०,००० रु० इस के साथ ही वर्ल्ड बैंक के मिशन के लिए ८६,५०० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

इस के बाद डिमांड नंबर ३२ में एक इंडियन इन्वेस्टमेंट सैंटर स्थापित करने का उल्लेख किया गया है, जिस का उद्देश्य हिन्दुस्तान में कैपिटल लगाने के विषय में सुविधायें और सूचनायें आदि उपलब्ध करना लगता है ।

जहां तक जर्नलस्ट्स के दो मिशन्ज़ का सम्बन्ध है, कहा जा रहा है कि वे विदेशों में यू० के० और यू० एस० ए० में, तृतीय पंच-वर्षीय योजना और हिन्दुस्नान के विकास-कार्यक्रमों का प्रचार करने के संबंध में थे, रेंकिन बैंक के मिशन का उद्देश्य यही लगता है कि वह हिन्दुस्तान की परिस्थितियों और व्यवस्थाओं को अध्ययन करे और यह देखे कि किस प्रकार प्राईवेट कैपिटल को इस देश में लगाया जा सकता है । इस विषय में मेरी आपत्ति यह है कि यदि सरकार देश में प्राइवेट कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी सुविधायें देती जायेगी—जिन में इंडियन इन्वेस्टमेंट सैंटर खोलने की सुविधा भी शामिल है —तो भविष्य में उस का नतीजा अच्छा नहीं होगा । लेकिन जब तक इस संसद् के द्वारा नीति के रूप में इस बात को स्वीकार नहीं कराया जाता है, तब तक, इस बारे में सुविधायें देने की बात तो दूर रही, अगर सरकार लगातार इस तरह की कार्यवाहियां करती जाये कि एक सैंटर कायम करे और उस के द्वारा लोगों को यहां बुलाये और उनको सुविधायें दे, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी। यह माना जा सकता है कि हिन्दुस्तान के विकास के लिए उसको विदेशी पूजी की आवश्यकता होगी । लेकिन विदेशी पूजी किस आधार पर आए, यह हमें सोचना होगा । मैं इस के खिलाफ नहीं हूं कि विदेशी पूजा न आये लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि विदेशा पूजी

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी स्तर पर हिन्दुस्तान में आए और इस तरह से हिन्दुस्तान का विकास हो। अच्छा तो यह रहा होता कि हिन्दुस्तान की सरकार ने यह कोशिश की होती कि दुनिया की सरकारें मिल कर एक विश्व-कोष, विश्व के विकास के लिए, स्थापित करतीं। उस कोष में दुनिया के देश अपनी क्षमता के मुताबिक अपना हिस्सा पूंजी की शक्ल में अदा करते और जिस देश की जितनी आवश्यकता होती, उस को उतना रुपया दिया जाता और उसका विकास किया जाता। खास तौर से जो अर्द्ध-विकसित और अविकसित देश हैं, जैसे अफ्रीका के देश हैं, हिन्दुस्तान है और दूसरे एशिया के मुल्क हैं, उन सभी को विकास के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। अगर वह आर्थिक सहायता प्राइवेट तौर से ली जाती है, या क्रेडिट लिया जाता है तो हो सकता है कि जो देश ऐसा करता है उसकी वैदेशिक नीति पर आगे चल कर इसका कुछ प्रभाव पड़े और अगर वैदेशिक नीति पर प्रभाव नहीं भी पड़ता है तो कम से कम यह तो माना ही जा सकता है कि उस देश को ब्याज की दर ऊंची देनी पड़ेगी। आज हम देखते हैं कि हमें पश्चिमी देशों से और पूर्वी यूरोप के जो देश कहे जाते हैं, उन से सहायता मिलती है। पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, उनकी सहायता सरकारी स्तर पर आती है। और उस सहायता पर हमेशा ही ब्याज की दर ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होती है। लेकिन पश्चिमी देशों से जो सहायता हमें मिलती है, उस पर ब्याज की दर चार प्रतिशत, साढ़े चार प्रतिशत और कहीं कहीं इस से भी अधिक होती है। वह एक अलग सिद्धान्त की बात है। लेकिन मैं उस पर इस समय कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो इंडियन इनवैस्टमेंट सैंटर के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह जो सैंटर कायम किया गया है, यह बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी और इस पर आगे कार्यवाही करने से पहले सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सरकार विचार करे कि क्या यह चीज़ हिन्दुस्तान में प्राइवेट पूंजी के लिए द्वार तो नहीं खोल देगा और क्या इस तरह की सम्भावनायें पैदा तो नहीं हो जायेंगी जिस से हिन्दुस्तान के प्राइवेट पूंजीपति, उद्योगपिति उन से मिलकर किसी भी ब्याज पर पूंजी प्राप्त कर लें और उन के साथ मिल कर हिन्दुस्तान में पूंजी लगा लें ? मैं चाहता हूं सरकार इसका स्पष्टीकरण करे और स्पष्ट घोषणा करे कि इस तरह की बात नहीं होगी।

अब मैं जर्नलिस्ट्स की टीम्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और रुपया इस तरह से खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विदेशों में हमारे मिशन हैं, लंडन में हमारा हाई कमिशन है, अमरीका में भी मिशन है। यह कहा जा सकता है कि अमरीका से पत्रकारों की टीम आई और चूंकि अमरीका से हमें काफी सहायता मिल रही है, वह वहां जा कर हमारे लिए प्रचार करेगी, हमारे प्लान के बारे में प्रचार करेगी लेकिन यू० के० से जो पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल आया उसकी क्या आवश्यकता थी ? उस के स्वागत और दूसरी तरह से जो आप खर्चा करते हैं, उसका क्या मतलब है ? इंग्लैंड के साथ हमारे संबंध पांच दस साल के नहीं है, सैंकड़ों बरस पुराने हैं। वहां के लोग सब कुछ जानते हैं। इस के लिए खर्चा करना मैं समझता हूं जायज़ नहीं था और वह नहीं किया जाना चाहिये था। मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह का खर्चा न किया जाए।

केन्द्रशासित प्रदेशों के लिये भी रुपये की मांग की गई है। उस मांग में टैरीटोरियल कांउसिल्ज़ की मांग भी शामिल है। उस के लिये भी कुछ मांगा गया है। मैं सरकार से यह

जानना चाहता हूं कि क्या वह अभी तक इस पर विचार नहीं कर सकी है कि टैरिटोरियल काउन्सिल्ज़ का जो सैट अप है केन्द्र शासित प्रदशोंमें उसको बदला जाए और वहां पर प्रतिनिधि सरकारों की स्थापना की जाए ? इस संदर्भ में मैं मणीपुर में जो आन्दोलन हुआ उसका जिक्र करना चाहता हूं । उसको दबाने के लिए नौ लाख रुपया खर्च किया गया और उसकी मांग रखी गई है । बिहार और पश्चिम बंगाल से इस आन्दोलन को दबाने के लिए पुलिस बुलाई गई थी । मैं समझता हूं कि इस तरह से पुलिस बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । शान्ति पूर्ण सत्याग्रह को इस तरह से नहीं दबाया जाना चाहिये था । जरूरत इस बात की थी कि सरकार जनता की उचित मांगों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करती । अगर ऐसा किया गया होता तो इस तरह का खर्चा करने की जरूरत न महसूस होती । मैं आशा करता हूं कि अब भविष्य में इस तरह की मांगें सदन के सम्मुख सरकार की ओर से प्रस्तुत नहीं की जायेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पांच पांच मिनट मांगे हैं उन्हें चाहिये कि पांच मिनट में खत्म कर दें ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय , चूंकि समय आपने निर्धारित कर दिया है

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने निर्धारित नहीं कर दिया है, आपने खुद ही पांच मिनट मांगे थे ।

चौ० रणवीर सिंह : इस वास्ते मैं पीछे से शुरू करता हूं । मैं पहले डिमांड नम्बर ११९ लेता हूं ।

यहां पर कहा गया है कि कुछ सरकारें हिन्द सरकार की स्टेट ट्रेडिंग इन फूड के खिलाफ हैं, इस नीति के खिलाफ हैं। मैं आपको एक दूसरे जमाने की याद दिलाना चाहता हूं । सन् १९५४ से पहले भी एक समय आया था जब विदेशों से काफी अनाज यहां आया था। उसके बाद लोगों ने समझा कि शायद अनाज के मामले में देश आत्म निर्भर हो गया है, वह इतना पैदा करने लग गया है, कि जितने की उस को जरूरत है । इसका इशारा दूसरे प्लान में भी है । यह समझकर कि हम कठिनाई को पार कर गए हैं, बहुत थोड़े रुपये की मांग रखी गई थी । । लेकिन दूसरे प्लान के दौरान में यह जाहिर हो गया कि हमारा जो अनुमान था वह गलत था । अगर हम इस देश में इतना अनाज पैदा कर सकें जितने की कि हमको आवश्यकता है, तो इसका क्रेडिट मुझे भी मिलेगा । लेकिन बात साफ है । इस देश के अन्दर दो किस्म के लोग हैं। एक तो वे हैं जो अनाज पैदा करते हैं और दूसरे वे जो अनाज खाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो पैदा करते हैं, वे खाते नहीं हैं क्या ?

चौ० रणवीर सिंह : वे खाते हैं लेकिन खरीद कर नहीं खाते हैं । यह कहने का मेरा मंशा था ।

खाने वालों के लिये सरकार ने सस्ता अनाज देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया निकाला लेकिन जब १९५४ में काश्तकारों को बचाने का वक्त आया तो उन्होंने ३० करोड़

मुश्किल से हांसिल किया । मुझे डर है कि आगे भी कोई ऐसा वक्त न आ जाए जब कि किसानों को बचाने की जरूरत पड़े। पिछली दफा हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ था और हो सकता है कि आगे ऐसा ही हो। लेकिन मैं पंजाब सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उस ने किसानों के प्रति हमदर्दी का बरताव किया है, काश्तकार, जो अनाज पैदा करता है, उस के प्रति हमदर्दी दिखाई है । हिन्दुस्तान की सरकार के खाद्य मंत्रालय के खिलाफ उस ने जो हौसला दिखाया है, उस के लिए मैं उसको बधाई देता हूं. . . . .

उपाध्यक्ष महोदय: मगर लड़ाना चाहते हैं दोनों को ।

चौ० रणवीर सिंह: मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का कृषि और खूराक मंत्रालय इस बारे में गलती पर हैं और इतिहास का तजुर्बा मेरे साथ है । जो रुपया आप अपने पास रखना चाहते हैं या स्टेट ट्रेडिंग खूराक में करना चाहते हैं वह काश्तकार के मफ़ाद के लिए करना चाहते हैं। रामकृष्ण गुप्त जी ने जब तक खुराक खाने वालों के लिए रुपया खर्च किया जाता रहा कोई एतराज़ नहीं किया , लेकिन जब खूराक पैदा करने वालों का सवाल आया तो उसकी कुछ कुछ उन्होंने मुखालिफत की। इसको मैं समझ सकता हूं । में समझता हूं. कि अब वक्त आ गया है जब कि हिन्दुस्तान के खूराक मंत्रालय को स्टेट्स की मदद के लिए आना . . . . . .

श्री रामकृष्ण गुप्त: में किसी मेम्बर के इंडिविजुअली खिलाफ नहीं हूं । मैं ने यह कहा कि है यूनिफार्म पालिसी होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब चौधरी साहब की भी तो बात सुन लीजिये ।

चौ० रणवीर सिंह: मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन इतना ही समय जो वह लें, मुझे और दे दिया जाए।

जहां तक सरकार द्वारा मुनाफे कमाये जाने का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि वह मुनाफा चीनी में कमाया जा सकता है । इस देश के आम आदमी की खूराक गुड़ और शूगर है। इस में अगर वह मुनाफा कमाती है तो वह सही है । जो मुनाफा वह इस में कमायेगी वह लोगों का स्तर ऊंचा करने में खर्च होगा । लेकिन जो मुनाफा खाद से कमाया जाता है, वह ठीक नहीं है । आज सुबह बताया गया कि १८ करोड़ रुपया या कितना मुनाफा खाद की फरोखत से देश ने कमाया है । यह चीज़ खतरनाक है । अगर हम खाद सस्ता कर के काश्तकार को देंगे तो वह और ज्यादा अनाज पैदा करेगा । अगर मेरे भाई इस पर एतराज़ करते और कहते कि इस में मुनाफा नहीं कमाया जाना चाहिये तो मैं समझ सकता था कि उनकी हमदर्दी किस के साथ है। लेकिन इस बात पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया ।

अब मैं डिमांड नम्बर ३२ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । बहुत से भाइयों ने गिला किया है कि बाडर से लोग यहां आते हैं, जर्नलिस्ट हैं या दूसरे बैंक के साथी आते हैं, उन के ऊपर क्यों खर्च किया जाता है । उन से मैं कहना चाहता हूं कि हमें वह जमाना याद है जब दूसरे प्लान पर बहस हो रही थी तो यह कहा गया था कि ८०० करोड़ रुपया बाहर वाले देंगे । लेकिन इतिहास ने साबित किया कि ८०० करोड़ नहीं बल्कि १५०० करोड़ रुपया बाहर के देशों ने हमको

[चौ० रणवीर सिंह]

देने का वायदा किया और दूसरे प्लान के बीच १२०० करोड़ के करीब रुपया सहायता को हासिल करने के लिये अगर हम कुछ लोगों को यहां बुला कर दिखायें तो इस पर वे एतराज करते हैं। अजीब हालत है उन के एतराज की । कभी कहते हैं कि हम को कोई पैसा नहीं देगा, कभी कहते हैं कि हम उस को वापिस नहीं दे सकेंगे, कभी कहते हैं कि उन लोगों को लाकर यहां क्यों दिखलाते हो । वह अपनी बात कह सकते हैं ।

मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं डिमान्ड नं० १५ पर । आफिशल लैंग्वेज कमिशन की सिफारिश के तौर पर एक कमिशन बनाया गया है जो सायंस और दूसरी बातों की टर्मिनालोजी तैयार करेगा, लेकिन जिस ढंग से सप्लीमेंटरी डिमांड १००० रु० की रखी गई वह जाहिर करती है कि इस की तरफ हमारा कितना जोश है, कितनी हमारे दिल में तड़प है कि देश की भाषा के अन्दर तालीम दी जाय और सरकारी काम काज चलाया जाय । मुझे अभी भी याद है कि जिस वक्त इस रिपोर्ट पर बहस हो रही थी, उस वक्त हम मैं कहा था कि अगर हिन्दुस्तान की सरकार चाहती है, जो कि मैं समझता हूं कि देश की एकता के लिये जरूरी है, कि इस देश की कोई एक भाषा बने, जो कि हिन्दी ही हो सकती है, अगर सरकार चाहती है कि जो भाई आज हमारे सेक्रेटेरियट में बैठे हैं, जो कि हमारी किस्मत के मालिक हैं, और उस सदन के अन्दर जो सदस्य लोग बैठे हुए हैं, जो देश की किस्मत के मालिक हैं जिन को हिन्दी नहीं आती है, वे हिन्दी पढ़ें तो उन को सही तरफ से कदम उठाने चाहिये । जो भी हिन्दी पढ़े और परीक्षा पास कर ले अगर उस को सरकार २,००० रु० इनाम के तौर पर दे, तो मैं समझता हूं कि सब लोग हिन्दी पढ़ेंगे और यह देश की बहुत बड़ी सेवा होगी । यही वे आदमी हैं जो देश को एक तरह से ठीक रास्ते पर नहीं जाने देते हैं । जिस चीज को देश के विधायकों ने कबूल किया, जिन्होंने कि देश की भाषा का निर्णय लिया था, उन के रास्ते में रोड़े हैं । उन रोड़ों को बिना किसी विरोधी प्रचार के, बगैर किसी तरह से उन के खिलाफ कुछ कहे हुए, बगैर किसी तरह से उन को बाध्य किये हुए, अगर थोड़े प्रलोभन से मना सकें, तो वह सही रास्ता होगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस डिमान्ड के लिये कम से कम अगले बजट में वे यह डिमान्ड करें कि जो भी अन्डर सेक्रेटरी से ऊपर और सेक्रेटरी के लेवेल तक के लोग हिन्दी नहीं जानते हैं, या जो पार्लियामेंट और असेम्बलियों में मेम्बर हैं और हिन्दी नहीं जानते हैं, अगर वे हिन्दी की परीक्षा पास करें तो हर एक को दो दो हजार रुपये ईनाम के तौर पर दिये जायें और उसके लिये बजट में पैसा रखा जाये ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : मैं मांग संख्या ७२ को लेता हूं । इसमें केवल १०,००० रु० की मांग की गयी है जो कि सरकार के विरुद्ध हुई डिग्रियों को चुकाने के लिये है । तथापि यह एक सिद्धान्त का मामला है और मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या करना चाहती है । एक ओर सरकार इस मंत्रालय को बन्द कर इसके काम यथाशीघ्र समाप्त करना चाहती है दूसरी ओर कई वर्गों की विस्थापित सम्पत्तियां ऐसी हैं जिनका अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ है ।

विस्थापित संपत्ति अधिनियम के अधीन जो नियम बनाये गये हैं उनके अधीन सभी व्यक्ति अनुच्छेद २२६ और २२७ का सहारा लेकर उच्चन्यायालय तक जाना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में मैंने एक गैरसरकारी अधिनियम भी प्रस्तुत किया था और कहा था कि विस्थापित व्यक्तियों की जो

---

†मूल अंग्रजी में

सम्पत्तियां उनके दावों के अधीन दी गयी हैं उनके मामले छः महीनों के पश्चात पुनः आरम्भ न किये जांय, इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं। मेरे कथन का तात्पर्य है कि सरकार को लोगों को मुकदमेबाजी से बचाने की दिशा में कार्यवाही करनी चाहिये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : राज्य के ऊपर ऋण बढ़ता जा रहा है अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह व्यय के सम्बन्ध में कटौती करे। वस्तुतः हम कई क्षेत्रों में कटौती कर सकते हैं।

हम कई क्षेत्रों में सरकारी व्यापार कर रहे हैं। यह ज्ञात हुआ है कि राज्य को उर्वरकों के व्यापार से १५, १६ करोड़ रुपयों का लाभ हुआ है। मेरे विचार से यह उचित नहीं है कि उर्वरक जैसी वस्तु में इतना लाभ कमाया जाय। हमें चाहिये कि हम सरकारी क्षेत्र में मुनाफे की एक प्रतिशत स्थिर कर देवें।

†**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : मांग संख्या ९६ के अधीन सामान की खरीद के लिये ४·२९ करोड़ की मांग रखी गयी है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सामान खरीदने के विभाग को चाहिये कि वह अधिकाधिक वस्तुएं छोटे पैमाने के उद्योग से खरीदे। इस सम्बन्ध में आपको ज्ञात होगा कि ९७ प्रतिशत सामान बड़े पैमाने के क्षेत्र से खरीदा जाता है केवल तीन प्रतिशत सामान छोटे पैमाने के क्षेत्र से खरीदा गया है।

अब मैं मांग संख्या ५९ को लेता हूं। इसके अन्तर्गत १ करोड़ की मांग रखी गयी है। यह मांग काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता देने के लिये रखी गयी है। मेरे विचार से इतनी बड़ी राशि दान देना जनता में भीख मांगने की प्रवृति पैदा करना है।

मैं मांग संख्या ९२ को लेता हूं। यह राष्ट्रीय राजपथों में मरम्मत के सम्बन्ध में रखी गयी है वस्तुतः ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब के कई ऐसे क्षेत्रों से हो कर जाती है जो पानी से भरे रहते हैं, अतः सरकार जब तक इन क्षेत्रों का पानी नहीं हटायेगी तब तक इस प्रकार की मांगें सदैव जारी रहेंगी।

अन्त में मैं फिर सरकार का ध्यान बजट के आंकड़ों की ओर दिलाना चाहता हूं जो बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाये जाते हैं, निस्संदेह अनुपूरक मांगें बहुत अधिक रखी जाती हैं, यह अनुचित है। इसके उदाहरण के लिये मांग संख्या ५४ और मांग संख्या ५६ को रखा जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इस मामले में अधिक सावधान रहेगा।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: माननीय सदस्यों ने मांग संख्या ८२ के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण मांगा है। मैं संक्षेप में इसका स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। इसमें इस्पात के सीमांत उत्पादन और उनका पुनर्वेलन करने वाले कारखानों को भुगतान के सम्बन्ध में वृहत परिवर्तन किया गया है। इसके अधीन उत्पादकों को सारे भुगतान जिसके अन्तर्गत बकाया तथा प्रतिधारण कीमतें आती हैं चुकायी जाती हैं। इसके अलावा व्याख्यात्मक टिप्पण में प्रतिधारण मूल्य के ४५ रु० प्रति टन हो जाने से अस्थायी वृद्धि से होने वाला भुगतान दिखलाया गया है। यह वृद्धि वास्तविक उत्पादकों को भी बतला दी गयी है।

यह वृद्धि विभिन्न वर्गों में हुई वृद्धि का औसत है। उत्पादकों को भेजे गये संवाद में कोई औसत नहीं दिखायी गयी है। विभिन्न वर्गों के प्रतिधारण मूल्य निश्चित किये जा चुके हैं, और उत्पादकों को इसकी सूचना दे दी गयी है। केवल अभिव्यक्ति और गणना के विचार से इसे

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

४५ रु० प्रति टन की औसत वृद्धि कहा गया है । यह वृद्धि वह कीमत है जो कि पिछले पांच वर्षों से कायम है । यह कीमत ४७४.५९ रु० प्रति टन है । पांच वर्षों के लिये यह प्रतिधारण मूल्य इस आधार पर रखा गया था कि प्रशुल्क आयोग द्वारा अनुमानित उस पूरी अवधि में कुल उत्पादन कितना है । वह भारित औसत मूल्य (वेटेड एवरेज प्राइस) है । समय समय पर जो वृद्धि की गई हैं वे भी इसी आधार पर की गई हैं । यदि कीमतों को भारित औसत मूल्य के आधार पर न देकर वृद्धि की वास्तविक तारीखों से सरल-रेखा (स्ट्रेट लाइन) आधार पर दिया जाता तो पांच वर्षों की अवधि के अंत में यह कीमत ४९६ रु० होती । अतः ३१ मार्च, १९६० को जो कीमत है, वह मापने (स्केलेशन) के उपरांत होने वाली कीमत से, २० रु० से कुछ अधिक कम है ।

दो इस्पात कम्पनियों, अर्थात् टाटा और इंडियन आइरन के साथ हुए समझौते के अनुसार नये प्रतिधारण मूल्य प्रशुल्क आयोग के परामर्श से निश्चित किया जायेगा । हमारे लागत लेखापाल ने टाटा और इंडियन आइरन समवायों में प्रारम्भिक लागत की जांच की । उन्होंने चार पांच महीने तक प्रत्येक पहलू की विस्तृत जांच की तथा अपना प्रतिवेदन नवम्बर, १९६० में प्रस्तुत किया । इस प्रतिवेदन के अध्ययन से यह बात ज्ञात होती है कि मान्य सिद्धान्तों के आधार पर लागत की जांच करने के उपरांत प्रतिधारण मूल्य की वृद्धि होने की गुंजायश है । नयी अवधि के लिये मूल्य निश्चित करने में कई बातों पर विचार करना होगा, अतः अन्तिम निश्चय करने में कई वर्ष लग जायेंगे । वस्तुतः इसी कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने अस्थायी वृद्धि मंजूर कर दी है । मुख्य उत्पादकों को यह अस्थायी कीमतें बता दी गयी हैं जिससे वे आवश्यक परिवर्तन कर सकें । इस सम्बन्ध में कोई गोपनीयता नहीं हैं ।

श्री सोमानी ने यह कहा है कि इस बात को लेकर बाजार में काफी सट्टा चल रहा है । तथापि मैं इस बात को लेकर सट्टेबाजी का कोई कारण नहीं देखता, क्योंकि जो वृद्धि मंजूर की गयी है वह लागत के कारण है । इनका लाभांश की घोषणा से कोई सम्बन्ध नहीं है, और न ही लाभांश देने की नीति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया गया है । बाजार में यदि इस सम्बन्ध में कुछ उतार चढ़ाव हुआ है तो मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि मैं इस मामले में अपनी राय व्यक्त करूं ।

श्री भरूचा ने अपने तर्कों को पुनः दुहराया है । अतः मेरा विचार भी उसी प्रकार का होगा । अतः मैं उसे दुहराना नहीं चाहता हूं । वह मंहगी आयातित वस्तुओं को समानीकरण निधि से सहायता देने के पक्ष में नहीं हैं । वे इस सिद्धान्त के विरोधी हैं कि आयात किया गया इस्पात देसी इस्पात की कीमतों पर ही देश में उपलब्ध हो । हमने इस विचार पर बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देशी तथा आयातित इस्पात एक ही मूल्य पर उपभोक्ता को उपलब्ध होना चाहिये । आयात कम होने से समानीकरण निधि से कम पैसा देना होगा । इससे हमारे संसाधनों में वृद्धि होती है ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : प्रतिधारण मूल्य में ४५ रु० की वृद्धि कब तक कायम रहेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं पहिले ही कह चुका हूं कि इस में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार परिवर्तन हो सकता है । इस सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग को निर्देश किया जा चुका है । यदि सभी बातों पर विचार कर प्रशुल्क आयोग कीमत में वृद्धि की सिफारिश करता है तो समानीकरण निधि से और अधिक राशि देनी होगी । यदि वह कम कीमत की सिफारिश करेंगे तो उसको परिवर्तित कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में थोड़े से ही प्रश्न उठाये गये हैं। मैं पहिले मनीपुर को लेता हूं जो कि एक संघ क्षेत्र है, मेरे मित्र जो कि एक वर्ष तक निरोध में रहे बार बार यह बात कह रहे हैं कि आन्दोलन शांतिपूर्ण है, वस्तुतः यह आन्दोलन कभी भी शांतिपूर्ण नहीं रहा और काफी हिंसात्मक कार्य किये गये तथा प्रशासन को ठप्प करने की कोशिश की गयी। अतः सरकार को कुछ विशेष कार्यवाही करनी पड़ी।

वस्तुतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आन्दोलन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि माननीय सदस्य वहां के प्रशासनिक रूपरेखा से संतुष्ट नहीं हैं तो वे अन्य संवैधानिक तरीके अख्तयार कर सकते थे। या इस सभा में यह मामला पेश कर सकते थे। जब तक राज्य पुनर्गठन अधिनियम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तब तक सरकार को अपना प्रशासन इसी रूप में चलाना होगा तथा माननीय सदस्यों ने जो धमकियां दी हैं उनका भी मुकाबला करना होगा। इसी कारण पुलिस इत्यादि के ऊपर कुछ व्यय करना पड़ा।

आसाम पुलिस के ऊपर जो राशि व्यय की गयी वह वर्तमान वर्ष के लिये नहीं थी। यह पिछले वर्षों के लिये है, तथापि यह पिछले बजट की स्वीकृति के उपरांत ही रखी गयी है। अतः इसे अनुपूरक मांग में शामिल करना पड़ा।

सराईकेला खरसांवा के बारे में एक बात उठायी गयी थी। श्री पाणिग्रही का कथन है कि वहां उड़ीया व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। यह बात सही नहीं है। इस संबंध में कई प्रश्न पूछे गये और उनका उत्तर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के पारित होने के समय भी इस पर काफी चर्चा हुई थी। जब तक वहां उड़िया बोलने वाले लोग मौजूद हैं तब तक सरकार की यह हार्दिक इच्छा है कि वहां जनगणना का कार्य कुशलता और निश्पक्षता से हो। इसी लिये जनगणना के महापंजीयक स्वयं वहां गये, तथा ऐसी व्यवस्था की कि जिस से सभी वर्गों के लोगों को संतोष हो। वहां की आबादी से अधिक जनगणना फार्म दिये गये हैं। सरकार यह चाहती है कि बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त हो, उड़ीया भाषा भाषी लोगों को भी इस कार्य के करने को नियुक्त किया गया है। २५ उड़ीया पर्यवेक्षक और २३९ उड़ीया गणक नियुक्त किये गये हैं। अतः यह कहना गलत है कि उड़ीया जानने वाले लोगों को नियुक्त ही नहीं किया गया। अतः सरकार ने इस संबंध में उचित कार्य-वाही की है।

जम्मू और काश्मीर को दिये जाने वाले धन के संबंध में जैन का कथन था कि बाढ़ इत्यादि होने पर भी भारत सरकार को बिल्कुल सहायता नहीं देनी चाहिये। यह बात उचित नहीं है। जम्मू और काश्मीर में १९५७ और १९५९ में भी बाढ़ आई। यह राशि वहां कीमतें स्थिर रखने के लिये दी गयी है किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। १९५७ में जम्मू और काश्मीर में कई बाढ़ें आईं जिस से फसल को काफी नुकसान हुआ। जम्मू और काश्मीर की सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया था कि खाद्यान्नों को सहा-यता मूल्य पर बेचने में जो हानि हुई है उसे पूरा करने के लिये उन्हें अतिरिक्त राशि दे दी जाये।

प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में सहायता देने के बारे में कुछ विशेष नियम हैं, जिन के अधीन राज्यों को सहायता दी जाती है। अतः इसी के अधीन जम्मू और काश्मीर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

को सहायता दी गयी। क्योंकि यह राशि बजट प्राक्कलनों को पेश करने के बाद मांगी गयी अतः इन के संबंध में अनुपूरक मांगें रखी गयीं।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : गंगा बांध के बारे में पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्यों की चिन्ता स्वाभाविक है। श्री चौधरी ने बताया है कि कलकत्ता पत्तन की हालत बिगड़ने से, अब इस बांध का महत्व कितना बढ़ गया है। सरकार इस समस्या के प्रति पूर्णतया सजग है। प्राविधिक जांच-पड़ताल का काम लगभग पूरा हो गया है। और सरकार ने परियोजना का निर्माण शुरू करने का निर्णय कर लिया है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: इसीलिये मैं चाहता था कि वह पहले भाषण करें।

†**श्री हाथी** : परियोजना को तृतीय योजना में शामिल कर लिया गया है। उस के लिये उपयुक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है। हम ने इस निर्णय की और इस परियोजना की प्रगति की सूचना पाकिस्तान सरकार को दे दी है।

श्री चौधरी ने कहा है कि १९५४ में ही इस परियोजना का अनुमित व्यय ५६ करोड़ रुपये बताया गया था। वह ५६ करोड़ नहीं, ३९ करोड़ रुपये था। अब ५६ करोड़ का अनुमान है। लेकिन अभी व्यौरे वार नमूने तयार होने हैं। पर हमने तय किया है कि इसी बीच में और आगे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाये, और साथ-साथ नमूने तैयार कराते रहें।

यह बात परियोजना के तीनों भागों पर लागू होती है।

वर्तमान स्थिति यह है कि हम ने इसका काम शुरू कर दिया है। फर्रक्का तक जाने वाली मुख्य सड़क और रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है। कलकत्ता से बांध के एक किनारे तक और खाजुरियाघाट से माल्दा तक राष्ट्रीय पथ का निर्माण भी पूरा हो चुका है। माल्दा और वारस्लोई के बीच ९० मील लम्बी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा चुका है। खजुरियाघाट से माल्दा तक की २० मील की नयी लाइन, और तिलडंगा से फर्रक्का तक की ८ मील की नयी लाइन और फर्रक्का में माल तथा यात्री परिवहन की नावों का निर्माण रेलवे ने पूरा कर दिया है। परियोजना के बायें किनारे पर २० मील लम्बी मेड़ का निर्माण भी पूरा हो चुका है। और भी निर्माण कार्य चल रहा है। व्यौरे वार नमूने भी साथ ही तैयार हो रहे हैं।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : हम इस चालू वर्ष में कुछ नयी सेवायें चालू कर रहे हैं। विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों ने इन का उल्लेख भी किया है। 'हिन्दुस्तान ऑरगैनिक लिमिटेड' की स्थापना के लिये और उस की परियोजना का काम पूरा करने के लिये लगभग २५ करोड़ रुपये के विनियोजन की आवश्यकता पड़ेगी। वह कई ऐसे रसायनिक तैयार करेगा जो संसार भर में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसीलिये हम ने इस परियोजना के लिये लगभग सभी देशों से सहयोग मांगा

†मूल अंग्रेजी में

था, लेकिन जर्मनी की 'बेयर्स', 'बादिश्चे एनीलिन' और 'होयस्ट' ने ही संयुक्त व्यावसायिक संस्था के रूप में हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया । मैं ने गत सत्र में सभा-पटल पर उन के साथ किये गये समझौते की प्रति रखी थी और माननीय सदस्यों ने उसे देखा है । उस में ४० अत्यन्त ही विशिष्ट प्रकार के ऑरगैनिक पदार्थों और ३०–४० उतने ही महत्वपूर्ण रसायनिकों की सूची दी गई है । ये सभी पदार्थ और रसायनिक विभिन्न औषधियों तथा प्लास्टिक उद्योग के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं । यही कारण है कि हम ने अन्य देशी या विदेशी फर्मों के सहयोग के बिना ही जर्मन व्यावसायिक संस्थाओं का १० प्रतिशत तक के वित्तीय सहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । इस लिये कि हम चाहते थे कि प्राविधिक और वैज्ञानिक सहायता देते रहने में उन की रुचि बनी रहे । महत्वपूर्ण रसायनिकों की नवीनतम शोधों से लाभ उठाते हुए निरन्तर विकास होता रहे । इसीलिये यह कहना ग़लत होगा कि हम इस प्रकार निजी पूंजी को सरकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रहे हैं । भारत सरकार ने यह निर्णय राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से ही किया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि समझौते के अनुसार जर्मन संस्थाओं का भाग १० प्रतिशत से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं । यह व्यवस्था अवश्य है कि दस वर्ष बाद भारत सरकार विदेशी पूंजी का विनियोजन स्थगित कर सकेगी । शेयरों के मूल मूल्य के २५ प्रतिशत से अधिक पूंजी-वृद्धि नहीं की जा सकेगी । सभा को याद रखना चाहिये कि ऐसे मामलों में पूंजी-लाभ १००, २०० या ३०० प्रतिशत तक हो सकता है । इसीलिये हम ने उसे सीमित कर दिया है कि विदेशी पूंजी का विनियोजन जब दस वर्ष बाद स्थगित किया जायेगा तब उस पूंजी में अधिक से अधिक २५ प्रतिशत वृद्धि ही हो सकेगी । यह फर्म उस समय २५ प्रतिशत से अधिक की अदायगी नहीं करेगी । इसलिये यह समझौता हमारे लिये हर दृष्टि से लाभदायक रहेगा ।

यह परियोजना महाराष्ट्र में पानवेल स्थान पर स्थापित की जायेगी । इस की स्थापना एक बड़े विस्तृत आधार पर की जायेगी । हम ने निर्णय किया है कि फिनौल और फ्थैलिक एन्हीड्राइट का उत्पादन देश की आवश्यकतानुसार ६,००० से ९,००० टन प्रति वर्ष तक बढ़ा दिया जायेगा, जबकि समझौते में उस का उत्पादन १,५०० टन तक निर्धारित है । ऑरगैनिक पदार्थों के उत्पादन की परियोजना, इस जर्मन संस्था की सहायता से अगले तीन साल के अन्दर-अन्दर हो जायगी, ऐसी आशा है । और उस से रंग, औषधियों तथा प्लास्टिक उद्योग का एक सुदृढ़ आधार तैयार हो जायेगा ।

परियोजना के आरम्भ के समय इस का उत्पादन लगभग १० करोड़ रुपये का होगा, जो आगे चल कर २० या २५ करोड़ रुपये तक का भी हो सकता है । उत्पादन कितना बढ़ेगा, यह तो इस के विस्तार की भावी संभावना पर निर्भर है । आज तो यही लगता है कि इस के विस्तार की बड़ी-बड़ी संभावनायें हैं ।

श्री त्यागी ने सरकारी क्षेत्र में उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के आधार के बारे में पूछा था । मैं जानता हूं कि श्री त्यागी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं । सभा की यही इच्छा रही है कि तृतीय योजना काल में राष्ट्रीय राजकोष का सब से बड़ा संसाधन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आय ही हो । इसलिये सरकार यही चाहती है कि सरकारी क्षेत्र की सफलता और उस की कार्यक्षमता वाणिज्यिक माप-मान से आंकी जाये । वाणिज्यिक कसौटी पर उसे पूरी तरह खरा उतरना चाहिये । साथ ही, उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना है कि सरकारी क्षेत्र के उत्पादों का मूल्य इतना अधिक भी न हो कि संसार में उस प्रकार के उत्पादों के मूल्य से उस की कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

समानता ही न रहे । हमें कृषि उत्पादों के सिलसिले में किसानों का, औषध के सिलसिले में मरीजों, इत्यादि का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उन के मूल्य का उन पर बड़ा असर पड़ेगा । इसलिये मूल्य-निर्धारण की हमारी नीति में कुछ लचकीलापन रहना चाहिये, सभा भी इस से सहमत होगी । अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य की सीमायें ऐसी होनी चाहियें कि सरकार को इन सरकारी उपक्रमों से अधिकतम आय हो सके । तभी योजना के लिये उन से धन जुटा सकेगा । हमारी यही कसौटी है । मैं इस के बारे में सभा में कई बार बता चुका हूं । मूल्य की कोई भी अधिकतम सीमा एकदम सख्ती के साथ निर्धारित कर देना अव्यावहारिक होगा, और यदि ऐसी कोई सीमा निर्धारित भी कर दी जाये तो बड़ी कठिनाइयां सामने आयेंगी । इसलिये कि हम बहुत ही विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन शुरू कर रहे हैं, जिससे कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिये अपेक्षित उत्पादों की पूर्ति हो सके । उर्वरक उद्यम की हर परियोजना के लिये ३० करोड़ रुपये का विनियोजन चाहिये, इसलिये उर्वरकों के लिये १५-१६ करोड़ के सीमेंट के लिये ७–८ करोड़ रुपये की संचित राशि का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता । तृतीय योजना के अन्तर्गत हर राज्य में उर्वरक की सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं पर ४०० करोड़ रुपये से अधिक का राष्ट्रीय विनियोजन होगा । उन में से केवल ३–४ या ५ ही निजी क्षेत्र में रहेंगे । और ४०० करोड़ रुपये के विनियोजन पर १० या २० प्रतिशत तक आय तो होगी ही । उचित मूल्य रखते हुए, इतनी आय मिलना काफी ठीक है । सरकारी क्षेत्र अपने कार्यक्रम पर अमल कर रहा है और हम हर कोशिश करेंगे कि वह वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर ही आगे बढ़े ।

†**श्री त्यागी** : मैं भी चाहता हूं कि वह वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर ही आगे बढ़े । वह कहने का मेरा मतलब यही था कि हर परियोजना के उत्पादों के लिये अलग से हर साल संसद् की मंजूरी ली जाया करे ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं ने यह मांग 'हिन्दुस्तान ऑरगैनिक लिमिटेड' की स्थापना के सम्बन्ध में रखी है । वह लगभग ६० उत्पादों का निर्माण करेगा । हर उत्पाद का लागत मूल्य उस के उत्पादन की मात्रा पर निर्भर रहेगा । इसलिये किसी उत्पाद का मूल्य आंकना कठिन होगा । मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिये कि उस का संचालन कार्यक्षमता से, वाणिज्यिक आधार पर हो । लेखे का संतुलन-पत्र तो सभा के सामने रखा ही जाता है । उसकी परीक्षा करने पर, माननीय सदस्य उस की अच्छाइयों, बुराइयों की टीका कर सकते हैं । उद्यम का काम कैसे चल रहा है, इस का निर्णय संसद् के ही हाथ है ।

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित मांगें हैं— मांग संख्या ४१ और ११९, । केवल मांग संख्या ११९ के सम्बन्ध में कुछ आलोचना की गई है । इस मांग में ३६ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के आवंटन का प्रस्ताव है । १९६०-६१ का आय-व्ययक तैयार करते समय हमारा अनुमान था कि हम १,९९,३०,००,००० रुपये के मूल्य के ४८,१०,००० टन खाद्यान्न का आयात करेंगे । तब तक पी० एल० ४८० समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे । आय-व्ययक फरवरी में रखा गया था और समझौते पर हस्ताक्षर मई १९६० में हुए थे । इस समझौते के अन्तर्गत आयात की योजना इस दृष्टि से बनाई गई थी कि काफी अतिरिक्त स्टाक जमा रहे ।

१९६०-६१ के सब से हाल के कार्यक्रम के अनुसार, हम ३८.७० लाख टन गेहूं, ७.०३ लाख टन आयात किया हुआ चावल और ४.४० लाख टन देश में खरीदा हुआ चावल और .५२

---

†मूल अंग्रेज़ी में

लाख टन आयात किया हुआ ज्वार-बाजरा खरीदेंगे। इस पर ३६ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय होगी।

इस के अलावा, १९६०-६१ के प्राक्कलनों के समय पंजाब सरकार को केन्द्र की ओर से एक लाख टन चावल खरीदने के लिये ५ करोड़ रुपये पेशगी देने की व्यवस्था थी। अब उस से ज्यादा खरीद की गुंजाइश हो गई है। अब १.४० लाख टन खरीदा जा सकता है जिस के लिये ८ करोड़ रुपये पेशगी देने पड़ेंगे। इसीलिये इस मद में ३ करोड़ रुपये अधिक की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में तो केन्द्र खुद ही अपनी खरीद करता है, इसलिये पेशगी अदायगी की जरूरत नहीं है।

श्री पाणिग्रही ने इस के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या ६० के बारे में १६ फरवरी को दिये गये मेरे उत्तर का हवाला दिया था। सही है कि मैंने तब यही कहा था कि १९६१-६२ में खाद्यान्न की कमी का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन था। ऐसे मामलों में पहले से अनुमान लगाने में सरकार को बड़ी कठिनाई पड़ती है। विनियंत्रण के दिनों में यह मुश्किल पड़ता है। किसान लोग कितना स्टाक बाजार में लायेंगे और कितना अगले साल के लिये रख छोड़ेंगे—इस का अनुमान कठिन हो जाता है। उपभोग, खास तौर से उत्पादकों के उपभोग की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना ही कठिन है।

तब प्रश्न उठता है कि हम अपना आयात-कार्यक्रम किस आधार पर बनाते हैं? आयात-कार्यक्रम निश्चित करने का मुख्य आधार यही रहता है कि देश में पिछले सालों के दौरान हमें उचित मूल्य-स्तर बनाये रखने के लिये कितना खाद्यान्न वितरित करना पड़ा था और रक्षित स्टाक में हमें कितना खाद्यान्न रखना पड़ा था। एक मोटे तौर पर इस का अनुमान लगाया जाता है। खाद्यान्न की कमी का बिलकुल ही ठीक-ठीक अन्दाज लगाना कठिन होता है।

देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय की अनुमित वृद्धि के आधार पर, हम ने अनुमान किया है कि १९६०-६१ म खाद्यान्नों की मांग लगभग ८ करोड़ टन की होगी। हमारा अनुमान है कि खाद्यान्नों का कुल उत्पादन ७ करोड़ ६० लाख टन होगा। इसलिये हमें ४० लाख टन का आयात करना पड़ेगा। एक मोटे तौर पर यही अनुमान है।

इस सम्बन्ध में, मैं दो बातें बताना चाहता हूं। पहली तो यह कि खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ने के बावजूद, उन की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि जन संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही जनता की क्रय-शक्ति भी पहले से अच्छी हो गई है। खाद्यान्नों की पैदावार में घटा-बढ़ी होने के ख्याल से और मूल्यों का नियंत्रण करने के लिये भी, खाद्यान्नों का अतिरिक्त स्टॉक रक्षित करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, खाद्यान्नों की पैदावार १९५६-५७ में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन १९५७-५८ में वह लगभग ६० लाख टन कम रह गई थी। १९६०-६१ में पैदावार अच्छी रहेगी। इस का तो पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

सभा भली प्रकार जानती है कि हमारे देश की कृषि मानसून की दया पर निर्भर है। हम इस के बारे में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। १९५३-५४ में अच्छी पैदावार के कारण, मूल्य गिर गये थे। काफी आशा बंध गई थी, इसलिये खाद्य-नियंत्रण भी ढीला कर दिया गया था। और साथ ही, पैदावार को वृद्धि के लिये हमारे प्रयासों में भी ढिलाई आ गई थी। ऐसा खतरा हम फिर से नहीं उठाना चाहते हम प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने के लिये अतिरिक्त स्टॉक रख लेना चाहते हैं।

इन दोनों चीजों को देखते हुए, आशा है कि माननीय सदस्यों को हमारे आयात-कार्यक्र पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री आसर ने मध्य प्रदेश से खरीदे हुए गेहूं के खराब होने का जिक्र किया था। अखबारों में भी ऐसी खबरें आई थीं। लेकिन उनमें सचाई नहीं है। मैं अभी खुद भोपाल गया था। मध्य प्रदेश सरकार के पास इस वक्त १ लाख टन गेहूं ऐसा है, जिसे वह बेचना चाहती है। हमने उसे आश्वस्त कर दिया है कि यदि उसे कोई हानि हुई तो केन्द्रीय सरकार उसकी आंशिक पूर्ति करेगी। कितनी पूर्ति करेगी, यह मैं अभी नहीं बताना चाहता, इसलिये कि मध्य प्रदेश सरकार उस स्टॉक के विक्रय के लिये टेण्डर ले रही हैं। और यदि मैं यह बता दूं तो उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने मध्य प्रदेश सरकार को बता दिया है कि उस गेहूं के स्टॉक की बिक्री के लिये यदि वह चाहे तो विक्रेताओं को वह स्टाक जोन से बाहर भेजने के लिये भी प्राधिकृत कर सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही जोन में हैं।

गेहूं का वह स्टॉक अच्छी दशा में है। बहुत थोड़ी सी मात्रा खराब हुई है। कुल मिला कर काफी अच्छी है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे यही बताया है।

श्री आसर ने यह भी कहा था कि हम सस्ते गल्ले की दूकानों को खराब किस्म का गेहूं देते हैं। बात बिल्कुल निराधार है।

सच तो यह है कि वह गेहूं अच्छी किस्म का होता है। केन्द्र के स्टॉक से जितना भी गेहूं दिया जा रहा है उसका ज्यादातर भाग आटा मिलों को दिया जाता है और उनकी तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

श्री अचौसिंह ने मनीपुर की खाद्य-स्थिति के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया था। सामान्यतया मनीपुर में खाद्यान्न की कमी नही पड़ती। लेकिन १९६० में, मैसूर की तरह, मनीपुर में भी चूहों ने बड़ा उत्पात मचा दिया था, जिससे पैदावार कम हो गई थी। इसीलिये खाद्यान्नों की कमी पड़ गई थी। लेकिन हमने मनीपुर प्रशासन की काफी सहायता की थी और इसीलिये खाद्यान्नों का मूल्य ज्यादा ऊंचा नहीं चढ़ पाया था। जनवरी में चावल का मूल्य १४ रुपये प्रति मन था। वैसे १९५९ में मनीपुर में चावल का भाव १० रुपये प्रति मन था।

श्री रामकृष्ण गुप्त ने कहा है कि राज्य-सरकारें केन्द्रीय सरकार की नीति पर नहीं चलतीं। उनकी अधिकांश बातों का जवाब चौधरी रणवीर सिंह दे चुके हैं। श्री रामकृष्ण गुप्त पंजाब सरकारकी आलोचना कर सकने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहते।

† **श्री राम कृष्ण गुप्त** : गलत बात है। मैं किसी भी सरकार का व्यक्तिगत विरोध नही करता। पंजाब सरकार ने भी वही कहा है, जो मैंने कहा था।

राज्य व्यापार के बारे में उसने चावल का प्रश्न उठाया था पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एक क्षेत्र है और पंजाब सरकार चावल ले रही है और वह चावल हमें दिये जा रहे हैं। गेहूं वह अपने आप ही हमें दे रहे हैं। जो गेहूं का स्टाक पंजाब सरकार के पास है उसे भी खत्म करने की हमने उन्हें अनुमति दे दी है। पंजाब सरकार से यह भी कह दिया है कि वह चीनी के वितरण में किसी प्रकार का नफा कमाने का प्रयत्न न करे इससे मूल्यों में अखिल भारतीय एकरूपता नही रह पाती।

(श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं)

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : अनुदान की मागों पर अपने विचार व्यक्त करते समय सरदार अजित सिंह सरहदी ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूर्णत: सहमत हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस दिशा में हमें सब कार्य नये सिरे से ही करना पड़ा। कारण यह कि पारित किये गये अधिनियम तथा बनाये गये नियमों के कुछ उपबन्धों के परिणामस्वरूप कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमे उठ खड़े हुये। हमने थोड़े से थोड़े समय में मुआवजा देने का प्रयत्न किया और अब यद्यपि दावे निबटाये जा चुके हैं, परन्तु जो नये मुकदमे चालू किये जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और न्यायिक अधिकारी उन्हें निपटा नहीं पा रहे हैं। ५ लाख दावों में से ४,८०,००० का निर्णय प्रायः हो चुका है। जिन मामलों में किसी मकान के कब्जाधारियों अथवा किरायेदारों की संख्या एक से अधिक है, उनमें मकान के मूल्य निर्धारण के मामले में तथा विस्थापित व्यक्तियों को मकान का आवन्टन करने के मामले में नियमों में संशोधन करना ही होगा।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इससे एक तो समस्या सुलझ जायेगी और दूसरा विस्थपितों का मुकदमे बाजी तथा अन्य साधनों से शोषण हो रहा है वह भी रुक जागा। सभी सम्बद्ध अधिकारियों को आदेश दिये जा रहे हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ८० के अन्तर्गत उन्हें ज्यों ही नोटिस मिले, त्यों ही उन्हें इस मामले को मन्त्रालय की जानकारी में लायें और जो कुछ भी इसके बारे में किया जाना हो शीघ्र किया जाय। इस दिशा में यदि कोई ऐसा मामला भी मेरे नोटिस में आयेगा जिसमें कि इन आदेशों की ओर समुचित ध्यान न दिया गया हो, तब भी कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मैं सरदार अजितसिंह को बताना चाहता हूं कि जो कुछ इस दिशा में सम्भव हुआ किया जायेगा। यदि अधिनियम में संशोधन करना पड़ा तो वह भी किया जायेगा। परन्तु मेरा विचार है कि नियमों में संशोधन करके अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं श्री तंगामणि का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं यह बता सकूं कि हम हिन्दू धार्मिक राजस्व आयोग के साथ कहां तक बचन बद्ध हैं। इस आयोग का कार्य छोटा नहीं। इसे जिन चीजों की छानबीन करनी है उनका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसने काफी काम पूरा कर लिया है और अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये उसे कुछ और क्षेत्रों का दौरा करना है। उन्हें छः मास की और अवधि दी गयी उसके अनुसार उसे १० फरवरी, १९६१ को अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिये था। हमें बताया गया है कि आयोग को अपना काम पूरा करने के लिये ६ मास और चाहियें। अतः इसका कार्यकाल ६ मास और बढ़ा देना चाहिये। इस आयोग के आभारी होंगे यदि वह अपना काम अब इन १८ महीनों में अवश्य समाप्त कर दे। यह ठीक है कि डा० सी० पी० रामास्वामी अय्यर काफी आयु के हैं और हमें अपने अनुभव और परिपक्वता का लाभ दे रहे हैं। कर्तव्य की भावना से वह काफी ओतप्रोत हैं और इस अनुभूति से ही इस कार्य को कर रहे हैं।

इस आयोग के सम्बन्ध में पहले आय व्ययक में इस लिए व्यवस्था नहीं की गयी क्योंकि पहले हमारा यही विचार था कि इसका कार्य केवल छः मास के लिये ही चलेगा परन्तु बाद में इसकी अवधि छः मास तक बढ़ा देनी पड़ी। इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि यह संविहित आयोग नहीं था और सारी बातों का सविस्तर निश्चय करके ही इन दिशा में कुछ किया जा सकता था। छः मास की अवधि बढ़ाने की मांग भी संसद द्वारा स्वीकार कर ली गयी थी, क्योंकि इसका बढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक समझा गया था। साथ ही हमने ही उन्हें आराम से काम करने को कहा था। अतः मेरा निवेदन है कि जो कुछ इस दिशा में किया गया वह ठीक और उचित ही है।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**). सदन द्वारा अनुपूरक मांगों की जो छानबीन की गयी है, मैं इसे पसन्द करता हूं और इसका स्वागत करता हूं। मैं कुछ बातों को इस दिशा में स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बी० आर० भगत]

श्री तंगामणि ने पूछा है कि स्टेशनरी के सम्भरण में इतनी वृद्धि कैसे हो गयी। कीमतें तो इतनी नहीं बढ़ीं। व्यवस्था ४ करोड़ की थी परन्तु व्यय ४.५६ करोड़ हो गया। इसका कारण यह है कि देश से प्राप्त होने वाली स्टेशनरी तथा जापान से आयात किये गये कागज का दाम बढ़ जाने से इतनी व्यय की राशि इन दो मदों में बढ़ गयी।

लंदन के भारतीय स्टोर विभाग में काम के बढ़ जाने की जो बात उन्होंने पूछी है, उसके लिए निवेदन है कि लन्दन स्थित इण्डिया स्टोर्स विभाग में अतिरिक्त व्यय का मुख्य कारण यह है कि वहां भर्ती किये गये कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि हो गयी है। कुछ टेलीफोन इत्यादि पर भी व्यय हुआ। मेरा निवेदन है कि यहां करोड़ों का खर्च होता है वहां कुछ अधिक व्यय हो जाने के कारण यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि इस दिशा में अनुमान ठीक ढंग से नहीं लगाया गया।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने यह बात कही है कि विदेशी पत्रकारों के दौरों पर इतना व्यय क्यों किया जा रहा है। यह कहना ठीक नहीं है कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी के पत्रकारों तथा बैंक मिशनों के दौरों से उन देशों से अधिक सहायता मिलने में सहायता प्राप्त नहीं हुई। उन देशों से हमें काफी सहायता प्राप्त हुई है। परन्तु इन दौरों का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि विदेशों में हमारी योजनाओं तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी पहुंचे। इस दिशा में हमें काफी सफलता मिली है।

पिछली यात्राओं का अनुभव अच्छा हुआ है। दूसरी योजना के आरम्भ में भी ऋणदाता देशों के प्रतिष्ठित पत्रकारों और समाचार लेखकों की यात्रा आयोजित की गई थी उसका अच्छा परिणाम हुआ है। तथापि मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, वह यह है हम चाहते हैं कि हमारी योजनाओं तथा विभागीय कार्यवाहियों के सम्बन्ध में दूसरों को अच्छी जानकारी हो।

यह कहा जा सकता है कि हमारे राजदूतावास दूसरे देशों में इसका प्रचार कर सकते हैं और वह हमारी आर्थिक कार्यवाहियों के विषय में जानकारी दूसरे देशों को दे सकते हैं। निस्सन्देह वे इस ओर पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा विदेशों में दिनों दिन अच्छा प्रचार हो रहा है। तथापि यह विशेष प्रकार का प्रचार है जो नियमित तरीके से हमारे राजदूतावासों द्वारा नहीं किया जा सकता है। यदि हम विदेशों की राजधानियों में इस प्रकार की पुस्तिकायें प्रकाशित करते रहेंगे तो उसका बिल्कुल दूसरा प्रभाव हो सकता है। इसका वह गहरा और भावात्मक प्रभाव नहीं हो सकता जो मित्र देशों के पत्रकारों को अपने देश में बुलाकर और उनसे स्वयं जगह जगह जाकर उन चीजों को देखने से हो सकता है जो कि देश में की जा रही हैं। जब वे अपने देशों को जाते हैं और वहां जो चित्र उपस्थित करते हैं वह बिल्कुल दूसरे प्रकार का होता है उसमें एक सच्चाई होती है। इस प्रकार यह व्यय इस संकुचित दृष्टि से भी कि इससे हमें अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने में सरलता होती है और व्यापक दृष्टि से इससे अमेरिका ब्रिटेन तथा जर्मनी के करदाताओं को हमारे कार्यों और समस्याओं के बारे में अधिक अच्छी जानकारी मिलनी उचित है।

कई माननीय सदस्यों ने अभी हाल ही खुले हुए भारतीय विनियोजन केन्द्र का उल्लेख किया है।

श्री नौशीर भरूचा ने यह कहा है कि इसकी शाखायें बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में भी खोलनी चाहिये। निसंदेह केन्द्र उक्त स्थानों में इसकी शाखायें खोलना चाहती है। आवश्यकता और काम में वृद्धि होने पर शाखायें खोल दी जायेंगी। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने विदेशी पूंजी का गैरसरकारी क्षेत्रों में विनियोजन के बारे में नीति बतलाने को कहा है। विनियोजन क्षेत्र अधिक गैरसरकारी पूंजी को आकर्षित करने के लिये विधियों तथा नीतियों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करेगा।

श्रीमती चक्रवर्ती का कथन है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी नीति निश्चित नहीं की है। उन्होंने महाराष्ट्र वाणिज्य संघ में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के एक भाषण का हवाला किया है और कहा है कि उन्होंने बताया था कि वे तत्सम्बन्धी नीति का उल्लेख करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में बता देना चाहता हूं कि इन दोनों बातों का प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध नहीं है।

गैरसरकारी विदेशी विनियोजन के सम्बन्ध में यह कहना भी उचित नहीं है कि सरकार की कोई नीति नहीं है। सभा में इसके सम्बन्ध में बार बार उल्लेख किया गया है और इस केन्द्र के उद्घाटन के अवसर पर भी वित्त मंत्री ने कहा था कि वर्तमान आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में गैरसरकारी विदेशी विनियोजन का बहुत महत्व है। उन्होंने यह कहा था कि न केवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये अपितु व्यवस्थापन, टक्नीक तथा कुशलता इत्यादि प्राप्त करने के लिये भी इसकी बहुत आवश्यकता है। वस्तुतः इस सम्बन्ध में नीति कई बार बतलाई जा चुकी है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरे कथन का तात्पर्य यह था कि किस सीमा तक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है, तथा हम इसे किस रूप में ग्रहण करते हैं इत्यादि बातें कभी भी सभा पटल पर नहीं रखी गयीं।

†**श्री ब० रा० भगत** : इन बातों का जिक्र संकल्प में नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करना या तो अपर्याप्त सिद्ध होगा या इससे पर्याप्त प्रतिबन्ध पैदा हो जायेंगे। क्योंकि कुछ बातें अवश्य छोड़नी पड़ेंगी। यह प्रश्न कुछ विशेष मामलों से सम्बन्ध रखता है। उदाहरणार्थ पूंजी के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में हमारी एक निश्चित और स्पष्ट नीति है। अभी हाल सूद और पूंजी पर सरल अदायगी तथा उद्योगों की किन विशेष मदों में विदेशी पूंजी आनी चाहिये इत्यादि के सम्बन्ध में हमारी नीति की घोषणा हुई है। पहली बात यह है कि पूंजी को तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगीकरण की रूप रेखा को देखते हुए, उसके अन्तर्गत आना चाहिये। दूसरे हमें विदेशी पूंजी का विनियोजन उन क्षेत्रों में करना चाहिये जहां टैक्निकल जानकारी का अधिक महत्व है। जिनका विकास उस जानकारी की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता है। उदाहरणार्थ उन्होंने आधारभूत रसायन उद्योगों का उल्लेख किया, हम इन व्यावहारिक बातों का विचार कर बहुत सावधानी के साथ बढ़ते हैं, हम इन चीजों की सूक्ष्म परीक्षा करने के उपरान्त ही विदेशी गैरसरकारी विनियोजन को स्वीकृत करते हैं।

विनियोजन केन्द्र का प्रयोजन यह है कि विदेशों में औद्योगिक और आर्थिक पूंजी लगाने के सम्बन्ध में जो भ्रांति फैली हुई है, वह निराधार है। विदेशी विनियोजक को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में जाना होता है और इस मामले में कई विलम्ब होते हैं इतने पर भी वह गैरसरकारी विदेशी विनियोजन के सम्बन्ध में हमारी राही नीति नहीं जान पाता है। विदेशी विनियोजक यह जानना चाहता है कि इस सम्बन्ध में हमारी नीति क्या है, पूंजी पर भुगतान के सम्बन्ध में नीति क्या है, तथा अंश पूंजी या ऋण पूंजी के सम्बन्ध में नीति क्या है? यद्यपि इस सम्बन्ध में हमारी नीतियां तथा विधियां बिल्कुल स्पष्ट हैं तथापि वे स्थोन स्थान पर बिखरी हुई हैं उनको एक स्थान पर बतला सकना बहुत कठिन है। यह मामला बहुत जटिल है और इसके कई पहलू हैं अतः हम इन बातों के सम्बन्ध में एकरूप और समायोजित नीति नहीं बना सकते हैं। तथापि यदि आप इन सभी बातों को एक साथ संग्रहीत करें तो आपको एक निश्चित नीति प्राप्त हो जायेगी।

विनियोजन केन्द्र का यह प्रयोजन है कि विदेशी विनियोजकों को भुगतान तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में विधियों और नीतियों से परिचित करवाया जा सके। उन्हें हम दर दर भटकने की

†मूल अंग्रेजी में

मुसीबत से बचाना और उन्हें असन्तोष से भी छुटकारा दिलाना चाहते हैं। हम इन समस्त सुविधाओं को एक स्थान पर एकत्र करना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें ज्ञात हो सके कि सुविधायें क्या हैं ? इससे यथासंभव विलम्ब का निराकरण होगा और विदेशी पूंजी के मार्ग में जो बाधायें थीं वह दूर होंगी, इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि उन्हें देश की सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि और भविष्य की संभावनायें पता हों। इस प्रकार भारतीय व्यापारी और विदेशी विनियोजकों के बीच जो पूंजी लगाने के इच्छुक हैं विनिमय हो सकेगा। इन बातों को तीन या चार वर्षों के विचार के उपरान्त निश्चय किया गया है।

श्री आसर ने पूछा है कि टैक्निकल और वैज्ञानिक शब्दावली के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? शिक्षा मंत्री ने मुझे इस सम्बन्ध में एक पत्र दिया है जिसमें लिखा है कि इस सम्बन्ध में एक निश्चित नीति है। उसमें लिखा गया है कि हिन्दी टैक्निकल शब्दों के हिन्दी पर्याय बनाने में यथासंभव व्यवहारतः हम शब्दों को सुगम बनाने, सही अर्थ और प्रादेशिक भाषाओं में उसकी समानता, विभिन्न व्याकरणों के अनुरूप उसका भाषान्तर इत्यादि की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। विभिन्न भाषाओं के लिये समान वैज्ञानिक शब्द या मूल बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द क्लिष्ट, तत्सम तथा उन शब्दों के प्रयोगकर्ताओं के लिये कठिन न हो। सामान्यतः उन्हें भाषा और शब्द विज्ञान के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी होती है। नये हिन्दी शब्द गढ़ते समय चालू अंग्रजी शब्दों के उपयोग करने की संभावना, का भी ध्यान रखा जाय केवल नये शब्दों को गढ़ने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा।

वैज्ञानिक और टैक्नीकल शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में सामान्य नीति इस प्रकार है। तथापि आपको ज्ञात है कि कई क्लिष्ट और बड़े शब्द बना दिये गये हैं। इसलिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस कार्य के लिये शीघ्र ही एक स्थायी समिति नियुक्त की जाय। इस समिति का एक कार्य यह होगा कि वह इन सभी बातों पर विचार करे तथा यह देखे कि वैज्ञानिक और टैक्नीकल शब्दों का अनुवाद यथासंभव सही और उपयोगी हो। अभी इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, वैसे इसमें विद्वान तथा वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार के व्यक्ति रहेंगे।

श्री आसर ने यह आरोप लगाया है कि सतारा जिले के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय को लेखन सामग्री नहीं दी गयी और १९५८-५९ की सामग्री रेलवे से स्थानान्तरण के समय कहीं खो गयी। पहली शिकायत सही नहीं है, सतारा जिले के केन्द्रीय उत्पादन विभाग के पर्यवेक्षक की वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० की मांग के अनुसार पूरी लेखन सामग्री भेजी गयी। १९५८-५९ में ६४ मदों में से ३५ मदों का सामान दिया गया। १९५९-६० में ७१ मदों में से ४३ मदों का सामान दिया गया। जहां तक रेलवे में खोने का प्रश्न है भारत सरकार को ऐसी किसी बात की सूचना नहीं मिली है। अतः यह शिकायतें ठीक नहीं हैं।

†**श्री तंगामणि** : परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अधीन मांग संख्या ८४ के अधीन मैंने दो कर्मचारियों का, जो अपने पद से हटा दिये गये थे, प्रश्न उठाया था ; इस सम्बन्ध में ६००० रु० संचित निधि में से विनियोग किये गये थे, मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है क्या ऐसी बातें अब भी हो रही हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उक्त दो अधिकारियों के मामले में मुझे यह बताया गया है कि अधिकारियों का मतपूर्ण सदाशयता से दूर था जब कि न्यायालय ने दूसरा मत दिया। कभी २ ऐसा भी

†मूल अंग्रेजी में

होता है तथापि हम उन अधिकारियों को उन के मत के लिये दंड नहीं दे सकते हैं। तथापि हड़ताल के पश्चात् हुए अन्य मामलों में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं होने पाये तथा सभी बातों पर पूर्ण न्यायोचित विधि से विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	२	३
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	१,३८,००० रु०
१५	शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,००० रु०
२१	वित्त मंत्रालय	३,००,००० रु०
२८	चल-मुद्रा	६०,००,००० रु०
३१	वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	१३,०१,००० रु०
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,००० रु०
३४	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	६,२०,००० रु०
४१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	२७,३६,००० रु०
४९	पुलिस	९३,७४,००० रु०
५०	जनगणना	५०,००,००० रु०
५४	हिमाचल प्रदेश	८०,००,००० रु०
५६	मनीपुर	५९,५२,००० रु०
५७	त्रिपुरा	५०,००,००० रु०
५९	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,२५,००,००० रु०
७०क	विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	७५,००० रु०
८०	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय	४०,००० रु०
८२	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	७,८४,४२,००० रु०
८३	परिवहन तथा संचार मंत्रालय	१,५०,००० रु०
८५	सामान्य राजस्व में डाक तथा तार का लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग	२,४८,३०,००० रु०

१	२	३
९२	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	१९,००,००० रु०
९५	संभरण	८,०४,००० रु०
९६	अन्य असैनिक कार्य	४,८०,२३,००० रु०
९७	लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई	६८,००,००० रु०
१०६	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	१,००० रु०
११४	निवृत्ति-वेतन का परिगणित मूल्य	२२,५९,००० रु०
११५	छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	६,००० रु०
११९	खाद्यान्नों का क्रय	३६,००,००,००० रु०
१२४	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	१,००० रु०

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री च० का० भट्टाचार्य अपना विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि भारतीय आयकर अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय आयकर अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री तंगामणि द्वारा २३ दिसम्बर, १९६० को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

"दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : यह मामला कई बार इस सभा और राज्य सभा के सम्मुख आया है। इससे पहले भी इस सभा के सम्मुख एक अपेक्षाकृत व्यापक विधेयक उक्त संहिता की कुछ धाराओं को हटाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था। राज्य सभा में भी एक ऐसा ही विधेयक प्रस्तुत किया गया जोकि अन्त में असफल रहा। यह विधेयक भी दंड प्रक्रिया संहिता के निरोध सम्बन्ध उपबन्धी के बारे में है।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि निवारक निरोध संबंधी धारायें अपराधों के निरोध के सम्बन्ध में हैं। सामान्यत: यह आवश्यक होता है कि विधि और व्यवस्था बनाये रखने के जिम्मेदार अधिकारी वास्तविक अपराध होने के पूर्व उनके रोकने का प्रयत्न करें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि धारा १०७ और १४४ में उचित परित्राणों का उपबन्ध किया गया है प्रस्तावक महोदय ने नागरिक और नागरिक के बीच विभेद करने पर आपत्ति की है। इसके लिये बहुत आकर्षक शब्द का प्रयोग किया गया है। खंड २ में यह कहा गया है कि जब कभी विधि-सम्मत आन्दोलन हो तो कार्यवाही नहीं की जाये तथापि अन्य अंशों में कही गयी बातों से यह अंश प्रभावहीन हो जाता है। उन्होंने आगे कहा है "मजदूरों, किसानों, मध्यवर्गीय कर्मचारियों, व्यापारियों तथा समुदाय के किसी अन्य वर्ग की शिकायतों को दूर करने सम्बन्धी विधि-सम्मत आन्दोलन"

इस संबंध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद १४ के अधीन सभी नागरिकों को विधि के अधीन समान सुरक्षा मिली हुई है।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

तथापि वे इस मामले में कुछ वर्गों का उल्लेख कर समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना चाहते हैं यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि क्या अनुच्छेद १४ के अधीन इन वर्गों को विधि के अधीन मान्यता दी जा सकती है।

इस में आगे कहा गया है "कोई आन्दोलन, प्रयत्न या सामूहिक कोशिश" इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान धारा १०७ या अन्य धाराओं के अधीन किये जाने वाले प्रयत्नों की पूर्व शर्तों की ओर दिलाना चाहता हूं। धारा १०७ में कहा गया है। "यदि कोई व्यक्ति शांति भंग या लोक व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयत्न करे तो. . ."इस शब्दावलि पर बहुत ध्यान देना चाहिये क्योंकि धारा १०७ या धारा १३१ कर अधीन तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है जब तक जनता की सुरक्षा को खतरा न हो। धारा १४४ में भी यही बात कही गई है। अत: इन धाराओं के अधीन कार्यवाही करने के लिये यह आवश्यक शर्त है कि किसी विशेष प्रकार का कार्य लोक व्यवस्था या लोक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला है।

ये धारायें न्यायिक प्रकार की हैं। अर्थात् यदि दूसरा पक्ष चाहे तो इस के विरुद्ध राज्य की सर्वोच्च अदालत में अपील की जा सकती है।

यदि धारा १०७ और १४४ के अधीन कोई गलत आदेश जारी किया जाये तो इस के लिये न्यायिक उपचार किया जा सकता है। तथापि यह मापदंड नहीं रखा जा सकता है कि आन्दोलन के प्रकार के ऊपर इस धारा के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। यदि हमें देश की न्याय और व्यवस्था की रक्षा करनी है तो इस आवश्यक शर्त में किसी प्रकार की ढ़ील नहीं देनी चाहिये मैं एक उदाहरण रखूंगा जिस में इस प्रकार का प्रयत्न किया गया है। यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध विधि सम्मत आन्दोलन के सम्बन्ध में उस के द्वारा की गयी कार्यवाहियों के लिये कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

कार्यवाही न की जाये। विधि सम्मत शब्द की भी कोई व्याख्या नहीं की गई है। मान लिया जाये कि कोई व्यक्ति या संस्था कोई कार्य करना चाहती है प्रश्न यह नहीं है कि वह कार्य विधिसम्मत है या नहीं अपितु प्रश्न यह है कि उसके परिणाम क्या होंगे। विधि और व्यवस्था अधिकारियों के हाथों में इस प्रकार की शक्तियां होनी चाहियें कि वे बिगड़ती हुई स्थिति का सुधार कर सकें।

किसी अन्य अधिनियम के सम्बन्ध में विधिसम्मत शब्द उपयुक्त हो सकता है। तथापि यहां दंडाधिकारी को विधि और व्यवस्था के मामले के कुछ पहलुओं से जिसका विधि और व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति से सम्बन्ध है, विचार करना होता है। अतः दंडाधिकारी के लिये जिसे उस स्थिति पर तत्काल निर्णय करना होता है यह बहुत कठिन होगा कि वह इन सभी बातों पर विचार करे कि आन्दोलन विधिसम्मत है या नहीं।

उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा गया है कि अंग्रेजों के शासन काल के दिनों में इन धाराओं का दुरुपयोग किया गया। निस्संदेह उन का दुरुपयोग किया गया तथापि फिर भी लोगों ने इस बात का खतरा उठाया। अब माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि बिना खतरा उठाये ही तथाकथित आन्दोलन किया जाये।

यह धारायें विधि और व्यवस्था बनाये रखने के प्रयोजन से अनिवार्य हैं। अतः इस संबंध में अंग्रेजी प्रशासन और किसी अन्य उद्देश्य की दुहाई देना गलत है। जहां तक विधि के उपबन्धों का प्रश्न है ये बिल्कुल उचित हैं, यदि उन का दुरुपयोग किया जाता है तो उस पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है। न्यायिक रूप से भी उच्च न्यायालय इत्यादि उस के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं।

प्रस्तावित विधेयक के खंड २ के दूसरे परन्तुक से सारा प्रभाव समाप्त हो जाता है। कोई मजदूर ईमानदार तो हो सकता है किन्तु उस पर अन्य बातों का भी प्रभाव हो सकता है--हो सकता है कि कोई आदमी नेकनियती से काम करता हो किन्तु वह भी गुमराह हो सकता है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद): वह तो हम दोनों पर लागू होता है।

†**श्री दातार**: किसी गुमराह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की अपेक्षा समाज का हित कहीं ऊंचा होता है। इसीलिये कार्यवाही की जानी चाहिये। इस धारा में कहा गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति दण्डापराध करने की दशा में ही वास्तव में गिरफ्तार न किया गया हो इस अधिनियम की धाराओं का सम्बन्ध वास्तविक गिरफ्तारी से नहीं है। हमें इस में अपराध को रोकने से ही तात्पर्य है। दण्डापराध हो जाने के बाद तो कानून की व्यवस्थायें काफी प्रभावशाली हैं। यहां उद्देश्य यही है कि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। मूल धारा और परन्तुक के बारे में कुछ गलतफहमी है। परन्तुक शायद मूलधारा को शक्तिहीन बना देता है।

इस विधेयक का खण्ड ३ यह शब्द जोड़ना चाहता है कि 'और यदि मानव जीवन की हानि के तात्कालिक और स्पष्ट खतरे की आशंका का उचित आधार मौजूद हो।' प्रश्न यह है कि इन शब्दों की कोई आवश्यकता भी है? यह बात तो हमेशा से मान्य रही है कि इस मामले में सावधानीपूर्वक विचार करके, उचित कार्यवाही करने का प्राधिकार मैजिस्ट्रेट को ही होना चाहिये। और यदि मैजिस्ट्रेट कोई गलती करे, तो सरकार को प्रशासकीय ढंग से उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये, और यदि मामला न्यायालय में पहुंच चुका हो, तो न्यायिक रूप में कार्यवाही करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि (मदुरै) :** लेकिन तब तक तो नुकसान हो ही चुकेगा और सशस्त्र बल को जो भी कार्यवाही करनी होगी, वह कर ही चुका होगा ।

†**श्री दातार :** "आशंका के लिये उचित आधार" ये शब्द इसीलिये जोड़े जा रहे हैं कि इस विधि की व्यवस्थायें कुछ कम सख्त बना दी जायें । 'मानव जीवन की हानि के स्पष्ट और तात्कालिक खतरे' का भी इस में हवाला दिया गया है । दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे असामाजिक तत्व मौजूद हैं, जिन्हों ने सरकार और अन्य सम्पत्ति को बहुत अधिक हानि पहुंचाई है । इसलिये ऐसी कोई आशंका होने पर, निरोधात्मक व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाना चाहिये । मेरे मित्र ने इस में सम्पत्ति का बिल्कुल कोई उल्लेख ही नहीं किया । यह अनुचित है ।

उपखण्ड (ख) में व्यवस्था है कि "सशस्त्र बल का प्रयोग नहीं किया जायेगा यदि . . ." इस का स्पष्ट अर्थ यही है कि विधि का प्रयोग उचित ढंग से किया जाये और साथ ही विधि और व्यवस्था बनाये रखने के प्रभारी अधिकारी को स्वयंविवेक की शक्ति भी दी जाये । इसमें कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट जब तक उचित रूप में सन्तुष्ट न हो, कार्यवाही न की जाये । वर्तमान व्यवस्थाओं के मुताबिक भी, मैजिस्ट्रेट का संतुष्ट होना आवश्यक है इस में कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट को इस बात से सन्तुष्ट हो जाना चाहिये कि पुलिस परिस्थिति पर काबू पाने में असमर्थ रहेगी । सशस्त्रबल तो सब से बाद में, पुलिस की असमर्थता प्रकट हो चुकने के बाद ही, अत्यावश्यक होने पर ही, बुलायी जाती है ।

दूसरे परन्तुक में कहा गया है कि सशस्त्र बल का प्रयोग आन्दोलनों के दमन के लिये नहीं किया जायेगा । मैजिस्ट्रेट को इस से ताल्लुक नहीं होता कि वह आन्दोलन है या नहीं । उसे तो मतलब इस बात से है कि विधि और व्यवस्था बनी रहे । इस में तो "विधिसम्मत" आन्दोलन भी नहीं कहा गया है । हां, "साम्प्रदायिक दंगों" को उन्हों ने इस विधेयक की व्यवस्थाओं से अवश्य विमुक्त किया है । माननीय सदस्य ने यह विधेयक १९५८ में रखा था । तब शायद उन को यह नहीं मालूम था कि इतने ही खतरनाक आन्दोलन कुछ दूसरे भी हैं उदाहरण के लिये भाषाई आन्दोलन । उन से भी समाज की शान्ति उतनी ही भंग होती है । कारण जो भी हो, यदि उस से समाज की शान्ति भंग हो तो वह बुराई ही है और उस के विरुद्ध व्यवस्था करनी ही पड़ेगी । इसलिये साम्प्रदायिक दंगों और अन्य प्रकार के दंगों में इस प्रकार का विभेद इस मामले में नहीं किया जा सकता । इस में कहा गया है कि अपनी समस्याओं को सामूहिक तौर पर हल करने के लिये संगठित मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, या अन्य तबकों के विरुद्ध इस का प्रयोग न किया जाये । संविधान के अन्तर्गत शान्तिपूर्ण वैधानिक संस्था बनाने और उस का काम करने की अनुमति है । लेकिन यदि कोई संगठन समाज के लिये खतरा पैदा करे, तो फिर उस के विरुद्ध कार्यवाही करनी ही पड़ेगी, चाहे फिर उस के उद्देश्य जो भी हों । संगठन से मुझे कोई वि ोध नहीं ।

लेकिन समस्याओं का हल भी संवैधानिक तरीके से किया जाना चाहिये । संगठन तो समस्याओं का हल नहीं कर सकते । हल तो संसद् और उस के नियंत्रण में चल कर सरकार ही करेगी । राज्य सरकारें अपने विधान मंडलों के अधीन रह कर समस्यायें हल कर सकती हैं ।

अब मान लीजिये कि कोई संगठन ऐसा है जिस से खतरा पैदा हो सकता है, तो अधिकारियों के हाथ में ऐसी शक्ति भी रहनी चाहिये जिस से समाज में विधि और व्यवस्था बनाये रखी जाये । अब इस में प्रश्न यही है कि समाज के हितों को सर्वोच्च माना जाये या कुछ व्यक्तियों या संगठनों के ? यह बात इस में ध्यान देने की है । स्पष्ट है कि समाज के स्थायित्व को अत्यावश्यक और सर्वोच्च माना जाना चाहिये । हर एक को अपने काम का परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

इस विधेयक के द्वारा एक नई धारा जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है कि जब भी सशस्त्र बल की सहायता ली जाये, उस के तीन दिन के अन्दर ही अन्दर कम से कम नौ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये, जिनमें से तीन संसद् सदस्य हों और शेष सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों। यह बड़ा ही अव्यावहारिक सा प्रस्ताव है। ऐसी व्यवस्था का असर बिल्कुल ही उल्टा पड़ेगा, माननीय सदस्य की आशा के बिल्कुल विपरीत। धारा १४४ के अन्तर्गत सभी आदेश सामान्यतया दो महीनों तक प्रभावी रहते हैं। बाद में आवश्यकता पड़ने पर, उन की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

†**श्री तंगामणि:** इस धारा का धारा १४४ से कोई संबंध नहीं। यह तो तभी लागू होगी जब सशस्त्र बल की सहायता ली गई हो। मैं चाहता हूं कि ऐसे मामलों की ओर केन्द्रीय सरकार और संसद् का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाये।

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य अपने मार्ग में एक दूसरी कठिनाई भी पैदा कर रहे हैं। मैं उस का उल्लेख भी करूंगा। मैं कह रहा था कि ऐसी समिति की नियुक्ति अव्यावहारिक होगी। यह प्रश्न असल में मैजिस्ट्रेट के स्वविवेक का है। उस के बाद प्रश्न उठता है कि स्वयंविवेक का प्रयोग ठीक ढंग से किया गया या नहीं, सदाशय के साथ किया गया या दुराशय के साथ, या उस में किसी प्रकार की अति की गई है। अब यदि इस की जांच के लिये समिति नियुक्त की जायेगी, तो उस का परिणाम माननीय सदस्य की आशा के सर्वथा विपरीत निकलेगा। उस से अधिकारी अपने स्वयंविवेक का प्रयोग करने से डरने लगेंगे।

समाज पर उस का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस से अधिकारियों के मार्ग में कठिनाइयां पैदा होंगी।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं माननीय मंत्री के भाषण के दौरान अर्न्तबाधा नहीं डालना चाहता, लेकिन अभी-अभी उन्हों ने कहा था कि हर एक को अपने काम का परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये।

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य का उद्देश्य बाधा डालने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वह स्पष्टीकरण चाहते ही नहीं। अभी स्थिति यह है कि मैजिस्ट्रेट को उचित स्वयविवेक की शक्ति दी गई है। इस शक्ति का प्रयोग उसे समाज की विधि और व्यवस्था के हित में करना है। यदि वह उन का प्रयोग ग़लत ढंग से करे, तो सरकार उस के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। इसलिये समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस का सम्बन्ध अधिकांशतया राज्य-सरकारों से ही है ; और राज्य-सरकारों ने ऐसे मामलों में उचित कार्यवाहियां की हैं।

माननीय मित्र धारा १४४ में एक यह भी व्यवस्था जोड़ना चाहते हैं कि उस के अन्तर्गत धरना देने वाले लोगों के विरुद्ध कोई आदेश नहीं दिया जा सकेगा। धरना देने के बारे में औद्योगिक विवाद अधिनियम में व्यवस्था है। उस के अनुसार कुछ व्यवस्थायें वैधानिक हैं, और कुछ अवैधानिक। अवैधानिक हड़तालों के लिये, धाराओं २२ से २४ तक के अनुसार, रुपया-पैसा भी नहीं दिया जा सकता। धरना देना अधिकार नहीं माना गया है।

†**श्री मोहम्मद इलियास :** (हावड़ा) सरकार ताला-बन्दियों को गैर-कानूनी घोषित कर सकती हैं।

†**श्री दातार :** उचित अवसरों पर मालिकों को भी कुछ संरक्षण पाने का अधिकार है। अब इस चर्चा में नये-नये प्रश्न उठाना असंगत होगा। मालिक भी तो आखिर भारत के ही नागरिक हैं। माननीय सदस्य ने इस विधेयक में जिन वर्गों के लोगों को विमुक्त करने का प्रस्ताव रखा है, उन में

†मूल अंग्रेजी में

सभी वर्ग शामिल नहीं हैं। इस से पता चलता है कि उन की विचारधारा किस तरफ जा रही है। नई धारा यह सुझाई गई है कि हड़ताल के सिलसिले में धरना देने वालों के विरुद्ध कोई आदेश नहीं निकाला जायेगा। हड़ताल की बात मैं बता ही चुका हूं।

माननीय सदस्य मुख्य प्रश्न से कतरा कर, अब धारा १४४ को संशोधित कर के औद्योगिक विवाद अधिनियम को बदलना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने जो परन्तुक रखा है, उसके अनुसार तकलीफों को बताने या मांगों को रखने के लिये किये गये प्रदशनों, सभाओं या हड़तालों के दौरान धरना देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी। माननीय सदस्य बिलकुल ही भूल गये हैं कि उचित अवसरों पर सरकार को किन सिद्धान्तों के आधार पर कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ता है। हमें याद रखना चाहिये कि धरना देना भी आगे बढ़ कर एक खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकता है। इसलिये 'धरने' के नाम पर हमें नहीं जाना चाहिये।

दूसरे परन्तुक में कहा गया है कि इस धारा के अन्तर्गत आदेश निकाल कर जनता के किसी भी भाग को अपनी तकलीफें पेश करने से नहीं रोका जायेगा। इस में भी बड़ा खतरा है। इसलिये कि कभी-कभी तकलीफें भी तो मन-गढ़न्त और ग़लत किस्म की हो सकती हैं। इसलिये सभी को एक लाठी से कैसे हांका जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है कि किसी भी तकलीफ़ को पेश करने से नहीं रोका जायेगा। माननीय सदस्य तकलीफ, या कष्ट की परिभाषा क्या करते हैं? गैर-कानूनी काम करने वालों की क्या तकलीफ होगी?

अन्तिम धारा में संसद् का उल्लेख है। उस में कहा गया है कि संसद् या राज्य विधान-मंडलों या प्रादेशिक परिषदों के पास जनता को अपनी मांगें या कष्ट पेश करने से रोकने के लिये कोई भी आदेश इस धारा के अन्तर्गत जारी नहीं किया जायेगा। पिछले सत्र की बात आप सभी को याद होगी। संसद् की कार्यवाही चलाना तक कठिन हो गया था। उस अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा था कि केवल धारा १४४ से काम नहीं चलेगा; कुछ और भी किया जाना चाहिये, जिस से कि संसद्-सदस्यों या राज्य विधान-मंडलों के सदस्यों के काम में कोई बाधा न पड़ सके।

सभी संसद्-सदस्यों को संविधान के अन्तर्गत कुछ न कुछ काम करना ही पड़ता है। ठीक है। लेकिन संसद् के परिसर या उस के आसपास के स्थान के अतिरिक्त, अन्य स्थानों पर भी वे जनता की तकलीफें सुन सकते हैं। सभी संसद् सदस्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य में लगे हैं, और वह शान्त वातावरण में ही ठीक से किया जा सकता है। इसलिये प्रदर्शनकारियों को संसद् के आसपास मनमानी करने की अनुमति देना खतरनाक सिद्ध हो सकता है।

संसद्-सदस्यों के पास तो जनता के लोग कभी भी पहुंच सकते हैं। उस के लिये संसद् के कार्य में बाधा क्यों डालने दी जाये?

अन्तिम खण्ड में कहा गया है कि इस धारा के अन्तर्गत जारी किया गया कोई भी आदेश तब तक ४८ घंटे से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहेगा जब तक कि मानव-जीवन को कोई खतरा न हो, या दंगे की आशंका न हो; पर उस दशा में ऐसे आदेश की अवधि बढ़ाने के लिये राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ेगी।

भारत की विशालता का जरा ध्यान रख कर इसे देखिये। सोचिये कि ऐसी व्यवस्था हो जाने पर कन्याकुमारी जिले या कामरूप जिले में कितनी कठिनाई पैदा हो जायेगी। वहां तो शायद ४८ घंटे में उच्चाधिकारियों से भी सम्पर्क स्थापित करना मुश्किल हो जायेगा। इस का आधारभूत सिद्धान्त भी विचित्र है। उच्च न्यायालय का काम न्यायिक मामलों के बारे में निर्णय देना होता है, और कार्यपालक काम सरकार करती है। विधि और व्यवस्था बनाये रखना कार्यपालिका से सम्बन्ध

[श्री दातार]

रखता है, न्यायपालिका से नहीं। यदि भारत सरकार या कोई राज्य सरकार ग़लती करे तो संसद् या संबंधित राज्य विधान-मंडल उस की खबर ले सकते हैं। यहां तक कि मंत्रि परिषद् तक को हटाया जा सकता है। लेकिन कार्यपालक काम के लिये न्यायपालिका की अनुमति लेने की व्यवस्था तो नहीं की जा सकती। दोनों अलग-अलग ढंग के काम हैं। उच्च न्यायालयों का काम न्यायिक मामलों का निबटारा करना ही है। भारत सरकार और राज्य सरकारें क्रमशः संसद् और संबंधित राज्य विधान-मंडलों के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था बिलकुल ग़लत होगी।

अन्त में, मुझे यही कहना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची में है, संघ-सूची में नहीं। समवर्ती-सूची में उल्लिखित विषयों के लिये हम हमेशा राज्य-सरकारों से परामर्श करते हैं। इस अधिनियम के प्रवर्तन का संबंध राज्य सरकारों से ही अधिक है। संघ-सरकार, राज्य-सरकारों की भांति, इतने बड़े-बड़े प्रदेशों के बारे में सीधी कार्यवाही नहीं करती। इसलिये जब तक हम इस के बारे में राज्य-सरकारों की सहमति प्राप्त न कर लें, तब तक समवर्ती सूची में सम्मिलित विधियों को संशोधित करने के लिये कोई विधान नहीं बना सकते। इसलिये कि उन का प्रशासन तो आखिर राज्य सरकारों को ही करना पड़ेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य इस विधेयक पर आग्रह न करें।

†**श्री तंगमणि :** मैंने इस विधेयक का विचार-प्रस्ताव रखते हुए, मैंने विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों का विवरण पढ़ कर सुनाया था। वही इस का प्रवर्तनकारी भाग है। पर माननीय मंत्री ने उस की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उस विवरण में स्पष्ट कहा गया है कि धाराओं १०७, १२९, १३१ और १४४ का प्रयोग अक्सर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन और जन-आन्दोलनों के दमन के लिये किया गया है। इसलिये, मैं ने इन धाराओं में कुछ निरोधात्मक व्यवस्थायें करनी चाही हैं।

धारा १०७ का रूपभेद तो १९२३ में ही करना पड़ा था। उस समय इस में संशोधन किया गया था कि मैजिस्ट्रेट तभी कोई कार्यवाही कर सकेगा जबकि उस के पास उस की राय में यथेष्ट आधार मौजूद हों। वह संशोधन इसलिये लाया गया था कि तब एक मैजिस्ट्रेट ने एक बड़े राजनीतिक नेता के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की थी।

आश्चर्य की बात है कि तब १९२३ में तो अंग्रेज़ सरकार उस संशोधन को मानने के लिये तैयार हो गई थी, लेकिन आज की हमारी सरकार उतना भी करने के लिये तैयार नहीं। मैंने उन दमन-कारी धाराओं को हटाने का प्रस्ताव तो नहीं रखा है, मैं तो केवल संशोधन करना चाहता हूं। पहले जमाने में तो ट्रेड यूनियनों को भी मालिकों के विरुद्ध संगठन माना जाता था। १९२३ में मद्रास उच्च न्यायालय का मत था कि बकिंघम-कर्नाटक मिल के मजदूर हड़ताल करके मालिकों के खिलाफ साजिश कर रहे थे। तभी, उस के बाद ही ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित किया गया था।

१९४७ के अधिनियम में कहीं भी 'धरना देना' की परिभाषा नहीं की गई। उस में सिर्फ इतना ही है कि उचित नोटिस देने के बाद ही, हड़तालें की जा सकेंगी। उस में 'धरने' का कोई जिक्र ही नहीं।

धारा १२९ के अनुसार, मैजिस्ट्रेट कुछ परिस्थितियों में सशस्त्र बल बुला सकता है। संसद् उस के औचित्य के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठा सकती। मैंने संसद् को अब यही शक्ति प्रदान करनी चाही है। इसीलिये मैंने सुझाव रखा है कि उस के तीन दिन के अन्दर एक समिति नियुक्त की जाये,

---

†मूल अंग्रेजी में

जिस में संसद्-सदस्य और न्यायाधीश हों। संसद् को उस के औचित्य के बारे में कुछ कहने का अधिकार होना ही चाहिये।

दूसरा उद्देश्य यह है कि वैधानिक हड़ताल को दबाने के लिये सशस्त्र बल की सहायता नहीं ली जानी चाहिये।

१९५८ में सशस्त्र सेना ने मद्रास में बड़ा आतंक मचा दिया था। इसीलिये मैं चाहता हूं कि जब भी सशस्त्र सेना बुलाई जाये संसद् को अवश्य बताया जाये। उस के तीन दिन के अन्दर एक समिति नियुक्त होनी चाहिये जो इस सभा के सामने प्रतिवेदन पेश करे।

'सामूहिक रूप में' मैंने इसलिये कहा है कि सामूहिक रूप से, संगठन बना कर बात करने से मजदूरों की मांगों को बल मिल जाता है। जब साम्प्रदायिक भावनाएं जाग्रत हो जाती हैं तो कोई भी उन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। अतः ऐसी स्थिति में विधि और व्यवस्था को कायम रखने के लिये हिंसा का प्रयोग करना न्यायसंगत है।

मेरे विधेयक का खंड ५ धारा १४४ के बारे में है। मेरा निवेदन है कि यह धारा शुरू में केवल ४८ घंटे के लिये ही लागू की जानी चाहिये। यदि इसे इस अवधि से आगे बढ़ाना है तो उसके लिये उपयुक्त कारण होने चाहियें। और यह कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। हर बात केन्द्रीय सरकार के पास नहीं आनी चाहिये। यदि राज्य सरकार, वहां के उच्च न्यायालय आदि सन्तुष्ट हो जाते हैं तो उसी स्थिति में ही इस की अवधि बढ़ाई जानी चाहिये। मेरे खंड का यही उद्देश्य था।

†**सभापति महोदय** : अब मैं यह प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सदस्य की गिरफ्तारी

†**सभापति महोदय** : कार्यक्रम की अगली मद लेने से पूर्व मुझे एक सूचना देनी है।

मुझे बताना है कि आज दुपहर को १ बज कर ५० मिनट पर अध्यक्ष को बम्बई से दिनांक २४ फरवरी को भेजा हुआ एक तार मिला है जिसमें भेजने वाले का नाम नहीं दिया गया है और कहा है कि :

"श्री प्रभुनारायणसिंह, सदस्य लोक-सभा को पुलिस आयुक्त की आज्ञा की अवहेलना के कारण २३ फरवरी की शाम को ७ बज कर ४० मिनट पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपना जाति मुचलका देकर जमानत पर छूटने से इंकार कर दिया है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन)

†**श्री अजित सिंह सरहदी** :(लुधियाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक सादा और छोटा है । यह विधेयक हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ की धारा २३ में संशोधन करने के लिये है ।

[**श्री मूलचन्द दुबे** पीठासीन हुए]

तलाक अथवा अलहदगी के मुकदमों के सम्बन्ध में यह देखने में आया है कि जिन शिकायतों के आधार पर तलाक अथवा अलहदगी की मांग की जाती है उनमें एक कारण यह भी होता है कि विपक्षी ने परस्त्री अथवा पर-पुरुष गमन या अपने पति/पत्नी के अलावा किसी अन्य पुरुष-स्त्री से सम्भोग किया है । यह देखा गया है कि इस प्रकार के आरोप अन्य आरोपों के साथ झूठमूठ को अथवा निर्रथक ढंग से जोड़ दिये जाते हैं । इस प्रकार के आरोप आम तौर पर विपक्षी पर अनुचित दबाव डालने और उसे बदनाम करने के लिये लगाये जाते हैं। ये आरोप सिद्ध हों अथवा नहीं, इनके कारण बदनामी तो हो ही जाती है । यह विधेयक इस प्रयोजन से लाया गया है कि जिस पक्ष के प्रति ऐसे झूठे और निरर्थक आरोप लगाये जायें उसे ५००० रुपये तक क्षतिपूर्ति के रूप में देने की व्यवस्था की जाये । यह ठीक है कि जो लोग क्षतिपूर्ति का अलग से दावा कर सकते हों उन्हें हरजाना मिल सकता है। परन्तु इस विधेयक की मंशा यह है कि तलाक अथवा अलहदगी के दावे में जिन मामलों में ऐसे मानहानिकारक आरोप लगाये जायें उनमें भी इस प्रकार का हरजाना देने की व्यवस्था की जाये ।

यह दुर्भाग्य की ही बात है कि अब हिन्दू समाज में ऐसी स्थिति आ गई है जबकि अदालतों द्वारा तलाक की आवश्यकता पड़ गई है । अत: मेरा निवेदन है कि माननीय विधि उपमन्त्री इन बातों पर विचार करेंगे और यह व्यवस्था करेंगे कि एक व्यक्ति जो बदनाम हो गया है उसकी सुरक्षा की जायेगी और इसके लिये विधेयक में कठोर उपबन्धों की व्यवस्था की जायेगी । जब तक कठोर दण्ड की व्यवस्था नहीं होगी तब तक समझौता होना कठिन है । अत: मेरा निवेदन है कि जो संशोधन मैंने रखा है वह बहुत ही सादा है और अधिनियम में जो कमी थी उसकी पूर्ति करता है अत: इस पर विचार करना चाहिये । श्री चुन्नीलाल ने एक संशोधन रखा है कि इसे जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये । मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, और मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं । आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय भी इसे स्वीकार करेंगे और इसे जनमत जानने के लिये परिचालित किया जायेगा ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री चुनीलाल** (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को १५ जुलाई, १९६१ तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय** : विधेयक तथा संशोधन दोनों ही सभा के सामने हैं ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : मैं विधेयक तथा तत्सम्बन्धी संशोधन का विरोध करता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री चुनीलाल (अम्बाला—रक्षित--अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, यह जो हिन्दू मैरिज अमेंडमेंट बिल मेरे लायक दोस्त सरहदी साहब ने इस हाउस में रखी है, उसका मंशा मैं समझता हूं बड़ा नेक है। लेकिन चूंकि इसका सम्बन्ध पब्लिक से है इसलिए मैं यह समझता हूं कि इसको सरकुलेशन के लिए भेजा जाना चाहिये।

मुझे कानून से तो वाकफियत नहीं है लेकिन इस तरह के केसेज मेरे सामने आए हैं जिनमें पार्टीज इस तरह के इल्जामात लगाती हैं और उस सूरत में कोर्ट को उनमें समझौता कराना भी कठिन हो जाता है। जब इस तरह के एलीगेशन्स किये जाते हैं कैरेक्टर के बारे में तो फिर आपस में समझौता नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि इस बिल की मंशा नेक होते हुए भी मैं यह जरूरी समझता हूं कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट कर दिया जाना चाहिये। मुझे खुशी है कि बिल के मूवर साहब ने मेरे इस अमेंडमेंट को मान लिया है।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** : मैं इस विधेयक तथा इसके संशोधन का विरोध करता हूं। हमारे हिन्दू समाज में विवाह एक बड़ी पवित्र वस्तु मानी गई है। विवाह के बाद दोनों ही पति एवं पत्नी एक दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखते हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि अलहदी के समय एक दूसरे पर बड़े बुरी तरह से आरोप लगाये जाते हैं। यह बात नहीं है बात यह है कि परिस्थिति बदल रही है। आजकल इन परिवर्तनशील परिस्थितियों में बड़ी अशोभनीय बात हो जाती है और ऐसी बात होती है जिनमें स्त्री को अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। यह जानते हुए कि स्त्री सही है लेकिन उसे अपनी बात अदालत में सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। अतः यदि हम यह व्यवस्था करते हैं कि स्त्री पर भी ५,००० रुपये का दण्ड निर्धारित किया जाये तो यह बुरी बात होगी। इसका अभिप्राय तो यह होगा कि हम उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लें ले और हम पर जोर न दें। अगर विधेयक अधिनियम यह बन गया तो यह अमानवीय होगा।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। और इसके संशोधन को भी आवश्यक समझता हूं।

आरोप प्रायः तंग करने के इरादे से लगाये जाते हैं। संशोधन में दण्ड की व्यवस्था केवल इसी दृष्टि से की गई है कि यदि अदालत छानबीन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ये आरोप झूठे हैं तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति को दण्ड दिया जा सकता है। यह बात दूसरी है कि दण्ड की राशि ५,००० अधिक हो। यह बात अवश्य ही विचारणीय है।

जनमत जानने के लिये विधेयक को परिचालित करने के लिये एक संशोधन रखा गया है। मेरे विचार से तो इसे प्रवर समिति को सौंपना ही काफी है। मेरे विचार में दो बातें ही विचारणीय हैं पहली बात तो यह है कि क्या यह दण्ड अधिक है और दूसरे क्या इस विधेयक का प्रभाव दूसरी विधि पर भी पड़ेगा। लेकिन इतना सत्य अवश्य है कि इसका प्रभाव दोनों पक्षों पर काफी अच्छा पड़ेगा। उस दृष्टि से यह विधेयक उपयोगी ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है।

इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है कि यदि इस प्रकार के आरोप अगर बचाव पक्ष की ओर से लगाये जाते हैं और यदि वे गलत पाये जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनका क्या होगा। क्या उस व्यक्ति को भी कोई दण्ड दिया जायेगा। चूंकि ये आरोप भी इसी दृष्टि से लगाये जा सकते हैं ताकि आवेदक अपने मामले को वापस ले ले। मेरे विचार से ऐसे आरोपों के गलत सिद्ध होने पर दण्ड दिया जाना चाहिये। आशा है कि इस बात की व्यवस्था करने के लिये भी कोई संशोधन रखा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति जी, हिन्दू समाज में विवाह को निभाना एक बहुत बड़ा धर्म समझा जाता है, यहां तक कि एक समय था, जबकि हिन्दू समाज की बहुत सारी जातियों में जो बहनें नौजवान अवस्था में ही विधवा हो जाती थीं, वे फिर शादी नहीं कर सकती थीं और उन को सारी-सारी उम्र दुख में रहना पड़ता था । हिन्दू समाज में विवाह को एक धार्मिक कर्तव्य की दृष्टि से देखा जाता था । मेरा सम्बन्ध किसी ऐसी जाति से नहीं है, जो यह मानती थी कि विवाह की गांठ को इतनी मज़बूत समझा जाये कि अगर भगवान भी उस को तोड़ दे, तो भी उस के साथ चिपटे रहा जाये, जिस के परिणामस्वरूप बहनें सारी उम्र विधवा रहें । मेरी जाति और मेरे सैक्शन में शुरू से ही इस बात को माना जाता रहा है कि अगर कोई बहन विधवा हो जाये, तो उस के दुख को ज्यादा दिन तक जारी न रहने दिया जाये । लेकिन एक वक्त आया और कई कारणों से हिन्दू कोड बिल का प्रश्न उठा और इस सदन में उसके छोटे-छोटे हिस्से बना कर हम ने उस को कानून की शक्ल दी । उन में से एक हिस्सा हिन्दू विवाह को विच्छेद करने के बारे में भी है । मैं समझता हूं कि हमारे समाज में तलाक एक बहुत दूसरे सिरे की बात है । जो समाज विवाह को इतनी वजन देता हो और उस का सम्बन्ध धर्म के साथ जोड़ता हो, वहां तलाक के बारे में सोचना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और न ही कोई सोचता है, ऐसा मैं मानता हूं । लेकिन जिस तरह समाज में, देश में और जीवन में और बहुत सारे एक्सिडेंट होते हैं, उस तरह तलाक भी शादी के रिश्ते में एक तरह का एक्सिडेंट होता है । जिन बदकिस्मत घरों में ऐसा एक्सिडेंट होता है और खास तौर पर उन घरों में, जहां पति अपनी पत्नी पर, या पत्नी अपने पति पर अविश्वास करे यहां तक कि वह धर्म से च्युत हो गया है, मैं समझता हूं कि वहां उस रिश्ते को कायम रखना कोई अक्लमन्दी की बात नहीं है । वह पति या पत्नी अदालत में जायें, तो उस रिश्ते को किसी कानून के तहत जारी रखना आज के ज़माने में अक्लमन्दी की बात नहीं दिखाई देती है। इसलिये मैं मानता हूं कि जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है, जैसा कि हमारे साथी, श्री सरहदी ने महसूस किया है, वह बहुत ज्यादा वांछनीय नहीं है । मैं समझता हूं कि थोड़े बहुत लोग ऐसे होंगे, जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन समाज में हर एक कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जायगा अगर उस की रोक करनी है, तो हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में पांच हज़ार जुर्माना रखना कोई समझ की बात नहीं है ।

जहां तक इस बिल को सर्कुलेट करने का सम्बन्ध है, आप जानते हैं कि जो भी बिल सर्कुलेट किया जाता है, उस में सरकार और देश का हज़ारों रुपया खर्च हो जाता है । मुझे यह ऐसी अहम चीज़ नहीं मालूम होती कि इस के बारे में लोगों की राय पूछी जाये । श्री आचार को इस बारे में ज़ाति तजुर्बा है, लेकिन वह तजुर्बा एक वकील के नाते हैं, पर्सनल लाइफ़ में ज़ाति तजुर्बा नहीं है । इसी तरह और बहुत सारे साथी वकील हैं, जिन को ऐसे केसिज़ का तजुर्बा होगा । इसलिये मैं इस को राय जानने के लिये बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं समझता ।

†**श्री आचार** : मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं ने यह कहा था कि मुझे ऐसे आरोपों का व्यक्तिगत अनुभव है ।

†**सभापति महोदय** : यही बात वह कह रहे हैं ।

†**श्री आचार** : मुझे खेद है कि उन्हों ने मुझे गलत समझा है ।

†**चौधरी रणवीर सिंह** : माननीय सदस्य ने मुझे बिल्कुल ही गलत समझा है । हमारे मित्र, श्री सरहदी साहब, पंजाब हाई कोट के माने हुए वकील हैं । और भी ऐसे साथी हैं, जैसे श्री प्रताप सिंह दौलता हैं और दूसरी स्टेट्स के माने हुए वकील भी हैं । उन को ऐसे केसिज़ का तजुर्बा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये इस बिल को बाहर लोगों की और वकीलों की राय जानने के लिये सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है ।

मैं इस बिल को प्रवर समिति को भी भेजने की जरूरत नहीं समझता । अगर इस में कोई जुर्माना रखना है, तो चार पांच सौ रुपये का फ़ैसला किया जा सकता है । इस को किसी सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने, या देश में जन-मत जानने के लिये भेजना कोई समझ की बात नहीं है और न ही यह इतनी अहम बात है ।

जहां तक इस के उसूल का ताल्लुक है, जिस की मुखालफ़त श्री आचार ने की, उस को यह सदन और यह देश मान चुका है । एक चीज को, जो समाज के लिये किसी तरह से अच्छी नहीं है, देश और समाज में फैलाना अच्छी बात नहीं है, हितकर नहीं है, अहितकर है । वैसे तो इस बिल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सरहदी साहब और दूसरे वकील चाहते हैं, तो दो तीन सौ जुर्माना रख दिया जाये और इस के मुताबिक जज साहब फ़ैसला कर दें, तो कोई बड़ी बात नहीं है ।

हमारे दोस्त ने कहा कि इस जुर्माने की इसलिये जरूरत है कि इस से समझौता हो जायगा । मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है । अगर समझौता होने लगे, तो चार हज़ार रुपया दे कर कौन समझौता करेगा । श्री चुनीलाल जी कहते हैं कि झूठी इल्ज़ाम-तराशी नहीं होगी । इस देश में विवाह को धर्म के नाते बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है और इस तरह के इल्ज़ाम के सिवाये कोई भी भाई विवाह के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता । जब उस के टूटने का सवाल आता है, तो ऐसे झगड़े की वजह से ही आता है । एक दूसरे पर अविश्वास होता है, तभी लोग तलाक के लिये आते हैं । इसलिये इस बारे में सोच-समझ कर फ़ैसला करना चाहिये, अगर इस को इस शक्ल में मंजूर किया गया, तो वह पहले बिल के उसूल के विरोध में जायगा । इसलिये मैं इस की मुखालफ़त करता हूं ।

श्री प्र० सिं० दौलता (झज्जर): जनाबे चेयरमैन साहब, मैं सरहदी साहब के इस बिल की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हम जो वकील लोग हैं, और लेजिस्लेटर भी हैं और पब्लिक की राय ले कर भी आये हैं, समाज में हमारी एक अहम पोज़ीशन है । जूडिशरी और लैजिस्लेशन में जो कनेक्शन है, वह हमारे ज़रिये ही ह । हमें तजुर्बा है कि इन केसिज़ में, जो हाई कोर्ट और सैशन्ज़ कोर्ट में आते हैं—उस से नीचे तो वे आते नहीं—जज साहबान बार-बार यह कहते हैं कि यह क्या ला बनाया हुआ है, अपने आपको सुपीरियर बताने के लिये आप ने यह ला पास किया हुआ है, यह कैसा ला है, जिसमें सुपरफ्लुअस एलीगेशन्ज़ लगाने के लिये कोई सज़ा नहीं है । अगर किसी पर कोई एलीगेशन्ज़ लगाई जाती हैं, तो उस बेचारी या उस बेचारे, के लिये यह रास्ता खुला है कि वह दावा करे, लेकिन मुकदमे के दौरान लगाई गई एलीगेशन्ज़ के लिये डीफ़ेमेशन और हर्जाने की बात बनती नहीं है । जिन लोगों को जुडिशरी का तजुर्बा है, सरहदी साहब ने यह बिल ला कर उन की तर्जुमानी की है । जज साहबान बार-बार इस बात को प्वाइंट आउट करते हैं । अभी मुकदमा शुरू होता नहीं कि, जो एक शरीफ़ घर की औरत है, उसको कहा जाता है कि प्लेंट में, अर्ज़ी-दावे में यह शिकायत है कि वह बदचलन है । इस का नतीजा यह होता है कि उसके मां-बाप फ़ौरन अननर्व हो जाते हैं । प्लेंट में जो फ़ालतू कीइल्ज़ाम-तराशी की जाती है, वह इन्साफ़ के रास्ते में हायल हो जाती है । उस औरत के मां-बाप पहले ही डर जाते हैं और खाविन्द से कहते हैं कि हम इसको ले जाते हैं, और आप इसे अदालत में ज्यादा न कीजिये । तलाक कई बार ऐसे भी हो जाता है, और इस तरह के इल्ज़ामों को साबित करने की जरूरत नहीं होती है, किन्हीं और वजूहात पर जो केस होता है वह दिस वे और दैट वे डिसाइड हो जाता है और इस का सबूत देना या न देना बेकार होकर रह जाता है ।

[श्री प्र० सिं० दौलता]

चेयरमैन साहब, मैं तजवीज़ करता हूं कि यहां यह जुर्माना एकसैप्ट कर लिया जाय तो बड़ी अच्छी बात है या कुछ न कुछ सज़ा फिलवोलस इल्ज़ामवादी की हो जाये वर्ना यह सर्क्यूलेट हो जाना चाहिये ।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, सरदार अजित सिंह सरहदी जी ने जो एक छोटा सा बिल सदन के सामने रखा है और हिन्दू विवाह एक्ट की धारा २३ में जो संशोधन करना चाहा है, यह बहुत साधारण सा है । आर्य जाति ने विवाह को एक संस्कार माना है, धर्म माना है । किन्तु सदियों के बाद सारे देश की अवस्था और समाज की अवस्था बदल रही है और बदलती जाएगी । हिन्दू समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके कारण एक प्रकार से हिन्दू विवाह कानून में समय के अनुसार परिवर्तन करने के उद्देश्य से अनेक बार बिल यहां लाए गए हैं और पास किए गए हैं । किन्तु मैं समझता हूं कि जो सम्बन्ध विच्छेद, वह कई कारणों से होता है । उनमें से एक कारण आचरण सम्बन्धी लांछन है जिसके आधार पर सम्बन्ध विच्छेद हो सकता है । इस तरह का लांछन एक निर्बल पक्ष पर लगाया जाना बहुत ही हीन कार्य है । उस निर्बल पक्ष के बारे में ही मैं कुछ कहना चाहूंगा ।

हम देखते हैं कि हमारे समाज में पुरुष वर्ग आज भी नारी वर्ग पर हावी है और नारी समाज आज भी एक विकट अवस्था में है, निर्बल स्थिति में है । मैं एक वकील की तरह से नहीं बल्कि एक साधारण जन की तरह से और एक ऐसे मनुष्य की तरह से जिसने इस तरह के वाकयात को, इस तरह की घटनाओं को बहुत करीब से देखा है, अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । आज कोई नहीं कहता कि विवाह का जो रूप बहुत पहले था वही आज है । उसमें परिवर्तन आ रहे हैं और परिवर्तन लाए गए हैं । लेकिन यह देखा गया है कि आम तौर पर अदालत की जो शरण लेता है, वह पुरुष ही होता है । कोई ही नारी यह हिम्मत करती है कि वह कोर्ट में जाए । अगर कोई नारी इस तरह की हिम्मत करती भी है कि सम्बन्ध विच्छेद हो जाए तो पहले तो उसको इसमें सहायता नहीं मिलती है, समाज उसकी मदद नहीं करता है, और फिर उसको गवाह नहीं मिलते हैं । पहले तो वह अदालत में मामला ले जा ही नहीं सकती है और अगर किसी तरह से ले भी जाए तो उसका पक्ष इतना प्रबल नहीं हो पाता है कि उसमें किसी प्रकार का सारांश दृष्टिगोचर हो सके ।

हमारे समाज में नारी की क्या स्थिति रही है, उसको कितना आदर का स्थान प्राप्त रहा है, यह मैं आपको बतलाता हूं । कहा गया है :—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:
यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा: तत्र अफला: क्रिया: ।

इसका अर्थ है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां सुख चैन रहता है, और जहां उसकी पूजा नहीं होती है वहां सुख चैन नहीं रहता है। समाज में महिलायें सारा दिन काम में लगी रहती हैं, काम में जुटी रहती हैं, सिसकती रहती हैं, उनकी ओर हमें देखना होगा । वे अगर नई दिल्ली के किसी कोने में रहती हैं जहां का वातावरण शान्त वातावरण है, वहां पर भी वे सताई जाती हैं, फिर भले ही उसका रूप दूसरा ही हो । वे पढ़ी लिखी नारियां हो सकती हैं और दूसरा रूप धारण कर सकती हैं लेकिन वे नारियां जो आज भी बेबसी और मजबूरी की हालत में रहती हैं, घरों के अन्दर देवियां बन कर रहती हैं, गृहणियां बन कर रहती हैं, बच्चों का पालन करती हैं, सारी गृहस्थी को चलाती हैं, अनेक कष्ट झेलती हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है । उनके साथ भी सम्बन्ध विच्छेद के अनेक कारण हो सकते हैं । एक कारण जिसकी ओर हमारे सरहदी साहब ने ध्यान दिलाया है, वह

आचरण सम्बन्धी लांछन है। इसके अलावा ये कारण भी हो सकते हैं कि उसके बच्चा नहीं होता है लगातार बीमार रहती है, या लड़ती झगड़ती है। ये बातें समझ में आ सकती हैं लेकिन जब यह कहा जाता है कि उसका आचरण खराब है, उसका दूसरे पुरुष से सम्बन्ध है, वह व्यभिचारिणी है, तो यह एक गम्भीर आरोप है। पुरुष तो व्यभिचार की दृष्टि से ऊपर उठ जाता है और कई उल्टे सीधे काम कर सकता है। हमारे यहां एक कहावत है कि आदमी हजार दीवारें लांघ सकता है लेकिन एक देवी एक छोटा सा ओटा नहीं लांघ सकती है। ओटा होता है एक छोटी सी दीवार। आदमी तो बड़ी-बड़ी दीवारें कूद सकता है लेकिन नारी छोटी सी दीवार नहीं कूद सकती है। कोई किसी को भी डराये, कोई किसी को भी धमकाये, लेकिन जिसके अन्दर जरा सा दुःख दर्द को समझने की शक्ति है, नारी के हृदय को समझने की शक्ति है उसी तरह से जैसे नारी नारी के दुःख को समझती है उसके दर्द को समझती है, वह पुरुष ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता।

चौ० रणवीर सिंह : आदमी के खिलाफ़ इल्जाम लगाया जाए तो ?

श्री बाल्मीकी : अगर आदमी के द्वारा नारी के खिलाफ़ इल्जाम लगाये जाते हैं और मामला अदालत में पेश किया जाता है, उसमें सभी कारण लिखे जाते हैं और यह सिद्ध हो जाता है कि उसने आचरण सम्बन्धी जो लांछन लगाये हैं वे गलत हैं तो कोई वजह नहीं है कि उस पर कोई जुर्माना इस तरह का न लगाया जाए और नारी को हरजाना न दिलाया जाये लेकिन नारी के पास कुछ भी नहीं है सिवाय अपने सम्मान के, सिवाय अपनी इज्जत के, सिवाय अपनी अस्मत के, अपनी आबरू के। चौधरी रणवीर सिंह साहब कह रहे थे कि जो नारी है--

चौ० रणवीर सिंह : दोनों पर लागू होता है।

श्री बाल्मीकी : दोनों पर लागू नहीं होना चाहिये। मैं दूसरे पक्ष को लेता हूं। मैं केवल नारी पक्ष की लेता हूं। अगर उस पर कोई आचरण सम्बन्धी इल्जाम लगाया जाता है और वह अदालत की राय में गलत साबित होता है तो कोई वजह नहीं है कि पांच हजार तो क्या दस हज़ार हरजाने के रूप में उसको न दिलवाया जए।

श्री चुनीलाल जी ने एक संशोधन पेश किया है कि इसको सर्कुलेट किया जाए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आचार साहब के प्रस्ताव को मानता हूं कि कोई सिलेक्ट कमेटी हाउस के मेम्बर साहबान की इस पर विचार कर ले।

मैं यकीनी तौर से इस बिल का स्वागत करता हूं। मेरे मस्तिष्क में दूसरी पार्टी का मतलब केवल नारी से है। नारी का मामला तो बहुत कम चलता है। मैं चाहता हूं कि आज के वाकयात को देखते हुए अवश्य ही उसकी ओर ध्यान दिया जाए और मैं चाहता हूं कि यह हाउस इस बिल को मंजूर करे। मैं इसका स्वागत करता हूं।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने के प्रस्ताव से मैं सहमत हूं। परन्तु सरकार इस विधेयक के किसी भाग अथवा व्यौरे को स्वीकार कर लेने का वचन नहीं देती। प्रायः ऐसी भावना व्याप्त है कि सरकार ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को प्रोत्साहन नहीं देती। लेकिन ऐसा कहना गलत है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस विधेयक के पीछे जो भावना है वह बड़ी ही महान है। और यह स्त्रियों की पवित्रता पर होने वाले अनुचित आक्रमणों को रोकने में सहायक होगा हालांकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ३५क

†मल अंग्रेजी में

के अधीन इस मामले में कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या मिथ्या और निरर्थक आरोपों के सम्बन्ध में इतना अधिक हर्जाना मांगा जा सकता है। परन्तु यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विधेयक के सम्बन्ध में जनता की राय क्या है।

अत: मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किये जाने वाले प्रस्ताव से सहमत हूं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे विधेयक को संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये सभा में रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को १५ जुलाई, १९६१ तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण का अन्त विधेयक

†**श्री अरविन्द घोषाल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बिचौलिये अथवा ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण की व्यवस्था को समाप्त करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक बिचौलियों द्वारा श्रमिकों की भर्ती करने की व्यवस्था को समाप्त करने की दृष्टि से रखा गया है। इस प्रकार जो श्रमिक रखे जाते हैं उनका मालिकों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता।

यदि हम इस व्यवस्था के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें इस बात का पता चल जायेगा कि २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में उद्योगपतियों को श्रमिकों को रखने में बड़ी कठिनाई होती थी अत: उन्होंने श्रमिकों की भर्ती के लिये बिचौलियों का सहारा लिया था जोकि आवश्यकतानुसार उद्योगपतियों को श्रमिक लाकर दे दिया करते थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार २७ फरवरी, १९६१/८ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ८७५—९८

तारांकित
प्रश्न संख्या

२८१ ग्राम्य विश्वविद्यालय . . . . ८७५—७७

२८२ कारीगरों की अध्ययन यात्रा . . ८७७—७९

२८३ दिल्ली में सिंचाई के लिये गन्दापानी . ८७९—८०

२८४ कृषकों का बैंक . . . . ८८०—८४

२८५ दिल्ली को भाखड़ा से बिजली . ८८४—८५

२८६ यंत्रीकृत फार्म . . ८८५—८७

२८७ मंगलौर पत्तन . . ८८८

२८८ कोयले का यातायात . . ८८८—९०

२८९ पर्यटन . . ८९०—९२

२९१ उर्वरक के मूल्य सम्बन्धी नीति . ८९२—९४

२९२ पर्यटन . . . ८९४—९५

२९४ नई रेलवे लाइनें . . . . ८९५—९७

२९६ मध्य प्रदेश का डाक तथा तार मुख्यालय . ८९७—९८

प्रश्नों के लिखिक उत्तर . . . . . ८९८—९४६

तारांकित
प्रश्न संख्या

२९० त्रिवेन्द्रम में दुग्धशाला परियोजना . ८९८

२९३ कोयला खानों को माल-डिब्बों का आवंटन . ८९८—९९

२९५ चीनी ८९९

२९७ सहकारी कृषि . . . ८९९—९००

२९८ विमान यातायात . . ९००

पृष्ठ

तारांकित

प्रश्न संख्या

२९९	कांडला पत्तन	९००–०१
३००	रेलों पर चलते फिरते पुस्तकालय	९०१
३०१	तार	९०१–०२
३०२	डाक टिकटों में हिन्दी	९०२
३०३	श्रीनगर में टेलीफोन व्यवस्था	९०३
३०४	फरक्का बान्ध	९०३
३०५	संयुक्त राज्य अमरीका से पब्लिक लॉ ४८० के अन्तर्गत गेहूं की खेप	९०३
३०६	बी० सी० जी०	९०४
३०७	भारत और लंका के बीच नौका सेवा	९०४–०५
३०८	"एगमार्क"	९०५–०६
३०९	कलकत्ता गोदी पर चोरियां	९०६–०७
३१०	भू-संरक्षण कार्य	९०७
३११	जमाया हुआ तेल	९०७–०८
३१२	दक्षिण पूर्व रेलवे पर ठेकेदारों को अधिक भुगतान	९०८
३१३	केरल में मछलियां पकड़ने के बन्दरगाह	९०८–०९
३१४	संयुक्त राज्य अमरीका को चीनी का निर्यात	९०९
३१५	फरक्का बांध	९०९–१०
३१६	रेलवे लाइन पर बम विस्फोट	९१०
३१७	दिल्ली में चेचक	९१०

अतारांकित

प्रश्न संख्या

४७१	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पंचायतें	९१०–११
४७२	दक्षिण रेलवे में स्वास्थ्य एकक	९११
४७३	दक्षिण रेलवे में प्राथमिक स्कूल	९११
४७४	बत्तखें और कुक्कुट	९१२
४७५	पुरी स्टेशन पर भारवाहक	९१२
४७६	कोल्हापुर जिले में किराये की इमारतों में डाकघर	९१२–१३
४७७	महाराष्ट्र में पर्यटन	९१३
४७८	लौंग और दारचीनी	९१३–१८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या

४७९	मद्रास मे मत्स्यपालन	६१४
४८०	हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र . .	६१४
४८१	उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर पानी ठण्डा करने की मशीन	६१४
४८२	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर . .	६१४–१५
४८३	उपरि सिलेरू परियोजना . .	६१५
४८४	राजस्थान में वन विकास . .	६१६
४८५	पश्चिम रेलवे में डाके	६१६
४८६	राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा मांडागार बोर्ड द्वारा राजस्थान को सहायता . .	६१६–१७
४८७	राजस्थान में तार घर . . .	६१७
४८८	राजस्थान में पुल	६१७–१८
४८९	देहरादून-बम्बई एक्सप्रेस में कण्डक्टर गार्ड . .	६१८
४९०	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	६१८–१९
४९१	पश्चिम रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर . .	६१९
४९२	डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारी . .	६२०
४९३	ग्वालियर–शिवपुरी लाइन	६२०–२१
४९४	मध्यवर्ती पतन	६२१–२२
४९५	वन अनुसन्धान संस्था देहरादून . . .	६२२
४९६	सुलतानपुर में कच्चा कुंआ . . .	६२२–२३
४९७	लौह क्षेत्र में बिजली	६२३
४९८	परिवार नियोजन	६२३
४९९	वेतन आयोग का प्रतिवेदन	६२४
५००	आयुर्वेद का प्रत्यास्मरण (रिफ्रेशर) पाठ्यक्रम . .	६२४–२५
५०१	चिकित्सा विज्ञान की अखिल भारतीय संस्था . .	६२५
५०२	केरल में नगरीय जल संभरण . . .	६२५
५०३	हिमाचल प्रदेश में शिकार के लिये लाइसेंस .	६२६
५०४	हिमाचल प्रदेश में पर्यटक सुविधायें . . .	६२६
५०५	हिमाचल प्रदेश जाने वाले पर्यटक . . .	६२६–२७
५०६	हिमाचल प्रदेश में बोक्टू कूल	६२७

पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५०७ आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात . . ९२७
५०८ कलकत्ता के समीप निर्बाध व्यापार क्षेत्र . . . ९२८
५०९ उड़ीसा के लिये उर्वरकों का आवंटन . . ९२८
५१० मुर्गी पालन का विकास . . . ९२८–२९
५११ क्षेत्रीय सुपारी अनुसंधान केन्द्र ९२९
५१२ उड़ीसा में कोढ़ नियंत्रण . . . ९२९–३०
५१३ रेल गाड़ी द्वारा गैंगमैन की मृत्यु . . ९३०
५१४ बाघौली रेलवे स्टेशन के समीप रेल दुर्घटना . ९३०–३१
५१५ आसाम में खाद्यान्नों का उत्पादन . . . ९३१
५१६ भूमि संरक्षण . ९३१
५१७ केन्द्रीय वन विज्ञान बोर्ड . . . ९३२
५१८ बिजली से रेलगाड़ी चलाया जाना . . ९३२
५१९ खेती के औजार ९३२
५२० रेलवे के लिये ढले हुए लौह के स्लीपर . . . ९३३
५२१ पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर गैस की रोशनी . ९३३
५२२ रद्दी इस्पात . . ९३३–३४
५२३ प्राथमिक पाठशालाएं . . . ९३४
५२४ रेलवे संरक्षण बल . . . ९३४–३५
५२५ गुजरात के ग्रामों का विद्युतीकरण . . ९३५
५२६ आयुर्वेदिक औषध सम्बन्धी गोष्ठी . . . ९३५–३६
५२७ पैकेज प्रोग्राम ९३६
५२८ रेल पथ का नवीकरण ९३६–३७
५२९ कृष्ण और गोदाबरी सम्बन्धी परियोजनायें . . ९३७
५३० हृदय की गति का रूक जाना ९३७–३८
५३१ रेलवे में प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूल . . . ९३८
५३२ कलकत्ता पत्तन के पदाधिकारी . . . ९३८–३९
५३३ भद्रक और बालासोर स्टेशनों पर टेलीफोन . ९३९
५३४ भू-स्वामियों को बकाया का भुगतान . ९३९–४०
५३५ रेलवे में आम हड़ताल . . . ९४०

पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५३६	सिंचाई के कुंए .	६४०–४१
५३७	अफ्रीकी–एशियाई सम्मेलन . .	६४१–४२
५३८	चेचक का टीका तैयार करने वाला कारखाना .	६४२–४३
५३९	कटनी के निकट रेलवे साइडिंग .	६४३
५४०	डाक तथा तार विभाग का विभागीय परीक्षा .	६४४
५४१	राजस्थान नहर के लिये इस्पात की कमी . .	६४४
५४२	उत्तर रेलवे के पास माल डिब्बे . .	६४५
५४३	खंड विकास पदाधिकारी . . .	६४५
५४४	डाक तथा तार घर . .	६४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६४६

अत्यावश्यक पण्य एक्ट, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १ ।

(दो) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४८ में प्रकाशित गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(तीन) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर ४९ में प्रकाशित चीनी (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ६४६

तेतींसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन ६४६

एक सौ सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामानय) १९६०–६१ . . . ६४८–७४

वर्ष १९६०–६१ के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा जारी रही । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पुरःस्थापित किया गया . . . ६७४

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य का भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा २ का संशोधन)

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक अस्वीकृत हुआ . ६७४

श्री तंगामणि द्वारा २३ दिसम्बर, १९६० को प्रस्तुत किये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधक) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में सूचना . . . ६८१

सभापति ने लोक-सभा को बताया कि अध्यक्ष महोदय को बम्बई से दिनांक २४ फरवरी, १९६१ का एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि श्री प्रभुनारायण सिंह को २३ फरवरी, १९६१ को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—परिचालन के लिये संशोधन . . ६८२—८८

श्री अजित सिंह सरहदी ने प्रस्ताव किया कि हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । श्री चुन्नीलाल द्वारा विधेयक पर राय जानने के लिये उसे १५ जुलाई १९६१ तक परिचालित करने के लिये एक संशोधन पेश किया गया । श्री अजित सिंह सरहदी ने वाद विवाद का उत्तर दिया । विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालन सम्बन्धी संशोधन स्वीकृत हुआ ।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन . . . ६८८

श्री अरविन्द घोषाल ने प्रस्ताव किया कि ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण का अन्त विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, २७ फरवरी, १९६१/फाल्गुन ८, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि—

१९६१–६२ के रेलवे आम व्ययक पर चर्चा और १९६०–६१ के अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—2063 (Ai) LSD—23-3-61—125